खण्ड-193, अंक-3
सोमवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1879
(17 मार्च, 1958 ई0)

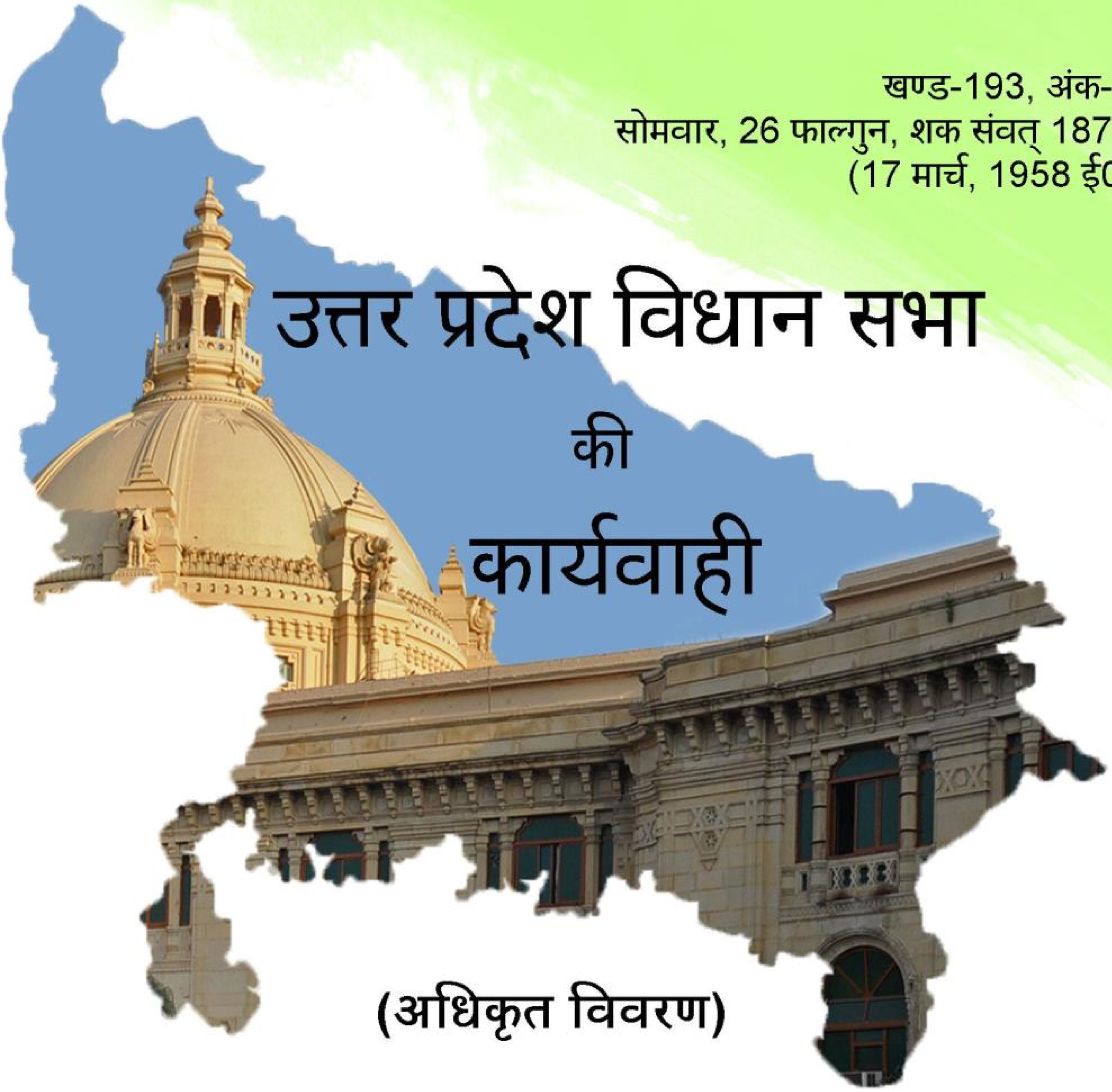

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 193 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १७ मार्च, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य (३०२)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यादवेंद्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री

वीरसेन, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेंद्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १७ मार्च, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

टाउन एरिया पुरकाजी के भंगियों का वेतन रुक जाना

**१—श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि टाउन एरिया पुरकाजी के भंगियों को करीब एक वर्ष का वेतन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

स्वशासन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—टाउन एरिया पुरकाजी के भंगियों का वेतन १५ नवम्बर, १९५७ तक दे दिया गया है।

**२—श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या स्वशासन मंत्री को यह भी ज्ञात है कि उक्त भंगियों ने कस्बे की सफाई का कार्य बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। केवल १३ भंगियों ने १५ नवम्बर से सफाई कार्य बन्द कर दिया था।

श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि जो १५ नवम्बर को उन्होंने वेतन दिया है वह कितने मास का रुका हुआ था और कब दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—लगभग एक साल का रुका हुआ था और २८ फरवरी से पहले दे दिया गया था।

श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि १५ नवम्बर तक जो उनको वेतन दिया गया है क्या उसके बाद सफाई के काम पर ये आ गये हैं या अभी भी उनकी हड़ताल जारी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—हड़ताल तो जारी नहीं है, वे सब काम पर तो आ गये हैं लेकिन कुछ भंगियों की सेवायें अवश्य समाप्त कर दी गयी हैं।

श्री वीरेंद्र वर्मा—माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको ३-१-५८ को अथवा उससे पेश्तर टाउन एरिया, पुरकाजी के लोगों की ओर से इस प्रकार का एक प्रार्थनापत्र गन्दगी के सिलसिले में आया है कि सफाई न होने के कारण टाउन एरिया नर्क बना हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव—टाउन एरिया, पुरकाजी के विरुद्ध शिकायतें अवश्य आयी हैं। रिपोर्ट के लिये वह पत्र जिलाधीश को भेज दिया गया है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की तरफ से ऐसे टाउन एरिया के विरुद्ध जो मेहतरों की तनख्वाह को इतने दिन तक रोके रखे, कार्यवाही करने का क्या प्राविजन है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार के पास तो केवल सुपरसेशन का अधिकार रहता है। अगर इसी तरह से उनका प्रबन्ध कुछ दिनों तक ठीक नहीं रहा तो सरकार उसे सुपरसीड करने पर विचार करेगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भंगियों की तनख्वाह एक साल तक क्यों रुकी रही ?

श्री रामस्वरूप यादव—उस टाउन एरिया के निवासियों के बारे में यह बतलाया जाता है कि तीन वर्ष से बाढ़ आने की वजह से उनकी हालत खराब हो रही है जिसके कारण वहां के लोगों से टैक्स नहीं वसूल हो सका।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि टाउन एरिया की हालत बाढ़ की वजह से खराब हो गयी और सरकार को उसकी सूचना भी है उनके वेतन के पूरे रुपये को टाउन एरिया को देने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार की तरफ से अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता है लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और वहां के चेयरमैन की कोशिश यह है कि तीन चार महीने में सब बकाया साफ कर दें।

गाजीपुर जिला जेल में सर्वश्री बालरूप शर्मा व कैलाशपति सिंह की भूख हड़ताल

**३—श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के आर० एस० पी० लीडर, सर्वश्री रूप शर्मा और कैलाशपतिसिंह जिला जेल में भूख हड़ताल कर रहे हैं ? यदि हां, तो कितने दिनों से और क्यों ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—रूप शर्मा नहीं बल्कि श्री बालरूप शर्मा और श्री कैलाश पति सिंह गाजीपुर जेल में क्रमशः ११ मार्च तथा १२ मार्च, १९५८ से भूख हड़ताल कर रहे हैं। दोनों की मुख्य मांग यह है कि उनको जेल में उच्च श्रेणी दी जाय।

श्री पब्बरराम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इससे पेश्तर यह बन्दी बराबर उच्च श्रेणी में रखे जाते रहे हैं ? इस बार न रखे जाने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह वाकया नहीं है कि वे बराबर उच्च श्रेणी में रहे हों।

श्री पब्बर राम—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि पिछले टाइम जब यह गिरफ्तार होकर इसी जेल में थे तो उस समय इनको उच्च श्रेणी में रखा गया था ?

श्री मुजफ्फर हसन—शुरू में जब वह अंडर ट्रायल थे तो कुछ दिन के लिये उनको रख दिया गया था। जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जानकारी हासिल हो गई तो ये हटा लिये गये।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों बंदियों की भूख हड़ताल के सिलसिले में कम्युनिस्ट नेता श्री सरजूप्रसाद की माननीय मंत्री जी से बातचीत हुई थी और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि भूख हड़ताल के बाद उस पर विचार किया जायगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—पार्लियामेंट के जो मेम्बर हैं उन्होंने मुझे टेलीफोन किया था। मैंने कहा कि भूख हड़ताल जारी रखते हुये कोई विचार नहीं हो सकता है। अगर वह भूख हड़ताल खत्म कर दें और मेरे पास कोई चीज आयगी तो मैं उस पर विचार करूंगा। उन्होंने बताया कि उनकी जमानत हो गई है और वह इसलिये नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा कि उनको जमानत पर जाना चाहिये। इस मसले को आप भी रख सकते हैं और वह भी दरख्वास्त दे सकते हैं। इस मसले को मैं देख लूंगा।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करने की मेहरबानी करेगी कि उन्हें उच्च श्रेणी में रख दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने जवाब दे दिया।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि उच्च श्रेणी में रखने का आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो नियम का सवाल है। नियम आपको मालूम होना चाहिये।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि दोनों बंदियों में से श्री बालरूप शर्मा १९५२ में और इस साल पार्लियामेंट के उम्मीदवार रहकर चुनाव लड़ चुके हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—मुझे इसकी खबर नहीं है। हो सकता है कि लड़ा हो।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि उक्त दोनों नेता गाजीपुर की आर० एस० पी० के लीडर हैं और राजनीतिक कारणों से जेल गये हैं तो फिर क्या कारण है कि सरकार ने इनको उच्च श्रेणी नहीं दी ?

श्री मुजफ्फर हसन---जो उसके नियम हैं, कलेक्टर की निगाह में वे उनको पूरा नहीं करते हैं।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि उच्च श्रेणी में रखने के तीन आधारभूत सिद्धांत हैं---एक तो शिक्षा, दूसरे पुराने कर्म और तीसरे सोशल स्टेटस ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसमें न तो वे शिक्षा में आते हैं, न वे आमदनी में आते हैं क्योंकि कलेक्टर की निगाह में उनके रहन-सहन का तरीका ऐसा नहीं है कि जिसमें वे आ सकते हैं ।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार अब भी विचार कर रही है कि उनकी पब्लिक स्टैंडिंग को देखते हुये उनको उचित श्रेणी में रखा जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन---मैं उसका जवाब दे चुका हूं। इस सिलसिले में मुझे ऐप्रोच किया गया था। उस समय मैंने कहा था कि हंगर स्ट्राइक के दौरान में मुश्किल है कि किसी बात पर विचार किया जा सके।

आजमगढ़ जिले से राजनीतिक पीड़ितों की पेंशन व सहायता के लिये प्रार्थनापत्र

****४---**श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के कितने राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना पत्र मासिक पेंशन व सहायता के इस समय सरकार के विचाराधीन हैं ?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---१३।

****५---श्री मुक्तिनाथराय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्र कब तक निर्णीत हो जायंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---ज्यों ही उक्त प्रार्थना-पत्र पूर्ण हो जायंगे और पूरी जांच हो जायगी वे निर्णीत हो जायंगे।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितने प्रार्थना-पत्र मासिक पेंशन के और कितने सहायता के हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---इस समय उनके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं कि कितने पेंशन के और कितने सहायता के हैं।

श्री मुक्तिनाथराय---मासिक पेंशन के हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र कितने महीने और कितने वर्षों से अभी तक विचाराधीन हैं और अभी तक निर्णीत नहीं किये गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। ६५६ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे। माननीय सदस्य यदि किसी खास प्रार्थना-पत्र के विषय में पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि राजनीतिक पीड़ितों को मासिक पेंशन पाने के निमित्त आवेदन-पत्र देने की कोई अंतिम तिथि सरकार द्वारा निश्चित थी ? यदि हां, तो वह क्या ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, अंतिम तिथि निश्चित थी। मुझे याद नहीं है, संभवतः ३० सितम्बर थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन १३ दरख्वास्तों के अलावा उनके कार्यालय में और भी दरख्वास्तें हैं जो विचाराधीन हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं, विचाराधीन तो १३ ही हैं, बाकी पर निर्णय हो चुका है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो जांच की जाती है दरख्वास्तों पर उस पर आवश्यकता से अधिक समय सरकारी अफसर ले लेते हैं तो इसको ध्यान में रखते हुये जांच के लिये दूसरी अवधि मुकर्रर करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं, जांच की अवधि मुकर्रर नहीं हो सकती। प्रयत्न यह किया जाता है कि जल्दी से जल्दी खत्म हो क्योंकि जो प्रार्थना-पत्र आते हैं उनमें से जो अपूर्ण होते हैं उनको प्रार्थी के पास भेजा जाता है। इसमें अवधि मुकर्रर नहीं हो सकती उसमें जो कुछ जांच की जाती है, जिसकी जरूरत होती है उसके लिये भी कोई अवधि मुकर्रर करना कठिन है।

१० मार्च, १९५८ के स्थगित तारांकित प्रश्न

* * * *

गाजीपुर जिले में लट्ठूडीह--कोटवा सड़क ऊंची करने का कार्य तथा मंगई नदी की बाढ़ योजना

*६---**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में लट्ठूडीह से कोटवा तक बाढ़ विभाग द्वारा कच्ची सड़क पर जो मिट्टी डाली गई है उसकी पूरी योजना क्या है ? उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री कैलाशप्रकाश---उत्तर प्रदेश के बाढ़ समिति (फ्लड बोर्ड) ने गाजीपुर जिले में २० मील सड़क बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में ऊंची करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है, इसी स्वीकृति के अन्तर्गत लट्ठूडीह से कोटवा तक की सड़क ऊंची की जा रही है। इस सड़क पर लगभग ६० प्रति सैकड़ा कार्य सम्पन्न हो चुका है, शेष कार्य हो रहा है तथा सन् १९५८ ई० के वर्षा ऋतु आरम्भ होने के पूर्व ही समाप्त हो जायगा।

*७---**श्री यमुनासिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में मंगई नदी के पूर्वी भाग के बाढ़ नियन्त्रित करने की कोई योजना थी ? यदि हां, तो वह क्यों स्थगित कर दी गई ? उपर्युक्त मंगई नदी की बाढ़ से बचाने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

श्री कैलाशप्रकाश---उत्तर प्रदेश की बाढ़ समिति ने गाजीपुर जिले में मंगई नदी से बाढ़ बचाव की योजना अभी तक कोई भी नहीं स्वीकार की है। कुछ सर्वे का कार्य चल अवश्य रहा है किन्तु अभी तक कोई पूर्ण योजना नहीं बन पाई है।

*८---**श्री यमुनासिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में मंगई नदी पर हाटा के टूटे हुये पुल के बनाने की योजना सरकार के समक्ष है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब प्रारम्भ होने जा रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश---गाजीपुर जिले में मंगई नदी पर हाटा के निकट टूटे हुए पुल का पुननिर्माण करने का कोई प्रस्ताव (योजना) इस विभाग में नहीं है।

श्री यमुनासिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लट्ठूडीह सड़क पर पिछले किस सन् में काम लगा था ?

श्री कैलाशप्रकाश--इसके लिये सूचना ही आवश्यकता होगी ।

श्री यमुनासिंह--क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर मिट्टी कड़ी है जो सख्त पड़ती है और उस में रेत कम है जिस वजह से देर हो रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--मैं तो निवेदन कर चुका कि इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सड़क पर जो मिट्टी डाली जायगी उसमें कितना पैसा खर्च किया जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--इस समय ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री यमुनासिंह--क्या सरकार के सामने कोई ऐसी योजना है कि मंगई नदी के दोनों हाशिये पर बांध बांध दिया जाय ताकि बाढ़ का पानी फैलने न पाये ?

श्री कैलाशप्रकाश--अभी ऐसी कोई स्वीकृत योजना नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--यह सर्वे कब से आरम्भ हुआ और कब तक समाप्त होगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--पूरा करने का तो शीघ्र ही प्रयत्न है ।

* * *

दोहरीघाट पम्प नहर के शीर्षस्थल पर के मजदूरों की बकाया मजदूरी की शिकायत

*११--**श्री झारखंडेराय**--क्या सरकार को विदित है कि दोहरीघाट पम्प नहर (आजमगढ़) के शीर्षस्थल (Head) पर काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों की मजदूरी का लगभग १२ हजार रुपया लेकर एक ठेकेदार भाग गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं, कोई ठेकेदार मजदूरों की मजदूरी लेकर नहीं भागा है ।

*१२--**श्री झारखंडेराय**--यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उस ठेकेदार से मजदूरों को मजदूरी का रुपया दिलाने के लिये वह क्या कदम उठा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि इन्हीं मजदूरों की मजदूरी को लेकर भागने के सिलसिले में प्रश्नकर्ता महोदय तथा श्री चन्द्रजीत यादव, दोनों ने वहां के इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर से बात की और उन्होंने स्वीकार किया कि रुपया लेकर भागा है और वह दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और डी० एम० से इसकी शिकायत की गयी और उन्होंने वचन दिया कि हम इसके लिये कोशिश करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं । जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार कोई ऐसी सूचना यहां नहीं है ।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न को सूचना मान कर इसकी जांच करायेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां, अगर कृपा कर लिख कर आप भेज दें तो ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री के कार्यालय में लगभग २५०, ३०० वहां के मजदूरों की दरख्वास्तें आई हैं कि हमारी मजदूरी जो हजारों रुपये में होती है, फलाने ठेकेदार ने नहीं दी है और वह फलां इंजीनियर से सम्बन्धित है जो बनारस का रहनेवाला है ? यदि आई है, तो जांच क्यों नहीं कराई गई ?

श्री कैलाशप्रकाश---मेरे पास सूचना नहीं है। माननीय सदस्य कहते हैं तो मैं जांच करा लूंगा।

दोहरीघाट पम्प नहर चालू होने में बिलम्ब

*१३---**श्री झारखंडेराय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दोहरीघाट पम्प नहर के निर्माण कार्य विदेशी धनाभाव के कारण स्थगित होने जा रहे हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं, दोहरीघाट पम्प नहर का निर्माण कार्य स्थगित नहीं किया जा रहा है।

श्री झारखंडेराय---क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से दोहरीघाट पम्प नहर पूरी खुद जाने के बाद भी अभी तक पानी नहीं दे रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश---इसके लिये पम्पों की आवश्यकता है। ४ पम्प तो प्राप्त कर लिये गये हैं लेकिन उनके कुछ सहायक भागों की आवश्यकता है जो मंगवाये जा रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दोहरीघाट पम्प नहर कब तक पूरी होने की आशा है ?

श्री कैलाशप्रकाश---चूंकि बाहर से कुछ चीजें मंगवाने की बात है, इसलिये निश्चित तिथि या समय देना दुश्वार है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---इस नहर में जो रुपया लग चुका है उसके अलावा कितना और लगेगा और कितने के सामान की कमी है ?

श्री कैलाशप्रकाश---कितना रुपया लगा है, इसके लिये सूचना चाहिये। लेकिन इसमें ८ पम्पों की आवश्यकता है जिसमें लगभग १३ लाख रुपया लगेगा और उसके लिये फारेन एक्सचेन्ज की भी आवश्यकता होगी जो केन्द्रीय सरकार स्वीकार करती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि सन् १९५८ की रबी में भी इस पम्प से पानी नहीं मिल सकेगा ?

श्री कैलाशप्रकाश---कोशिश की जावेगी कि मिल सके लेकिन आगे की बात क्या कही जा सकती है ?

वाराणसी जिले के जालुपुर कठहर परगने में नलकूपों का स्तर नीचा होने की शिकायत

*१४---**श्री लोकनाथसिंह** (जिला वाराणसी)---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना जालुपुर कठहर, जिला वाराणसी में निचले स्तर पर जो ट्यूब-वेल बने हैं वे कब तक ठीक कर दिये जायंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---जिला वाराणसी के परगना जालुपुर कठहर में कोई भी नलकूप नीचे स्तर पर नहीं बना। अतः उनको ठीक करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री लोकनाथसिंह---क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उमराहा और खाओंपुर के ट्यूबवेल नीचे स्तर पर बने हैं और उनसे पूरी सिंचाई नहीं हो पाती है ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस समय कुछ कहना कठिन है लेकिन जो सूचना प्राप्त है उसके अनुसार जो १८ नलकूप इस परगने में बनाये गये हैं वे ठीक ही स्थानों पर बनाये गये हैं और ठीक तरह से सिंचाई कर रहे हैं।

श्री लोकनाथसिंह—क्या सिंचाई मंत्री हमारे नोटिस को सूचना समझ कर जांच करायेंगे कि बहुत से ट्यूबवेल नीचे स्तर पर हैं और पूरी सिंचाई नहीं हो पा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यदि माननीय सदस्य उन ट्यूबवेलों के नाम बतावें तो जांच कराने में सहूलियत होगी।

* * * *

*१८—श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में बदायूं से आने वाली सौत नदी पर सिंचाई की सहूलियत के लिये बांध बनाने की योजना सरकार की ओर से चल रही है ?

सिंचाई राज्यमंत्री (श्री राममूर्ति) (अनुपस्थित)—जी हां, सौत नदी पर बांध बनाने की योजना विचाराधीन है।

*१९—श्री रूमसिंह (अनुपस्थित)—क्या उस योजना से ग्राम टड़ई, लक्ष्मनपुर, हरजूनगला परगना जलालाबाद भी आते हैं और यहां पर भी बांध बनेगा ? यदि हां, तो और किन-किन गांवों में बांध बनेगा तथा इस ओर कब से काम प्रारम्भ होगा ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—जी हां, इस योजना से टंडई, लछमनपुर हरजूनगला परगना जलालाबाद की भी सिंचाई हो सकेगी। इस योजना के अन्तर्गत बदायूं जिले के शाहपुर तथा अकबरपुर स्थानों पर नहर के उद्गम स्थान बनाने का प्रस्ताव है। अभी इस योजना की सर्वे हो रही है और तखमीना बनाया जा रहा है।

* * * *

मऊरानीपुर तहसील में सपरार नहर की झालें नीची होने की शिकायत

*२५—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सपरार नहर, मऊ की झालें नीची बनाई गई हैं जिससे पानी कुलाबों में नहीं पहुंचता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन झालों को ऊंचा बनवाने का इरादा रखती है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, झालों की ऊंचाई आवश्यकतानुसार ठीक है।

*२६—श्रीमती बेनीबाई—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सपरार नहर (मऊरानीपुर) की कितनी झालें नीची हैं, जिनको ऊंचा किया जाना है ? यदि किया जाना है, तो कब तक ?

श्री कैलाशप्रकाश—प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती बेनीबाई—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन झालों से जितना रकबा सींचने के लिये निर्धारित हुआ था वह पूरा नहीं सींचा जा रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जितना रकबा प्रस्तावित था उतनी सिंचाई नहीं हो रही है। इसमें कठिनाई इस बात की पड़ रही है कि जो गूल काश्तकारों को स्वयं बनानी होती हैं वे नहीं बना पाते हैं।

श्रीमती बेनीबाई—क्या मंत्री जी इन झालों की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। झाल ठीक तरीके से बनी हुई हैं।

श्री वीरेंद्र वर्मा---क्या मंत्री जी के पास किसानों की इस सम्बन्ध में शिकायत आई है कि प्रस्तावित सिंचाई इस कारण से नहीं हो रही है कि झालें बहुत नीची हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---आई होंगी । किन्तु जैसा मैंने उत्तर दिया है, विभाग के द्वारा उनकी जांच की गई और वे आवश्यकतानुसार ठीक महसूस हुई हैं ।

श्री उग्रसेन---उक्त नहर के कमान्ड एरिया में कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई हो रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, ५७-५८ में रबी में २११२ हुई और प्रस्तावित क्षेत्र था १०,७०० ।

श्री वीरेंद्र वर्मा---कुलाबों के ऊपर जो पानी का दबाव ९ इंच होना चाहिये, क्या यह सही है कि वह ९ इंच के नियम के अनुसार सही नहीं है ?

श्री कैलाशप्रकाश---मैं समझता हूं कि सही होगा । यदि माननीय सदस्य को कोई ऐसी सूचना है तो जांच करा ली जावेगी ।

* * * *

मेरठ जिले में नानू गांव को बरसाती पानी से बचाने की योजना

*२९---श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)---क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ जिले की सरधना तहसील के अन्तर्गत गांव नानू हर वर्ष वर्षा ऋतु में पानी से घिर जाता है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां ।

श्री रामजीलाल सहायक---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस गांव को पानी से बचाने के लिये बाढ़ समिति ने कोई योजना बनाई थी ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, योजना है ।

श्री रामजीलाल सहायक---इस योजना में अभी तक कितना कार्य हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश---नाला खोदा जा रहा है ।

श्री रामजीलाल सहायक---क्या यह सही है कि अभी तक इस योजना पर कुछ भी कार्य नहीं हुआ है और नाला-वाला कुछ भी नहीं खोदा गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---सूचना की आवश्यकता है कि कितना काम हो चुका है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मन्त्री जी इस योजना की रूपरेखा बतलाने की कृपा करेंगे कि वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष---बतला दिया गया है कि नाला खोदा गया है ।

श्री उग्रसेन---जब प्रदेश के अन्य गांवों का स्तर ऊंचा किया जा रहा है तो इस नानू गांव का स्तर ऊंचा क्यों नहीं किया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जब यह नाला खुद जायगा तो यह आशा की जाती है कि पानी निकल जायगा ।

झांसी जिले के भुचेरा ग्राम में तालाब बनाने की योजना

*३०—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जिला झांसी, तहसील ललितपुर के भुचेरा ग्राम में तालाब बनाने की योजना स्वीकार की है ? यदि हां, तो तालाब कब तक बनेगा और उसमें कितना धन व्यय होगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं । भुचेरा में ताल बनाने की एक योजना अभी सरकार के विचाराधीन है । इस योजना का अनुमानित व्यय लगभग १,६०,१०० रुपया होगा ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि यह योजना गतवर्ष स्वीकार हो चुकी है और उसका रुपया भी स्वीकार हो चुका है ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि सरकार ने कोई ऐसा निश्चय किया है कि किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व भूमि का मुआवजा अदा कर दिया जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, यह तो सरकार प्रयत्न करती ही है कि जो भूमि ली जाय उसका मुआवजा शीघ्र से शीघ्र दिया जाय ।

बखिरा पम्प नहर का चालू होना

*३१—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बखिरा पम्प नहर कब से चलने लगेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—बखिरा नं० १ दिनांक २८-११-५७ को सिंचाई के लिये चालित कर दी गई है । बखिरा नहर नं० २ के अप्रैल, १९५८ तक चल जाने की आशा है ।

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो नहर नवम्बर से चालू हुई उससे कितने एकड़ सिंचाई हुई और कितने दिन चली ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

* * * *

गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील के कुछ ग्रामों को ऊंचा करने की प्रार्थना

*४३—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार के पास गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील के सितलापुर ग्राम के टोला गोसाईंपुर तथा ग्राम ढ़ेसो के टोला रामनगर तथा ग्राम बढ़ढ़या के टोला गुलरिहवा के निवासियों की दरख्वास्तें ऊंची जमीन पर बसने के निमित्त जमीन मांगने के सम्बन्ध में गत सितम्बर-अक्तूबर मास में प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—ग्राम गोसांईपुर, टोला रामनगर तथा गुलरिहवा के निवासियों के कोई प्रार्थना-पत्र वहां की आबादी के पुनर्वास हेतु नहीं प्राप्त हुए ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी को किसी भी सूत्र से यह सूचना है कि गत वर्ष बाढ़ से उक्त गांव डूब चुके थे ?

श्री कैलाशप्रकाश—हो सकता है माननीय मन्त्री जी को कोई निजी सूचना हो लेकिन पत्रावली में जो सूचना है, वह इसी प्रकार से है ।

पीलीभीत जिले के शारदा सागर के कर्मचारियों की मांगें

*४४—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार के पास पीलीभीत जिले के शारदा सागर के कर्मचारियों की कुछ मांगें गत सितम्बर मास में प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी को उन प्रस्तावों की कोई भी प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी, जो उन कर्मचारियों ने आम सभा में पास किये थे ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, कहा जाता है कि उनकी एक यूनियन है, स्वीकृत तो है नहीं, लेकिन उन्होंने मिलकर कोई पत्र बनाया था और उसमें कुछ मांगें उपस्थित की थीं ?

श्री मदन पांडेय—उन मांगों पर क्या विचार हुआ ?

श्री कैलाशप्रकाश—विभाग के अभियन्ता ने उन मांगों को देखा तथा उन्हें उनमें जो मांगें उचित प्रतीत हुईं, उनमें कार्यवाही की और जो उचित प्रतीत नहीं हुईं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी उन मुख्य-मुख्य मांगों का विवरण सदन के समक्ष रखेंगे जो मंजूर हुईं ?

श्री कैलाशप्रकाश—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास वे मांगें ३ पृष्ठों में हैं, उनमें से मुख्य-मुख्य छांटना कठिन है । आप की आज्ञा हो तो उनको पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष—वे जानना चाहते हैं कि उनमें जो मंजूर हुई हैं, उनमें से जो मुख्य-मुख्य हैं, उनको आप पढ़ कर सुना दें ।

श्री कैलाश प्रकाश—उनकी एक मांग यह थी कि नियुक्ति-पत्र प्रत्येक कर्मचारी को दिया जाय; इसको स्वीकार कर लिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—अगर आप के पास वह छपी हुई नहीं हैं तो आप चाहें तो नोटिस मांग लें ।

* * * *

फर्रुखाबाद जिले की कन्नौज तहसील में काली व गंगा नदियों के बीच सिंचाई के साधनों की कमी

*४६—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद में काली नदी व गंगा नदी के बीच डडवारी क्षेत्र तथा मौजा हमीरपुर, रहमतपुर, औसेर सिमरिया, हरेईपुर, उमरन में सिंचाई के साधन उपलब्ध करने हेतु वह क्या कदम उठा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—तहसील कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद में काली नदी व गंगा नदी के बीच क क्षेत्र के हेतु कोई सिंचाई योजना नहीं है और न कोई सिंचाई सुविधा ही हाल में होने की सम्भावना है । मौजा हरेईपुर की सिंचाई रजवहा खेरनगर से होती है । बाकी मौजों की सिंचाई हेतु कन्सुआ रजबहा के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि काली नदी और गंगा नदी के बीच में जो रकबा है उसके लिये कोई सिंचाई की योजना नहीं है, इसका क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब माननीय मन्त्री जी किसी प्रश्न का जवाब ही नहीं दे रहे हैं तो फिर क्यों सदन का समय जाया किया जा रहा है ? जब माननीय सिंचाई मन्त्री जी आयेंगे तो जवाब देंगे । इसलिये इसको स्थगित कर दिया जाय क्योंकि एक भी सप्लीमेंटरी का जवाब नहीं मिल रहा है ।

श्री अध्यक्ष—यह तो ठीक है, जब उनके पास जवाब नहीं होगा तो नोटिस मांगेंगे ही ।

श्री होरीलाल यादव—मैं दूसरे हिस्से के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं ।

* * * *

अल्मोड़ा जिले में कुछ गांवों की सुरक्षा के लिये एबटमेंट दीवारें बनाने की मांग

*४८—श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास जिला अल्मोड़ा के परगना दानपुर के ग्राम उतरौड़ा परमटी, गैरखेत, हड़सीला चीराबगढ़, सूपी लोहारखेत आदि तथा परगना बारामंडल के लमटाना ग्रामों को सन् १९५७ की बाढ़ से अत्यधिक नुकसान पहुंचने और भविष्य में थोड़ी वर्षा से इनके बह जाने के भय उत्पन्न हो जाने से इनकी सुरक्षा के लिये एबटमेंट (abutment) दीवारें बनाये जाने की प्रार्थनायें उनको मिली हैं ? अगर हां, तो कब और उनमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, कपकोट, गैरखेत, परमटी, उतरौड़ा, हरसीला परगना दानपुर में और ग्राम लमटाना, परगना बाडामंडल, जिला अल्मोड़ा में सन् १९५७ की बाढ़ में क्षति पहुंचने के विषय में प्रार्थनायें आई हैं और इनकी मौके पर जांच कराई गई है ।

परगना दानपुर स्थित गांवों का मौके पर निरीक्षण किया गया जिनको सरयू नदी के १९५७ की बाढ़ से क्षति पहुंची थी । जांच करने पर मालूम हुआ कि क्षति बहुत मामूली हुई थी केवल थोड़ी सी जमीन परमटी, गैरखेत, हरसीला, चीरबगढ़ में बह गई थी जैसा कि बरसात में हुआ करता है ।

कुछ क्षति इसी प्रकार की उतरौड़ा गांव में भी हुई जिसके वास्ते विस्तारपूर्वक जांच की जा रही है और जिसके बचाव के लिये एक एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है ।

कपकोट बाजार को भी सरयू नदी की बाढ़ से खतरा है जिसके बचाव के लिये एक एस्टीमेट ४९,६८२ रु० की लागत का बनाया गया है । यह कार्य शीघ्र ही कार्यान्वित किया जावेगा । लमटाना उर्फ गोली मोहर गांव भी खतरे में है । इस गांव में जमीन सन् १९२४ के भूचाल से बराबर धंसती जा रही है जगह-जगह दरारें पड़ गयीं हैं । जमीन काश्त के योग्य नहीं रही है, गांव के किसानों को वहां रहने में भी खतरा है । इस तरह की क्षति से गांव का बचाना असम्भव है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि सरयू के किनारे के इन गांवों के लिये लोहारखेत में एबटमेंट की दीवार न बनने से बाढ़ में ४२ मनुष्य मर गये और सैकड़ों मवेशी बह गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, यह तो मालूम नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि जिन गांवों की लिस्ट दी गई है, उनके घरों के आंगन टूट गये हैं और गांव में दरारें पड़ गयी हैं, जिससे जोर से वर्षा होने पर सारे गांव के बह जाने का खतरा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके बारे में तो मैं अपने उत्तर में कह चुका हूं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी को यह पता है कि कुछ साल पूर्व राममूर्ति जी जब लमटाना ग्राम में गये थे तो वहां की शोचनीय दशा को देख कर उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि शीघ्र से शीघ्र एबटमेंट दीवारें बना दी जायंगी ?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल पैदा नहीं होता । उन्होंने तो बतला दिया कि संबंधित माननीय मन्त्री जी सदन में नहीं हैं, इसलिये वे नहीं बतला सकते हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मन्त्री जी से अर्ज करना चाहता हूं, जैसा कि पांडेय जी ने भी कहा है कि माननीय राममूर्ति जी नहीं हैं, तो माननीय मन्त्री जी सिर्फ कागज पढ़ कर फर्ज अदायगी कर रहे हैं । चूंकि सवाल का कोई जवाब नहीं आ रहा है, इसलिये सिंचाई सम्बन्धी सवालों को आज स्थगित कर दिया जाय । क्योंकि माननीय राममूर्ति जी को हर चीज मालूम है और उन्होंने कई स्थानों का मौके पर मुआयना भी किया है ....

श्री अध्यक्ष—इनमें से बहुत से प्रश्न तो पहले से ही स्थगित थे । अगर कोई बात पूछने से रह जाय तो आप फिर से प्रश्न पूछ लें क्योंकि फिर से स्थगित होने के बाद न मालूम प्रश्न फिर कब कार्यवाही में शामिल हों ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—यह ऐसा सवाल है और सदन में स्वीकार भी किया गया था .....

श्री अध्यक्ष—जितनी जानकारी आप को मिल जाय वह ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष राममूर्ति जी से जो बातचीत हुई है वह जवाब तो गृह मन्त्री जी दे नहीं सकते, और वे तो इस समय बीमार हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—कामरोको प्रस्ताव भी आया था.....

श्री अध्यक्ष—आप लिख कर भेज दें, अगर कोई कार्यवाही करना है तो मन्त्री जी से आप पत्रव्यवहार भी कर सकते हैं ।

ग्राम चदरा मारा, जिला बांदा के किसानों को ओहन बांध में पड़ी जमीन का मुआवजा न मिलना

*४९—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार चदरा मारा (बांदा) ग्राम के किसानों को जिनकी जमीन ओहन बांध में पड़ी है उन्हें कब तक खेतों तथा पेड़ों का मुआवजा देने का विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—दिसम्बर, १९५८ तक मुआवजा वितरण होने की आशा है ।

*५०—श्री जगपतिसिंह—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इन किसानों को पेड़ों व जमीन का मुआवजा किस रेट से चुकाने का विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—मुआवजा की दर लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट (Land Acquisition Act) के नियमों के अनुसार होगी ।

श्री जगपतिसिंह—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिसकी जमीन ली जाती है उसको कितने दिन में मुआवजा देने का कायदा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं दिसम्बर, १९५८ तक मुआवजा दिया जायगा और जल्द से जल्द उसका वितरण करने की कोशिश की जायगी ।

श्री जगपतिसिंह—क्योंकि उनकी जमीन को लिये हुए एक साल हो गया इसलिये उनके भरण-पोषण के लिये इस समय कोई सहायता करने का मन्त्री जी का विचार है ?

श्री कैलाशप्रकाश—मुआवजा तो नियमानुसार दिया जाता है और नियमों की पूर्ति के लिये जांच-परताल करनी पड़ती है, उसमें कुछ देर होना भी सम्भावित है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस चदरा मारा गांव की जमीन कब बांध के लिये ली गयी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री उग्रसेन—क्या सरकार बतायेगी कि उस बांध में जिन किसानों की जमीन ली गई है और जिसके मुआवजे की बात है, वह कुल कितनी मुआवजे की रकम होगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह तो जब मुआवजा निर्धारित होगा तभी बताया जा सकता है, अभी इसकी जांच हो रही है ।

फैजाबाद जिले में टांडा पम्प नहर का चालू होना

*५१—**श्री जयराम वर्मा** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जिले में महरीपुर घाट से निकलने वाली टांडा पम्प नहर से सिंचाई के लिये पानी देने की व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—टांडा नहर १२० क्यूसेक्स की क्षमता से नवम्बर, १९५८ तक रबी की सिंचाई के लिये चल जाने की आशा है ।

*५२—**श्री जयराम वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उक्त नहर की एक माइनर चार वर्ष से अधिक से खोल रखी गई है, जिससे पुरानी सिंचाई की सुविधाओं में भी बाधा पड़ गई है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—जी नहीं, ऐसी कोई माइनर नहीं खोली गई जिससे पुरानी सिंचाई की सुविधाओं में भी बाधा पड़ी हो ।

*५३—**श्री जयराम वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि फैजाबाद जिले की टांडा तहसील के लगभग तीन चौथाई भाग में सिंचाई की सुविधा की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है ? यदि हां, तो उसके लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—वर्तमान सिंचाई योजनाओं से टांडा तहसील का लगभग १/३ भाग ही लाभान्वित होता है । इस तहसील के शेष भाग की सिंचाई के लिये एक अन्य शाखा का निकालना भी विचाराधीन है, जिसके अन्तर्गत टांडा नहर से १०७ मील लम्बी शाखायें बनाने का प्रस्ताव है ।

* * * *

हरदोई जिले में पिपरी जरारा खेरियां गांवों के निकट नहर कट जाने से कथित क्षति

*५७—**श्री बुलाकीराम** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या यह सरकार को मालूम है कि सन् १९५७ में हरदोई के पिपरी जरारा खेरियां गांवों के पास नहर कट जाने के फलस्वरूप सैकड़ों बीघा रबी डूब कर सड़ गई है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—ऐसी कोई नहर नहीं कटी ।

*५८—श्री बुलाकीराम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी जानती है कि पिछले कई वर्षों से उसी जगह नहर कट जाया करती है और उसकी स्थायी मरम्मत नहीं हुई है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—जी नहीं, उस स्थान पर नहर नहीं कटती। स्थायी मरम्मत का प्रश्न ही नहीं उठता।

*५९—श्री बुलाकीराम (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की क्षतिपूर्ति करने पर विचार करेगी और जिन कर्मचारियों की असावधानी के कारण हर साल यह भारी नुकसान होता है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—यह सवाल पैदा नहीं होता।

* * *

प्रतापगढ़ जिले में तालाबों से पानी निकालने की योजनायें

*६३—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला प्रतापगढ़ में पट्टी तहसील के तालाबों के पानी को निकालने के लिये जो तीन योजनायें (Drainage System) सरकार के विचाराधीन हैं, उनमें क्या प्रगति हुई ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—जी हां, पानी के निकास की तीन योजनाएं निम्न-लिखित हैं :

१—उमरन डेन, ताल मनसेटा नालाड्रेन।

२—कमासिन ताल, सूखऊ सिंह बांध, बसूही नदी ड्रेन।

३—अतर सन्ड ड्रेन।

यह तीनों योजनायें मन्जूर हो चुकी हैं और उन पर कार्य आरम्भ करने की आज्ञा भी प्राप्त ही चुकी है। एस्टीमेट बन चुके हैं और जमीन एक्वायर करने के कागजात तैयार किये जा रहे हैं। जमीन एक्वायर हो जाने पर निर्माण-कार्य आरम्भ हो जायगा।

*६४—श्री रामकिंकर (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि उपर्युक्त तीन योजनाओं में से किसी एक योजना को कार्यान्वित करने के लिये कई वर्ष पहले कुछ धन व्यय किया गया था और बाद में रुकावट पड़ गई ? यदि हां, तो क्या कारण थे ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—तीनों योजनाएं पानी के पुराने निकास के रास्ते को सुधारने की हैं। पहली योजना से संबंधित क्षेत्र के पानी के निकास के लिये कुछ वर्ष पहले कुछ प्रयत्न किया गया था। उमरन और डेन ताल से मनसेटा नाले तक दो सीधी नाली खोदने की योजना थी। भूमि सरकार की ओर से एक्वायर की गई थी और खुदाई श्रमदान से होनी थी। नालियां पूरी न खुदने के कारण काम न दे सकीं। अब बाकी बड़े क्षेत्र के पानी के निकास की योजना बनाई गई है और उमरन ताल को डैन ताल में मिला कर डैन ताल से मनसेटा नाला तक बड़ी नाली खोद कर पानी के निकास का प्रबन्ध किया जायेगा। यह नाली पुरानी अधखुदी नाली के रास्ते पर ही होगी।

माताटीला बांध पर जमा किया गया सीमेंट

*६५—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध पर इस समय कितना सीमेंट (१३-१२-५७) को जमा है और उसमें से कितनी बोरी गोदामों में और कितनी बाहर मैदान में रखी हैं ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—माताटीला बांध पर १३-१२-५७ को २,८५,७४४ बोरी सीमेंट जमा थी। सभी बोरियां गोदाम में थीं।

*६६—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६–५७ में उक्त बांध के लिये सीमेंट की कमी होने के कारण क्या कुछ सीमेंट विभिन्न विभागों से लिया गया था ? यदि हां, तो किन-किन विभागों से, कब-कब तथा कितना-कितना लिया गया था ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था ।

फर्रुखाबाद जिले में नलकूप योजना तथा छिबरामऊ तहसील में सिंचाई के साधनों की कमी

*६७—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ तहसील के उस हिस्से में जो छिबरामऊ के पूर्व जी० टी० रोड़ और ईसन नदी के बीच में है सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में सिंचाई का कोई शीघ्र प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ तहसील के उस भाग में जो छिबरामऊ के पूर्व जी० टी० रोड और ईसन नदी के मध्य में स्थित है, २० नलकूप निर्माण किये गये हैं जो सिंचाई कर रहे हैं । इस क्षेत्र में ४ नलकूप निर्माण करने के लिये खुदाई अभी हाल में की गई थी, पर पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने के कारण उसे छोड़ना पड़ा ।

*६८—श्री कोतवाल सिंह भदौरिया—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फर्रुखाबाद जिले में २२ ट्यूबवेल बनने को हैं वह कहां-कहां बनेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह सत्य है कि जिला फर्रुखाबाद में २२ नलकूपों का निर्माण होगा । नलकूपों की सर्वे प्रगतिशील है । उनकी साइट या स्थानों के विषय में अभी निश्चित नहीं किया गया है । नलकूपों का तहसीलवार विवरण निम्नलिखित है :—

नाम तहसील			संख्या नलकूप
फर्रुखाबाद	..	..	५
कन्नौज	..	..	८
छिबरामऊ	..	..	९
		योग..	२२

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या मंत्री जी इस बात को महसूस करते हुए कि छिबरामऊ तहसील का पूर्वी हिस्सा, जी० टी० रोड का हिस्सा बिलकुल खाली है वहां सिंचाई का ठीक प्रबन्ध करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, इस क्षेत्र में सिंचाई के लिये बेवर ब्रान्च के बम्बों को विस्तार करने का भी प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बतायेगी कि जिन जगहों के ऊपर पानी नलकूपों के लिये पर्याप्त नहीं मिलता है वहां कोई दूसरी योजना सिंचाई के लिये लागू करने का विचार है ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, जहां नलकूप भी नहीं हो सकते और कोई भी साधन सिंचाई के नहीं हो सकते वहां तो योजना बन ही क्या सकती है ।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि फर्रुखाबाद तहसील में केवल ५ ही नलकूप के लिये क्यों व्यवस्था है, जब कि इतनी बड़ी तहसील है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह तो जब २२ नलकूपों का बटवारा करना था और आवश्यकता के अनुसार वहां इनका बटवारा किया गया। यह संभव है कि और भी वहां आवश्यकता हो।

कानपुर जिले के जांभू, जमरेही आदि ग्रामों में पानी रुक जाना

*६९—**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जिला कानपुर के मौजा जांभू, जमरेही, हरवंशपुर तथा विधनू के आस पास का पानी सिमट कर तथा करसुई करियाझाल की झील की ओर इकट्ठा होकर प्रतिवर्ष वहां के आस-पास ग्रामों की फसल को बरबाद कर देता है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—जी हां, परन्तु ऐसा जभी होता है जब कठारा ग्राम के किसान अपने खेतों को बचाने के लिये करसुई करिया झील में पानी न आने के हेतु बांध बना देते हैं जिससे बरसाती पानी फैलकर खेतों को कुछ हानि अवश्य पहुंचाता है।

*७०—**श्री मोतीलाल अवस्थी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही कर के मौजा हरबंशपुर व किशनपुर (कानपुर) के बीच खारजा नाली खोद कर पानी के निकास का प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—इस क्षेत्र का इकट्ठा पानी एक प्राकृतिक नाले द्वारा इस विभाग के शिवगंज चुरई नाले में आकर गिरता था, इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस नाले के रास्ते में काश्तकारों ने जमीन तोड़ कर खेती करनी आरम्भ कर दी है जिससे पानी का निकास रुक सा गया है।

* * *

सहारनपुर जिले के चिलगाना परगने में कुछ गांवों को बरसाती पानी से खतरा

*८१—**श्रीमती शकुंतलादेवी** (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि अगस्त, १९५७ में सहारनपुर के चिलगाना परगने में टोडरपुर के पास लगभग ६० या ७० गांव के बहने का भयानक खतरा था ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कर रही है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—जी हां, बरसात में यमुना खादर में स्थित गांवों को बाढ़ से खतरा सदैव की भांति उत्पन्न हो जाता है।

गाजीपुर जिले की जमानिया तहसील में ग्रामों को ऊंचा करने का कथित कार्य

*८२—**श्री मूलचन्द** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला गाजीपुर, तहसील जमानियां में कुछ ऐसे ग्रामों का स्तर ऊंचा किया गया है जो बाढ़ में कभी नहीं डूबे ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—गाजीपुर जिले की जमानिया तहसील में किसी ऐसे गांव में जो कि गंगा अथवा कर्मनाशा नदी की बाढ़ में न डूबा हो ऊंचा करने का कार्य नहीं किया गया।

*८३—श्री मूलचन्द (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि जो अधिकारी उक्त गावों का स्तर ऊंचा करने के लिये उत्तरदायी हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—किसी भी कर्मचारी को दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता ।

* * *

मुरादाबाद जिले की हसनपुर तहसील के बाढ़ क्षेत्र की रक्षा के लिये गंगा के किनारे बांध निर्माण योजना

*८५—श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिले में तहसील हसनपुर के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की रक्षा के लिये गंगा के किनारे बांध लगाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, तहसील हसनपुर के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की रक्षा के हेतु एक ३७ मील लम्बा बांध बनाने की योजना है । इस बांध के बनाने में लगभग २४ लाख रुपया खर्च में आयेगा ।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस बांध के बनने से कितनी भूमि की रक्षा होगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

श्री सुक्खनलाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस योजना को कब से लागू करने का विचार है ?

श्री कैलाशप्रकाश—धन उपलब्ध करने का प्रयत्न हो रहा है उसके बाद ही योजना चालू हो जायगी ।

श्री सुक्खन लाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कैनाल विभाग द्वारा इस बांध का कोई १९५७ में सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री कैलाशप्रकाश—सर्वे कराया ही गया होगा तभी योजना बनायी गयी है । प्रश्न केवल इतना ही है कि धन उपलब्ध होना चाहिये ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे कि क्या ३७ मील लम्बा बांध बनेगा ? क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा यह स्वीकृत हो चुका है ?

श्री कैलाशप्रकाश—केन्द्रीय सरकार ने सेकेन्ड फाईव ईयर प्लान में इस बात के लिये १० करोड़ रुपया दिया था किन्तु उन्होंने अब उसको घटाकर ९ करोड़ कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष—जरा आप स्पष्ट कर दें कि क्या इस बांध के लिये १० करोड़ रुपया दिया था ।

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, बात यह है दूसरी पंचवर्षीय योजना में बाढ़ कोष में जो केन्द्रीय सरकार ने धन दिया था वह १० करोड़ था और उस १० करोड़ के अन्तर्गत जो योजनायें बनी थीं उनमें यह योजना भी सम्मिलित थी । किन्तु उस धनराशि को अब ९ करोड़ कर दिया है इसलिये उसमें यह सम्मिलित नहीं है ।

श्री जगदीश प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस बांध के न बनने से चार पांच वर्ष में ३७ मील लम्बा और ४ मील चौड़ा क्षेत्र लगभग खेती और रहने के अयोग्य हो जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, यह तो जानकारी है कि इस बांध के न बनने से वहां के काफी क्षेत्र को क्षति पहुंचती है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३७ मील लम्बे उस बांध को धनाभाव के कारण जो स्थगित किया है तो क्या सिंचाई विभाग की ऐसी कोई योजना है कि छोटे-छोटे टुकड़ों में इस कार्य को किया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश—अभी तो कोई योजना नहीं है । माननीय सदस्य यदि कोई ऐसा सुझाव देंगे कि वह छोटे-छोटे टुकड़ों में बिना धन लगाये हुए पूरा हो सके तो उस पर विचार किया जायगा ।

* * * *

मेकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिवीजन, वाराणसी के अनक्वालीफाइड सुपरवाइजर

*९४—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ में मेकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिवीजन, वाराणसी में कितने अन-क्वालीफाइड सुपरवाइजर थे ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—सन् १९५७ में मेकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिवीजन, वाराणसी में कुल २ अनक्वालीफाइड सुपरवाइजर थे ।

* * * *

ग्राम सलैया बुजुर्ग, जिला जालौन के विशेष कुएं

*९९—**श्री चित्तरसिंह निरंजन** (जिला जालौन)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला जालौन के अन्तर्गत कोंच तहसील में स्थित ग्राम सलैया बुजुर्ग में ऐसे कुएं हैं कि जिन से निरन्तर पर्याप्त मात्रा में पानी निकलता रहता है और उक्त पानी का वेग काफी तेज और अच्छी मात्रा में है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां ।

*१००—**श्री चित्तरसिंह निरंजन**—यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पानी को सार्वजनिक हित के प्रयोग में लाने के लिये कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं ।

श्री चित्तरसिंह निरंजन—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उन कुओं के पानी का वेग फी घंटा कितने गैलन है ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, ऐसे दो कुएं हैं और यह तो इस समय मेरे पास नहीं है कि कितने गैलन पानी फी घंटा निकलता है. लेकिन हां, उन दोनों कुओं से केवल चार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है ।

श्री समसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इन कुओं के पानी को सार्वजनिक हित में नहीं लाने का कारण क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—पहला कारण तो यह है कि जहां यह कुएं स्थित हैं वहां पर एक माइनर है जिसके द्वारा उस क्षेत्र की सिंचाई हो जाती है और दूसरा कारण मैं बता चुका हूं कि इन कुंओं से इतना पानी निकलता है कि जो केवल ४ एकड़ भूमि की सिंचाई कर सकता है।

* * * *

नैनीताल जिले के टनकपुर परगने में सिंचाई का कष्ट

*१११—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि नैनीताल जिले के टनकपुर क्षेत्र में अवस्थित गेंडा खाली नहर में पानी नहीं चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—गेंडा खाली नहर में संतोषजनक रूप में पानी चल रहा है।

*११२—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह विधान सभा में सिंचाई मन्त्री जी द्वारा दिये गये इस आश्वासन की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही कर रही है कि नैनीताल जिले के टनकपुर परगने में सिंचाई का प्रबन्ध यथाशीघ्र किया जायेगा ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—एक पम्प कैनाल की योजना टनकपुर क्षेत्र की सिंचाई सुविधा के लिए बनायी गयी थी परन्तु इसी बीच शारदा नदी के बहाव मार्ग में विशेष परिवर्तन हो गया। अब पहले के उद्गम स्थान से लगभग १ मील ऊपर से नहर निकालने का प्रस्ताव है। इस कार्य के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई व्यय की व्यवस्था नहीं है, परन्तु इस योजना का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है।

*११३—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—[माननी सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले में रामगढ़ के निकट नहर का निर्माण

*११४—श्री रघुवीर राम (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि जिला गाजीपुर, ग्राम रामगढ़ में जो नहर बनायी गयी है और जो अधूरी रह गयी है वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—गाजीपुर जिले में एक पम्प द्वारा चालित नहर रामगढ़ ग्राम के निकट बन रही है। मुख्य नहर तथा उसकी दो छोटी शाखाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। पम्पों के लिये एक और कुआं खोदने का कार्य चल रहा है जो ३१ मार्च सन्, १९५८ तक समाप्त हो जायगा।

श्री रघुवीर राम—क्या सरकार बता सकती है कि इस नहर से और इसकी जो शाखायें निकलती हैं उनसे इस साल कितने किसानों को जमीन की सिंचाई हुई है ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

* * *

ड्रेनेज डिवीजन मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत कार्यों पर व्यय

*१२३—श्री राजेंद्रदत्त (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में पिछले साल जो फ्लड डिवीजन कायम किया गया था उसने अब तक कितने नालों की योजना बनायी है और उनमें से कितने तैयार हो गये हैं ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—ड्रेनज डिवीजन, मुजफ्फरनगर में, जो कि दिनांक १-१२-५६ से स्थापित हुआ था, बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के ५४ प्रस्ताव प्रायः २२,८४,४०० रुपये के अब तक तैयार किये जा चुके हैं जिनमें से २४ प्रस्तावों का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसका व्यय ३,४०,१६५ रुपया है तथा २१ प्रस्तावों पर इस समय कार्य प्रगति पर है।

*१२४—**श्री राजेन्द्रदत्त** (अनुपस्थित)—इस वर्षा ऋतु में वर्षा की अधिकता के कारण उक्त जिले के जिन इलाकों में पानी भर जायगा उसको निकलवाने की सरकार ने क्या योजना बनायी है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—मुजफ्फरनगर जिले में बाढ़ क्षेत्र का जल निकासन हेतु एक मास्टर प्लान १५.५४ लाख रुपये की लागत का तैयार हो चुका है जिसमें ४० बाढ़ नियंत्रण योजनायें सम्मिलित हैं।

*१२५—**श्री राजेन्द्रदत्त** (अनुपस्थित)—उक्त फ्लड डिवीजन के अधीन कितना क्षेत्र है और कितने पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं और १९५६-५७ में कुल कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—ड्रेनेज डिवीजन, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तथा मेरठ डिवीजन की बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का अवलोकन कर रहा है जिसका क्षेत्र ३,३५० वर्ग मील है और इसमें ३ सहायक अभियन्ता और एक कार्यवाही अभियन्ता इसी कार्य के लिए रक्खे गये हैं। इस डिवीजन में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के ऊपर १९५६-५७ वर्ष के अन्तर्गत १-१२-५६ से ३१-३-५७ तक २,२९,५८६ रुपया व्यय हो चुका है।

* * * *

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में गावों को ऊंचा किया जाना

*१२७—**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में किन-किन तहसीलों में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के ग्राम ऊंचे किये गये हैं और कितनी धनराशि इस मद में व्यय हुई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—आजमगढ़ जिले में निम्नलिखित तहसीलों में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के ग्राम ऊंचे किये गये हैं।

१—सगड़ी, २—मुहम्मदाबाद, ३—घोसी, ४—सादर, ५—फूलपुर

उपरोक्त मद में ३० लाख रुपया व्यय हो चुका है।

*१२८—**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में कौन-कौन ग्राम ऊंचे किये गये हैं और किन-किन ग्रामों की पटाई का कार्य अभी तक विचाराधीन है, जो सम्पन्न नहीं हुआ है और यह कार्य कब से आरम्भ होगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—निम्नलिखित ग्रामों को आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में ऊंचा किया गया है। सूची संलग्न है।

इस तहसील में कोई भी ऐसा ग्राम नहीं है जिसकी पटाई का कार्य अभी तक विचाराधीन है, जो सम्पन्न नहीं हुआ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २६१-२६२ पर)

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या जोल्हापुर ग्राम को ऊंचा करने के बारे में सरकार को कोई सूचना जिलाधीश, आजमगढ़ से प्राप्त हुई है ?

श्री कैलाशप्रकाश---९९ ग्रामों को ऊंचा करने का काम पूरा हो चुका है और उसकी सूची माननीय सदस्य को दी जा चुकी है ।

श्री अध्यक्ष---क्या जोल्हापुर ग्राम के लिये सरकार के पास कोई सूचना सेपरेट आई है या यह कोई दूसरा ग्राम है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं, इसके बारे में अलग से सूचना नहीं है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बतायेगी कि जो ९९ गांवों की सूची दी गयी है उसमें जोल्हापुर ग्राम भी शामिल है ?

श्री कैलाशप्रकाश---लिस्ट तो हमारे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---क्या जोल्हापुर गांव के लिये आपके पास इन ग्रामों में कोई सूचना अलग से है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं ।

बाराबंकी जिले में बाढ़ विभाग के अन्तर्गत कार्यों पर व्यय

*१२९---श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत बाढ़ विभाग को प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितना रुपया दिया गया है और कितने ग्राम घाघरा तथा अन्य नदियों से बचाने के लिये ऊंचे कराये गये हैं ? वे ग्राम कौन-कौन हैं और इस कार्य पर कितना खर्च हुआ ?

श्री कैलाशप्रकाश---प्रथम पंचवर्षीय योजना में बाराबंकी जिले को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए मार्च, १९५६ तक लगभग ०.६५ लाख रुपया दिया गया था ।

२० ग्रामों को ऊंचा करने का कार्य किया गया था । जिनके नाम निम्नलिखित हैं--

तहसील फतेहपुर---१---चिचरी, २---केशियापुर ग्राम लोहती जई का मजरा, ३---मोती पुरवा ग्राम लोहती पसई का मजरा, ४---गोबरहा, ५---बलदान पुरवा ग्राम मन्दनऊ का मजरा, ६---इब्राहीमपुर, ७---लोहती पसई, ८---कुत्तापुर, ९---बिझला, १०---नरायनपुर ग्राम मन्दनऊ का मजरा, ११---भन्डरू ।

तहसील रामसनेही घाट---१---खेरी, २---हरारा कुर्मिन ग्राम बिचोला का मजरा, ३---पसइया, ४---नकटापुर ग्राम का मजरा, ५---द्वारिकापुर सैलेमपुर ग्राम उधरौरा का मजरा, ६---भहगूपुर ग्राम सन्दरी का मजरा, ७---सहोरिया, ८---रामदासपुरवा ग्राम इख्तयारपुर, ९---बन्जारिया ग्राम खेतसराय का मजरा ।

	संख्या	रुपये (लाख रुपयों में)
तहसील फतेहपुर	११	०.१८
तहसील रामसनेही घाट	९	०.०९
योग ..	२०	०.२७

*१३०---श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिला बाराबंकी में बाढ़ विभाग को कितना धन दिया गया है और वह किस-किस कार्य में खर्च हुआ और कितने ग्राम ऊंचे कराये गये ? क्या यह भी सही है कि ऊंचे किये हुए ग्राम डूब कर गिर गये ?

नोट---तारांकित प्रश्न १३० के पश्चात् प्रश्नोत्तरों का समय समाप्त हो गया ।

श्री कैलाशप्रकाश—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बाराबंकी में अब तक कुल ५.८७ लाख रुपया निर्धारित किया गया है। उसमें से अब तक निम्नलिखित कार्य पर रुपया व्यय किया गया है :—

	लाख रु०
१—ग्रामों का धरातल ऊंचा कराने में कुएं समेत ..	२.३३
२—मार्ग निर्माण में	१.५१
३—पुल निर्माण में	०.४४
४—कम्युनिटी शेड में	०.६१
योग ..	४.८९

बाढ़ बोर्ड द्वारा पास किये गये ७० ग्रामों में अब तक ५० ग्रामों को ऊंचा किया गया है। शेष २० ग्रामों में कार्य प्रगति पर है।

कोई भी ऊंचा किया हुआ ग्राम बाढ़ के पानी से डूब कर नहीं गिरा।

गोंडा जिले में सांवकसिया नाले की कथित बांध योजना

*१३१—श्री दशरथ प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा, तहसील बलरामपुर, ग्राम बेलभरिया के पास सांवकसिया नाले पर जो बांध बनवाने की योजना थी क्यों स्थगित कर दी गयी है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—सांवकसिया नाले पर बांध बनाने की कोई योजना नहीं है।

मैनपुरी जिले की भोगांव तहसील में औरिन्ध झील के पानी के निकास के लिये प्रार्थना

*१३२—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में तहसील भोगांव में जो औंध का तालाब है उसके पानी से अब भी काश्तकारों की सैकड़ों बीघा भूमि डूबी हुई है ? क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र तालाब का पानी निकालने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—मैनपुरी जिले में तहसील भोगांव में औरिन्ध तालाब एक साधारण तालाब नहीं है बल्कि एक विशाल झील जन्म जन्मान्तर से है और कोई नयी सृष्टि नहीं है। इसका जल क्षेत्र २०० एकड़ है। इस वर्ष अधिक वर्षा के कारण यह २५० एकड़ तक बढ़ गया परन्तु इस समय लगभग केवल १०० एकड़ है जो कि इस झील का तल क्षेत्र है और किसी प्रकार भी कृषित क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है। यथार्थ में कोई कृषि क्षेत्र जलमग्न नहीं है।

उपरोक्त झील के जल निष्कासन हेतु औरिन्ध किनावर कट के बनाने की योजना प्रस्तावित कर दी गयी है। यह योजना पूर्ण निश्चित हो चुकी है और कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इस नाले का निर्माण कार्य जुलाई, १९५८ के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा की जाती है।

वाराणसी जिले के सुल्तानीपुर परगने में रजबहों के बनने में बिलम्ब

*१३३—श्री लोकनाथ सिंह—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना सुल्तानीपुर वाराणसी में बनने वाली नहर कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—कराकत रजबहा Tail का हिस्सा और दानगंज रजबहा का शुरू का हिस्सा परगना सुल्तानीपुर जिला वाराणसी में पड़ता है। नहर के यह हिस्से बनकर पूरे हो चुके हैं लेकिन जौनपुर-वाराणसी रेलवे क्रासिंग न बनने के कारण इनमें पानी नहीं चल सका है। आशा की जाती है कि तीन-चार माह में यह क्रासिंग बन जायेगी और नहर में पानी चल सकेगा।

मैनपुरी जिले में नहर विभाग के अन्तर्गत मुकदमे

*१३४—**श्री मलिखान सिंह** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में नहर विभाग में नहर बम्बे काटने के कितने मुकदमे जनवरी, सन् १९५६ से दिसम्बर, सन् १९५६ तक चलाये गये और उनमें कितने फैसले हुए ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—मैनपुरी जिले में जनवरी, सन् १९५६ से दिसम्बर, १९५६ तक कुल १२ मुकदमे नहर काटने के अभियोग में चलाये गये और सभी मुकदमों का दिसम्बर १९५६ तक निर्णय कर दिया गया।

जौनपुर जिले में गांवों को ऊंचा करने पर व्यय

*१३६—**श्री रामसमझावन** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि बाढ़ विभाग ने जौनपुर जिले की केराकत तहसील में सन् १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में किन-किन गांवों को ऊंचा किया है तथा अलग-अलग क्या खर्च हुआ है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—सन् १९५४–५५ में केराकत तहसील, जिला जौनपुर में कोई भी गांव ऊंचा नहीं किया गया था। सन् १९५५–५६ में इस तहसील में जितने गांव ऊंचे किये गये हैं तथा अलग-अलग उन पर जो व्यय हुआ है उसका विवरण संलग्न पत्र में दिया है:—

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २६३ पर)

*१३७—**श्री रामसमझावन**—जौनपुर जिले की अन्य तहसीलों में क्रमशः १९५५ और १९५६ ई० में गांवों को ऊंचा कराने में क्या खर्च पड़ा है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—जौनपुर की शेष तहसीलों पर गांव ऊंचा करने में मे सन् १९५५–५६ में २,०३,५४४ रुपये व्यय हुए हैं।

[१७ मार्च १९५८ के लिये रखे गये प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

*१–२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

बाढ़ वर्ग गाजीपुर से अमीनों का हटाया जाना

*३—**श्री यमुनासिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद सर्किल (गाजीपुर डिवीजन) में १९५५ से ३० अप्रैल, १९५७ की दोपहर तक कितने अमीन आई० ए० ओ० के अनुसार क्वालीफाइड थे ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—गाजीपुर बाढ़ वर्ग में १९५० से ३० अप्रैल, १९५७ तक कुल ६ अमीन थे। वे सब आई० एम० ओ० के अनुसार क्वालीफाइड थे।

*४—**श्री यमुनासिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३० अप्रैल, १९५७ की दोपहर बाद गाजीपुर डिवीजन से कितने क्वालीफाइड अमीन हटाये गये और क्यों ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---३० अप्रैल, १९५७ की दोपहर बाद बाढ़ वर्ग गाजीपुर के समाप्त होने के कारण ४ अमीनों की सेवायें समाप्त की गयीं थीं क्योंकि अमीनों की पद संख्या कम हो गयी थी ।

*५-६---**श्री झारखंडेराय**---[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

नैनीताल जिले में सिंचाई के साधन तथा पीलीभीत जिले के जहानाबाद परगने में नलकूपों की आवश्यकता

*७---**श्री प्रताप सिंह** (जिला नैनीताल)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खटीमा तहसील, जिला नैनीताल में सिंचाई का क्या प्रबन्ध है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---खटीमा तहसील जिला नैनीताल में लोहिया नहर, गंडा खाली नहर और बस्तिया गूल से सिंचाई की जाती है ।

*८---**श्री प्रतापसिंह**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टनकपुर नगर, जिला नैनीताल में जो नयी पानी की मशीन लगाई गयी है वह कब से बन्द है और उसका कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---पानी की मशीन (Electrical pumping set) जो कि हेड वर्क्स पर मरम्मत के समय पानी निकालने के लिये काम आती है, अस्थाई रूप से टनकपुर की जल वितरण व्यवस्था में अस्थाई रूप से लगा दी गयी थी। हेड वर्क्स के कार्य में इस मशीन की फिर आवश्यकता पड़ने पर वहां फिर से लगा दी गयी है ।

*९---**श्री प्रतापसिंह**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि परगना जहानाबाद तहसील पीलीभीत में कितने नलकूप प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगाये गये थे और कितने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाये जायेंगे ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---परगना जहानाबाद तहसील व जिला पीलीभीत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई राजकीय नलकूप निर्माण नहीं किया गया और न किसी राजकीय नलकूप का निर्माण इस परगने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित ही है ।

वाराणसी जिले की नलकूप योजना

*१०---**श्री लोकनाथसिंह**---क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि रणचन्डीपुर, गोवरहा, वाराणसी के पूरे क्षेत्र का किनारा गंगा के निकलने वाले सोते से तेजी से कटता जा रहा है ? यदि हां, तो इसके बचाव के लिये सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---ग्राम रणचन्डी व गोवरहा तथा तीन अन्य ग्राम गंगा की मुख्य धारा तथा उसकी एक सोते की धारा के बीच में आबाद हैं । इस सोते में बाढ़ के समय में पानी अधिक मात्रा में चलता है और सब क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाता है, मगर कोई कटाव नहीं हो रहा है ।

*११---**श्री लोकनाथसिंह**---क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम कैथीं वरथरा कलां, वरियासनपुर, जिला वाराणसी में कोई ट्यूबवेल की योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---ग्राम कैथीं में कोई नलकूप लगाये जाने की योजना विचाराधीन नहीं है क्योंकि यह ग्राम गंगा तथा गोमती नदियों के बीच में स्थित है तथा इसका क्षेत्र ऊंचा नीचा होने के कारण नलकूप बनाने के लिये उपयुक्त नहीं है ।

ग्राम वरियासनपुर के क्षेत्र की सिंचाई चिरई ग्राम में लगाये गये नलकूप द्वारा हो रही है। अतः इस ग्राम में एक अन्य नलकूप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्राम बरथरा कलां में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक नलकूप लगाने की योजना है।

*१२—श्री लोकनाथ सिंह—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कठेहर व जालूपुर परगना, जिला वाराणसी में कहां-कहां व कितने ट्यूबवेल हैं और प्रायः कितने निचले स्तर पर हैं, जिससे पूरी सिंचाई नहीं हो पाती है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—जिला वाराणसी के परगना कठेहर में १४ नलकूप तथा परगना जालूपुर में ७ नलकूप बने हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन परगनों में निम्नलिखित स्थानों पर नलकूप बनाये गये:—

परगना	ग्राम
कठेहर—	१—चौबेपुर
..	२—बरसरा
..	३—परवतपुर
..	४—छाई
..	५—जैरामपुर
..	६—तरयां
..	७—अजांव
..	८—चुमकनी
..	९—खोनपुर
..	१०—ऐली
..	११—अल्लुपुर
..	१२—कुटौली
जालूपुर—	१—गौरी कलां
..	२—शंकरपुर
..	३—जालूपुर
..	४—रमना
..	५—उमरहा
..	६—खावपुर

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सन् १९५७-५८ में निम्नलिखित स्थानों पर नलकूप लगाये गये—

परगना	ग्राम
कठेहर	१—पवारी खुर्द
..	२—कोहासिन
जालूपुर	१—सोनवरसा

निचले स्तर पर किसी भी नलकूप का निर्माण नहीं हुआ है।

गोरखपुर जिले की महाव नदी के मार्ग की खुदाई पर व्यय

*१३—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर, तहसील फरेंदा के ग्राम सिगरहवा के पास की महाव नदी पिछले साल से गहरी की जा रही है ? यदि हां तो, उसमें कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—महाव नदी गहरी नहीं की जा रही है बल्कि पहले जो बहाव का रास्ता था, पूरा पट गया था, इससे नदी अपना मार्ग बदल रही थी उसी को फिर से साफ करके ठीक किया जा रहा है । इस कार्य में कुल ८०,००० रुपया व्यय हुआ है ।

*१४—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या नदी की खुदाई की योजना पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो कब ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—अभी पूरी खुदाई नहीं हुई है ।

*१५—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस खुदाई से किन-किन गांवों को लाभ पहुंचा और क्या ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—सिगरहवा व उसके नीचे की फसल जो कि नदी के रास्ता बदलने से नष्ट हो जाती थी अब वह फसल बच जायगी ।

गाजीपुर जिले की जमानियां तहसील में गंगा का कटाव

*१६—श्री यमुना सिंह—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जिले की जमानियां तहसील के कितने गांव गंगा से कट कर गंगा में गिर पड़े हैं ? क्या सरकार इस कटान को रोकने के विषय में कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—सन् १९५५ से, जब से इस विभाग के बाढ़ कार्यालय ने कार्य करना आरम्भ किया है, कोई गांव जमानियां तहसील, जिला गाजीपुर का कट कर गंगा में नहीं गिरा है ।

नदी के किनारे पर कटान का होना स्वाभाविक है और इतनी बड़ी नदी के कटान को रोकने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है ।

*१७–१८—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—[परिवहन मन्त्री से सम्बन्धित तेरहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ११–१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में राप्ती के किनारे कथित बांध का निर्माण

*१९—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में राप्ती नदी के दायें किनारे पर जो बांध बनाया जा रहा है उस पर कितनी लागत लगेगी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—वर्तमान समय में फरेंदा तहसील में राप्ती नदी के दाहिने किनारे पर किसी बांध का निर्माण नहीं हो रहा है ।

*२०—श्री अमरनाथ—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस बांध के बनने के बाद नदी के बायें किनारे के गांवों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

*२१—श्री अमरनाथ—क्या उपर्युक्त बांध बनने से गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में बृजमनगंज-धानीरोड के किनारे के सैकड़ों गांवों को बाढ़ के समय क्षति होने का भय है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

*२२-२४—श्री मदन पांडेय—[३१ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये ।]

ललितपुर बांध में बाढ़ का पानी निकालने के लिये साइफन

*२५—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ललितपुर, जिला झांसी के गोविन्दसागर बांध से बाढ़ का फालतू पानी निकालने के लिये कितने साइफन बने हैं और उन पर कितना खर्च हुआ है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—ललितपुर बांध में बाढ़ का पानी निकालने के लिये २० साइफन बनाये गये हैं । उनके निर्माण में लगभग ६,६०,७०० रुपया व्यय हुआ है ।

*२६—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त बांध पर बने हुए साइफन काम नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—साइफन सन् १९५३ में बन कर तैयार हुए और तब से शहजाद नदी में १४,००० क्यूसैक्स से अधिक पानी नहीं आया । इतना पानी फ्लडगेट से कन्ट्रोल कर लिया गया । जब फाटकों के निकास से अधिक बाढ़ आवे तब ही यह साइफन काम में लाये जायेंगे । ऐसा कोई अवसर अभी तक नहीं पड़ा है ।

कानपुर जिले में नर्वलनगर से हजरतपुर नाले तक नया नाला बनाने की योजना

*२७—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या सिंचाई मन्त्री को यह ज्ञात है कि मौजा शंभुआ, जयरेही, दलनपुर व नर्वल तहसील, जिला कानपुर के बरसाती पानी के निकास का प्रबन्ध खराब होने के कारण उक्त गांवों के परिगणित जातियों के लोगों का जीवन बरसात भर गहरे पानी से घिरे रह कर व्यतीत होता है और उनके घर बहुधा गिर जाया करते हैं ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—जी हां ।

*२८—श्री मोतीलाल अवस्थी—यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—नर्वल नगर से लेकर एक मील चार फर्लांग लम्बा नाला बनाने का प्रस्ताव है जो कि दक्षिण की तरफ प्राकृतिक नाला हजरतपुर में सम्मिलित हो जावेगा । इस प्रस्ताव का अनुमानित व्यय लगभग ३,५०० रुपया होगा ।

*२९—श्री रामसुन्दर पांडेय—[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया ।]

*३०—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—[वित्त मंत्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया ।]

इलाहाबाद जिले में नलकूप

*३१--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में किन-किन तहसीलों में कितने-कितने नलकूप अब तक लगाये गये और उसमें से कितने चालू हैं और कितने चालू नहीं हुए ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)--इलाहाबाद जिले में अब तक १२४ नलकूप लगाये गये। जिनमें से १०९ नलकूप चालू हैं और बाकी १५ नलकूप अभी चालू नहीं हुए।

उपरोक्त १२४ नलकूपों का तहसीलवार विवरण निम्नलिखित है :--

तहसील		नलकूपों की संख्या जो लगाये गये	संख्या जो चालू हैं	संख्या जो चालू नहीं हैं
१--हंडिया	..	७६	६४	१२
२--फूलपुर	..	३७	३६	१
३--चायल	..	५	४	१
४--सिराथू	..	६	५	१
योग	..	१२४	१०९	१५

इन १५ में से ११ आइल इन्जिन से चालू कर दिये गये हैं और ४ अभी नामुकम्मिल हैं।

गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील में सिंचाई की योजनायें

*३२--श्री दशरथप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गोंडा, तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत तप्पा पिपरा तथा तप्पा पचपेड़वा में सिंचाई का कोई साधन नहीं है ? यदि हां, तो उन स्थानों पर क्या सरकार सिंचाई की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कब तक हो जायगी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)--जिला गोंडा में तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत तप्पा पिपरा तथा पचपेड़वा में निम्नलिखित सिंचाई साधन हैं :--

१--कोहरगड्डी की नहरें।

२--बसेहवा की नहरें।

उपरोक्त सिंचाई के साधनों के अतिरिक्त निम्नलिखित सिंचाई की योजनायें भी तैयार की जा चुकी हैं जिससे तप्पा पिपरा तथा पचपेड़वा के अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई हो सकेगी :

	लम्बाई नहर
	मील
१--पकरी	१०
२--चित्तौरगढ़	४०
३--नवानगर	२५
४--भगवानपुर	२२
५--नेवलगढ़	६

*३३-३५--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--[२४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

*३६--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--[२१ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

सहारनपुर जिलान्तर्गत ज्वालापुर परगने में सिंचाई का कष्ट

*३७--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार का विचार सहारनपुर जिले में पथरी नदी से पानी उठाकर ज्वालापुर परगने के दक्षिणी भागों में सिंचाई करने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)--जी नहीं। ऐसी कोई योजना नहीं है।

*३८-३९--श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)--[सदस्य का चुनाव अवैध तथा स्थान रिक्त घोषित होने के कारण प्रश्न हटा दिये गये।]

बस्ती जिले में कुआनों नदी से नहरें निकालने की योजना

*४०--श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन-किन नदियों, तालों तथा झीलों से छोटी या बड़ी नहरें निकालने की योजना विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)--बस्ती जिले में कुआनों नदी से दो नहरें निकाली जा रही हैं।

(१) कुआनों पम्प कैनाल।

(२) बस्ती पम्प कैनाल।

आजमगढ़ जिले की पकड़ी ताल ड्रेन योजना

*४१--श्री झारखंडेराय--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की पकड़ी ताल के अतिरिक्त बरसाती पानी के निकास हेतु जो पकड़ी ताल ड्रेन निकाले जाने की योजना विचाराधीन थी उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)--पकड़ी ताल का बरसाती पानी निकालने के लिये पकड़ी ताल नाले का सर्वे हो चुका है और योजना (project) भी तैयार हो गयी है।

बाढ़ विभाग को केंद्रीय सरकार से अनुदान

*४२--श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार से जो अनुदान बाढ़ विभाग को मिलने वाला था वह प्राप्त हुआ कि नहीं ? यदि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, तो कब तक मिलने की आशा है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)--जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बाढ़ निर्माण कार्य के लिये १० करोड़ रुपया प्रस्तावित था इसे हाल ही में घटाकर ९ करोड़ कर दिया गया है।

बस्ती बाढ़ खंड के इंजीनियर्स, ओवरसियर्स तथा ठेकेदार

*४३--श्री रणबहादुर सिंह--क्या सिंचाई मंत्री बस्ती जिले के उन सभी इंजीनियर, सहायक इंजीनियर तथा ओवरसियरों का पूरा स्थायी निवास-स्थान बताने की कृपा करेंगे जो इस समय हैं ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—बस्ती बाढ़ खंड में एक अधिशासी अभियन्ता, चार सहायक अभियन्ता तथा १५ ओवरसियर इस समय काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का पूरा स्थायी-निवास स्थान निम्नलिखित है :—

१—अधिशासी अभियन्ता—

श्री रामावतार त्यागी, ग्राम महमूदपुर, पत्रालय सहसपुर, जिला बिजनौर।

२—सहायक अभियन्ता—

(क) श्री श्याम सुन्दर, ग्राम मल्यदी, पत्रालय गढ़ी पोख्ता, मुजफ्फरनगर।
(ख) श्री एस० बी० राय, ग्राम व डा० जगमुशीला गाजीपुर।
(ग) श्री एन० के० माथुर, संरक्षता में श्री प्रोफेसर जे० प्रसाद, २५ यूनिवर्सिटी स्टेट रुड़की, सहारनपुर।
(घ) श्री आर० नरायन स्वामी, ग्राम बकनाकेर, पत्रालय फ्रेन्च राकरा, मैसूर।

३—ओवरसियर—

श्री एच० सी० मेहरोत्रा, टोला पुराना, इटावा।
श्री हरनामसिंह, हल्दवानी, नैनीताल।
श्री बी० एन० सक्सेना, मो० टकसाल, फैजाबाद।
श्री डी० डी० पचौरी, सोनवरसा, अलीगढ़।
श्री के० बी० सिंह, ग्रा० होशियारपुर, उन्नाव।
श्री छेदा सिंह, सलेमपुर जुली, मुरादाबाद।
श्री रामकृष्न, मुखलिसपुर, मुजफ्फरनगर।
श्री बन्दे हसन, ग्राम अन्तुआ, डा० डुमरियागंज, बस्ती।
श्री पी० एस० गुप्ता, ग्राम हसनपुर, मुरादाबाद।
श्री एस० पी० तिवारी, ग्रा० व डा० रकाबगंज, फैजाबाद।
श्री एस० एस० गोविला, ग्राम व डा० भांगरा, अलीगढ़।
श्री एस० एस० श्रीवास्तवा, ग्रा० हरबी प्यास,
डा० पिपराब्रह्मन, वाया कप्तान गंज, गोरखपुर।
श्री एच० सी० मित्तल, ग्रा० टहर, डा० नकूर, सहारनपुर।
श्री वेदप्रकाश शर्मा, सिविल एरोड्रोम, लखनऊ।
श्री बी० के० सिंह, ग्रा० व डा० कुद्दपुर, जौनपुर।

*४४—श्री रणबहादुर सिंह—क्या सिंचाई मंत्री उन ठेकेदारों की सूची उनके पूरे स्थायी निवास-स्थान सहित देने की कृपा करेंगे जिन्होंने बस्ती जिले में जब से बाढ़ योजना चली है, काम किया है?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—ठेकेदारों की †सूची जो बाढ़ विभाग में काम कर चुके हैं उनके स्थायी निवास स्थान सहित संलग्न है।

*४५—श्री बाबूराम (जिला बरेली)—[वित्त मंत्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

*४६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित ग्यारहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४७—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)—[वित्त मंत्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

---

†सूची छापी नहीं गयी है।

गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील में नालों पर बांध निर्माण योजना

*४८—श्री धर्मपाल सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील के पचपेड़वा तथा तुलसीपुर के दक्षिणी क्षेत्र में सिंचाई का कोई साधन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील के पचपेड़वा तथा तुलसीपुर के दक्षिणी क्षेत्र में सिंचाई के निम्नलिखित साधन हैं :—

नाम बांध			लम्बाई नहर	कमान्डेड क्षेत्र
			मील	एकड़
१—कोहर गडी	..	..	२४	६,०५७
२—बसेहवा	..	..	८	१,२९४
३—गनेशपुर	..	..	११ १/२	१,८६२
४—मझगवांव	..	..	१८	२१,९००
५—बघेलखंड	..	..	१४	१२,२८७

*४९—श्री धर्मपाल सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि उपर्युक्त क्षेत्र में कुछ पहाड़ी नाले ऐसे हैं जिनमें कम लागत के बांध बनाकर पूरे क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—उपरोक्त सिंचाई साधन के अतिरिक्त उपर्युक्त क्षेत्र में पहाड़ी नालों पर निम्नलिखित बांध बनाने की योजना तैयार की जा चुकी है :—

नाम बांध			लम्बाई नहर	कमान्डेड क्षेत्र
			मील	एकड़
१—नवानगर	..	..	२५	२२,७५०
२—भगवानपुर	..	..	२२	१३,५००
३—नेवेलगढ़	..	..	६	३,०००
४—जलजलवा	..	..	७	६,०००
५—चित्तौर गढ़	..	..	४०	३०,०००
६—पकरी	..	..	१०	६,२००

बाढ़ विभाग, गोंडा की कालोनी पर व्यय

*५०—श्री उग्रसेन—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ विभाग, गोंडा की कालोनी बनाने में सरकार से कितना धन स्वीकृत हुआ था ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—बाढ़ विभाग, गोंडा की कालोनी बनाने के सम्बन्ध में २,४६,८०० रुपये की स्वीकृति हुई है।

*५१--श्री उग्रसेन--बाढ़ विभाग, गोंडा की कालोनी की मरम्मत कराने में १-१०-५७ तक कितना व्यय किया गया है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)--बाढ़ विभाग, गोंडा की कालोनी की मरम्मत में १ अक्तूबर, १९५७ तक कुछ नहीं व्यय हुआ है। कालोनी के निर्माण का कार्य अक्तूबर, सन् १९५७ ई० तक जारी रहा।

*५२--श्री उग्रसेन--उक्त कालोनी बनाने के लिए कितनी भूमि ली गयी और उसका कितना मुआवजा दिया गया ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)--उक्त कालोनी के बनाने में ११. ३२ एकड़ भूमि ली गयी है। मुआवजे के सम्बन्धित कागजात १५ मई, १९५७ को स्पेशल लैण्ड एक्यूजिशन अधिकारी के पास भेजे जा चुके हैं। आशा है कि आगामी दो मास में मुआवजा बांट दिया जायगा।

*५३--श्री मुक्तिनाथ राय--[वित्त मंत्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिए स्थगित किया गया।]

राजकीय नलकूपों की जिलेवार संख्या

*५४--श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय नलकूपों की जिलेवार संख्या कितनी है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)--राजकीय नलकूपों की जिलेवार सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २६४ पर।)

*५५--श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनका विस्तार योजना के अनुसार किया जाता है अथवा स्थानीय आवश्यकता और अभ्यावेदनों (representations) के आधार पर ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)--नलकूप उस क्षेत्र में लगाये जाते हैं जहां सिंचाई की अन्य सुविधायें प्राप्त नहीं हैं और जहां नहर द्वारा सिंचाई होना सम्भव नहीं होता तथा नलकूप लगाने के लिये स्ट्रेटा (Strata) अच्छा होता है। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि प्रस्तावित नलकूप बिजली की लाइन के समीप हो।

*५६--श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त नलकूपों में से कितने बिजली से चलते हैं ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)--दिसम्बर, १९५७ तक इस प्रदेश में ५,२५४ राजकीय नलकूप बिजली से चल रहे थे।

*५७--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)--[३१ मार्च, १९५८ ई० के लिए स्थगित किया गया।]

*५८--श्री मोहनलाल वर्मा--[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

*५९--श्री मोहनलाल वर्मा--[न्याय मन्त्री से सम्बन्धित ग्यारहवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६०--श्री वासुदेवदीक्षित (जिला फतेहपुर)--[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

*६१--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया ।]

*६२--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--[छठवें शुक्रवार को प्रश्न संख्या १०८ के अन्तर्गत इसका उत्तर दिया जा चुका है ।]

नहर विभाग, इटावा के अन्तर्गत पतरौल व अमीन

*६३--श्री भजनलाल (जिला इटावा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नहर विभाग, इटावा के दोनों डिवीजनों में कितने पतरौल व अमीन हैं ? उनमें कितने बैकवर्ड व कितने परिगणित जातियों के हैं ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)--विवरण निम्न प्रकार है :--

कुल संख्या				परिगणित	पिछड़े वर्ग
पतरौल	१५८	..	..	९	१४
अमीन	३६	..	..	१	३

आगरा जिले में सरसा नदी का सर्वेक्षण

*६४--श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत ३ सालों से सरसा नदी (आगरा) में जो बाढ़ आनी शुरू हो गई है, उसका क्या कारण है तथा सरकार भविष्य में बाढ़ को रोकने के लिये क्या कदम उठाने की योजना बना रही है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)--पिछले बहुत सालों से सरसा नदी की तली में कृषकगण खेती बराबर करते चले आये थे, जिससे इसका तल ऊंचा उठ गया है और पिछले तीन वर्षों की अत्यधिक वर्षा के बहाव से, जो नदी में नहीं समा पाया, बाढ़ आई है ।

इस नदी का सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसके बाद जैसा उचित होगा कार्यवाही की जावेगी ।

*६५--श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)--[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया ।]

*६६--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया ।]

नहर विभाग में पदोन्नति के लिये आयु बढ़ाने की जानकारी

*६७--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--क्या सरकार नहर विभाग के ऐसे कर्मचारियों की जिन्हें ४५ वर्ष तक की आयु में पदोन्नति पाने का अधिकार था, उनकी पदोन्नति की अवधि में भी ३ वर्ष बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)--जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सूखा की संकटकालीन स्थिति निवारणार्थ केंद्रीय सरकार से सहायता

*६८--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश में बाढ़ व सूखा की संकटकालीन स्थिति के निवारण के लिये केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ है, जिससे सड़क आदि निर्माण-कार्य में बढ़ोत्तरी की जाये ? यदि हां, तो कितना धन प्राप्त हुआ है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---जी हां। सूखा की संकटकालीन स्थिति के निवारण के लिए अभी कुछ दिन हुए केन्द्रीय सरकार से छोटी सिंचाई योजनाओं पर प्रगति और भी तीव्र करने के लिए ३० लाख रुपया चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त प्राप्त हुआ है।

*६९-७०---**श्री गंगा प्रसाद सिंह**---[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये

हरदोई जिले में बरसाती पानी के निकास के प्रबन्ध के लिये प्रार्थना

*७१---**श्री बुलाकीराम**---क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील हरदोई के ग्राम ओदरा पचलाई के आस-पास वाटरलागिंग हो जाने के कारण वहां की हजारों बीघा जमीन पानी में डूबी रहती है? यदि हां, तो सरकार ने पानी निकालने के लिए कौन सी कार्यवाही की है या करने जा रही है?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---जी नहीं। ग्राम ओदरा पचलाई के पास बारहों महीने जमीन पानी से नहीं डूबी रहती है, इसलिये पानी निकालने की कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

*७२---**श्री बुलाकी राम**---क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि जिला हरदोई में वाटर लागिंग की एक भीषण समस्या है? यदि हां, तो सरकार क्या इस समस्या के हल करने के लिये कोई योजनाबद्ध कार्यवाही करने पर विचार कर रही है?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---इस क्षेत्र में वाटर लागिंग की कोई भीषण समस्या नहीं है। बरसात में कुछ जगहों में पानी भर जाता है जिसके निकालने के लिए आवश्यकतानुकूल बरसाती नाले बनाये हुए हैं। बरसाती बहाव को और अच्छा बनाने के लिए नई योजनाओं का अन्वेषण समय समय पर होता रहता है तथा कुछ योजनायें तैयार की जा रही हैं।

बस्ती जिले के नलकूप

*७३---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में इस समय कितने ट्यूबवेल हैं? उनमें से कितने मोटर से चलते हैं और कितने विद्युत् से?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---बस्ती जिले में इस समय २२५ नलकूप हैं जिनमें से २१८ विद्युत् से तथा ४ डिजिल इंजनों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

*७४---**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी**---उक्त ट्यूबवेल में से कितने इस समय काम कर रहे हैं और कितने नहीं, और क्यों नहीं?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---२२५ नलकूपों में से २२२ इस समय चल रहे हैं और ३ नलकूप कार्य नहीं कर रहे हैं। इन ३ नलकूपों में से दो नलकूप अभी हाल ही में असफल हुए हैं और एक असफल नलकूप का पुनः निर्माण किया जा रहा है।

*७५---**श्रीमती राजेंद्र किशोरी**---उक्त ट्यूबवेलों के चलाने के लिये कितनी बिजली की आवश्यकता है और कितनी इस समय उपलब्ध है?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---उक्त नलकूपों को चलाने के लिये लगभग २,२५० के० डब्ल्यू० बिजली की आवश्यकता है कूड़ा घाट (गोरखपुर) वाष्प विद्युत् गृह के १-१२-५७ से चल जाने पर इन नलकूपों के लिये पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो रही है।

*७६-७७---**श्री गोविन्द सिंह विष्ट**---[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

फीरोजाबाद तहसील में एक्सप्लोरेटरी नलकूप

*७८---श्री जगन्नाथ लहरी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में फीरोजाबाद तहसील, जिला आगरा में सिंचाई हेतु कितन मील लम्बी नहर या बम्बा बनाया गया तथा सिंचाई के लिये कितने सरकारी ट्यूबवेल लगाये गये और कहां-कहां पर ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में फीरोजाबाद तहसील में किसी भी नहर का निर्माण नहीं हुआ है और न राजकीय नलकूपों का निर्माण सम्भव हो सका है।

*७९---श्री जगन्नाथ लहरी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फीरोजाबाद तहसील में सिंचाई के लिये कितने मील लम्बी नहर या बम्बा बनाने और कितने सरकारी ट्यूबवेल लगाने की योजना है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फीरोजाबाद तहसील में नहरें व रजबाहे बनाने की कोई योजना नहीं है।

इस तहसील में भारत की उच्चाधिकार समिति ने दो "एक्सप्लोरेटरी" नलकूपों के लिए दो स्थान चुने हैं। प्रथम अराजीरदं ग्राम में व द्वितीय आसन ग्राम में। "एक्सप्लोरेटरी" नलकूप के अन्तिम नतीजे के ज्ञात होने के पश्चात् ही अधिक नलकूपों के निर्माण के कार्यक्रम पर विचार किया जायगा।

आजमगढ़ जिले में नलकूप-चालक

*८०---श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कुल कितने ट्यूबवेल आपरेटर हैं ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---आजमगढ़ जिले में कुल १६० नलकूप-चालक (Tubewell Operator) कार्य कर रहे हैं।

*८१---श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---क्या आजमगढ़ जिले में ट्यूबवेल आपरेटरों की जो वेटिंग लिस्ट बनती है उसके अनुसार ही उनको सेवा पर नियुक्त किया जाता है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---जी हां।

जौनपुर जिले के नलकूप विभाग के सुपरवाइजर के विरुद्ध शिकायत

*८२---श्री रामसमुझावन---क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को कुछ दिनों पूर्व जौनपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जौनपुर के एक ट्यूबवेल स्टोर कीपर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---जी नहीं। किसी स्टोर कीपर के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। ऐसी एक शिकायत एक सुपरवाइजर के विरुद्ध अवश्य प्राप्त हुई है और उस सम्बन्ध में disciplinary proceedings चालू हैं।

*८३-८५---श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)---[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी जिले की रानीपुर नहर पर सुखनई साइफन से रेलवे लाइन मार्ग पर पुलिया बनाने का आयोजन

*८६--श्रीमती बेनीबाई--क्या सरकार को ज्ञात है कि क्या जिला झांसी तहसील मऊ में रानीपुर नहर पर सुखनई साईफन से रेलवे लाइन तक काश्तकारों के आने-जाने के तीन रास्ते बन्द हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन काश्तकारों को परेशानी से बचाने के लिये इन रास्तों के बीच में कोई पुलिया बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)--जी हां। पुलिया का निर्माण दिसम्बर, १९५८ तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

*८७--श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)--[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

*८८--श्री गंगाप्रसादसिंह--[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

बाढ़ उपविभाग गाजीपुर का मुआयना

*८९--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, सन् १९५७ में गाजीपुर डिवीजन के एकाउन्टेंट ने बाढ़ सब-डिवीजन का आडिट किया था ? यदि हां, तो उस आडिट की रिपोर्ट क्या है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)--बाढ़ उप विभाग गाजीपुर के एकाउन्ट का मुआयना डिवीजनल एकाउन्टेन्ट ने अगस्त, सन् १९५७ के महीने में किया था। इस जांच का नतीजा यह निकला कि एकाउन्ट की हालत लगभग सन्तोषजनक पायी गयी थी।

*९०--श्री हरिहरबख्श सिंह (जिला हरदोई)--[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

मुरादाबाद जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के गांवों को ऊंचे पर बसाने की आवश्यकता

*९१--श्री सुक्खनलाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुरादाबाद में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के कितने ग्रामों को उठाकर ऊंचे स्थान पर बसाने की योजना है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)--इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

*९२--श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)--[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

*९३-९५--श्री लक्ष्मणराव कदम--[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

*९६--श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

*९७--श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)--[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

*९८-९९--श्रीमती बिन्दुमती दास (जिला बाराबंकी)--[सदस्यों द्वारा वापस ले लिये गये।]

देवरिया जिले की नलकूप योजना

*१००—श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देवरिया जिले की किन-किन तहसीलों में कितने-कितने नलकूप किन-किन स्थानों पर लगने वाले हैं ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देवरिया जिले में ६० नलकूप लगाने का प्रस्ताव है। उनका तहसीलवार व ग्रामवार विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २६५-२६६ पर)

*१०१—श्री रामायण राय—[वित्त मंत्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में बाढ़ प्रतिरोधक कार्य

*१०२—श्री रामायण राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले को बाढ़ से बचाने के लिये कौन-कौन कार्य कब तक किये जाने वाले हैं ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—देवरिया जिले को बाढ़ से बचाने के लिये निम्न-लिखित बाढ़ प्रतिरोधक कार्य किये गये हैं :—

योजना का नाम	अनुमानित लागत
(१) गंडक नदी पर चितौनी बांध का निर्माण	१९,४०,०००
(२) चितौनी बांध (दक्षिण) का विस्तार	३,९०,०००
(३) चितौनी बांध (उत्तर) का विस्तार	४,४०,०००
(४) चखनी ताल ड्रेन का निर्माण	९८,३१३
(५) अहरौली डाम पिपराघाट का बांध निर्माण	५,१४,०००
(६) गाजीपुर, देवरिया और बुलन्दशहर जिलों में ६० मील लम्बी सड़कों के स्तर ऊंचा करने की योजना के अन्तर्गत २० मील लम्बी सड़कों का स्तर ऊंचा करना	२,४०,०००
(७) चितौनी बांध की अग्रगामी रक्षा	९,९५,०००
(८) गोरखपुर, देवरिया और बस्ती जिलों में ६२५ ग्रामों का स्तर ऊंचा करने की योजना के अन्तर्गत ५० ग्रामों का स्तर ऊंचा करना	५,००,०००
(९) पूर्वी और पश्चिमी जिलों में ४,००० ग्रामों के स्तर ऊंचा करने की योजना के अन्तर्गत ४४० ग्रामों का स्तर ऊंचा करना	३५,२०,०००
(१०) घोवा नाला ड्रेनेज कट का निर्माण	४,३१,५५०

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त निम्न बाढ़ निरोधक योजनायें जिनसे देवरिया जिले में भी लाभ होगा, निर्माण करने का प्रस्ताव है। वह योजनायें राजकीय बाढ़ बोर्ड की प्राविधिक समिति द्वारा पारित हो गयी हैं लेकिन केंद्रीय सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा है :—

(१) जलकुंडी जलाशय का निर्माण,

(२) नैपाल बांध का निर्माण।

*१०३-१०४—श्री रणबहादुर सिंह—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण सोलहवें सोमवार के लिए प्रश्न १३ व १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बलिया जिले में कथौंड़ा बांध पर पुल की आवश्यकता

*१०५—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिला के अन्तर्गत कथौंड़ा बांध जो नदी घाघरा के किनारे है, हर साल वर्षा ऋतु में नदी के बाढ़ से टूट जाने से अपने पड़ोस के कितने गांवों की कितनी भूमि तथा कितने रुपये की क्षति पहुंचाता है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—घाघरा नदी के तटस्थ, बलिया जिले में कथौंड़ा बांध एक प्राइवेट बांध है। जब अधिक बाढ़ के समय यह बांध टूट जाता है, तो लगभग १० वर्ग मील का क्षेत्र डूब जाता है व लगभग एक लाख रुपये की फसल की हानि हो जाती है।

*१०६—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या यह सत्य है कि कथौंड़ा बांध पर पुल बनाने की योजना थी ? यदि हां, तो वह क्यों स्थगित है और कब तक बनेगा ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—कथौंड़ा बांध पर रेग्यूलेटर निर्माण करने की कोई भी योजना नहीं थी।

*१०७-१०८—श्री चन्द्रजीत यादव—[वित्त मंत्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

मिर्जापुर जिले के सूखा नहरी क्षेत्रों में नहरी महसूल माफ करने का आश्वासन

*१०९—श्री राजनारायण सिंह (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार इस साल सूखा की वजह से जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत परगना विजयगढ़ की कर्मनासा नहर का महसूल माफ करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—जी हां, यह महसूल केवल उन क्षेत्रों में माफ किया जायगा जहां नहर के पानी के अभाव से फसल को क्षति पहुंची है।

वाराणसी जिले के कठेहर परगने में नलकूपों का स्तर नीचा होने की शिकायत

*११०—श्री लोकनाथ सिंह—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तरयां ट्यूब वेल्स या ऐसे ट्यूब-वेल्स जो किसी की गलती से जमीन के निचले स्तर पर कठहर क्षेत्र वाराणसी में लग गये हैं उनको ठीक करने के प्रश्न पर सरकार क्या कर रही है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—जी नहीं।

तरयां नलकूप नीचे स्तर पर नहीं बना हुआ है और परगना कठेहर में कोई भी नलकूप ऐसा नहीं है जो कि निचले स्तर पर बना हो।

*१११-११३—श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—[वित्त मंत्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिए स्थगित किये गये।]

मथुरा जिले में बनने वाले नाले तथा आगरा नहर से निकलने वाले रजबहे के संबंध में जानकारी

*११४—श्री रामहेत सिंह—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले से आगरा नहर में से एक रजबहा सिंचाई के लिये निकाला जा रहा है जिससे कि केवल राजस्थान को ही लाभ पहुंचेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार मथुरा जिले में उस रजबहे के आस-पास की भूमि के लिये भी सिंचाई की सुविधा देने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—जी हां, आगरा नहर से ३०० क्यूसेक्स की क्षमता की भरतपुर फीडर नामक नहर बनाये जाने की योजना है। यह नहर केवल वर्षा ऋतु में ही चलेगी जब कि प्रायः मथुरा जिले में किसी भी फसल के लिये सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और जब पानी यू०पी० की आवश्यकता से फालतू होता है।

उपरोक्त कारण से उक्त क्षेत्र को इस नहर से अभी कोई सिंचाई-सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है।

*११५—**श्री रामहेत सिंह**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की तहसील छाता गरकी में राघेरा सहारा, तरौली, वासा बुखरारी नाले इस वर्ष वर्षा होने से पूर्व तैयार हो जायंगे ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—बांसा नाला जो ग्राम बड़का बुखरारी वासा, व सुफाना के नीचे जंगल के पानी को निकालेगा उस पर काम शुरू हो गया है और आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व समाप्त हो जायगा। नाले जो ग्राम रांघेरा सहारा, व पूर्वी तरौली के जलमग्न क्षेत्र के पानी निकालने के लिये बनाने की योजना है वह काम इस वर्ष अगली वर्षा ऋतु से पूर्व समाप्त नहीं हो सकेगा।

*११६—**श्री रामहेत सिंह**—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण दसवें सोमवार के लिए प्रश्न संख्या १३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*११७-११८—**श्री वीरेंद्र वर्मा**—[वित्त मंत्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

*११९-१२१—**श्री राजेंद्रदत्त**—[वित्त मंत्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

सिंचाई विभाग में प्रयोग किये जाने वाले नक्शे

*१२२—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**—क्या सिंचाई मंत्री अपने विभाग के उन जीर्ण नक्शों की दशा जानने की कृपा करेंगे जिनका प्रयोजन नहर के अमीन तथा मुन्शी करते हैं ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—इस विभाग में १,१९७ अमीन तथा ३,४३३ पतरौल व ६,३५४ ट्यूबवेल आपरेटर्स हैं। हर एक पतरौल व ट्यूबवेल आपरेटर के पास कई-कई नक्शे होते हैं। इनमें से कुछ नक्शे पुराने होकर जीर्ण हो जाते हैं और इसकी रिपोर्ट मिलने पर उनके बदले में नये नक्शे बराबर बनते तथा वितरित होते हैं।

*१२३-१२४—**श्री जगन्नाथ चौधरी**—माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण ग्यारहवें सोमवार के लिए प्रश्न संख्या १३१-१३२ से स्थानान्तरित किये गये।

*१२५—**श्री तेजासिंह** (जिला मेरठ)—[वित्त मंत्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

*१२६—**श्री देवनारायण भारतीय** (जिला शाहजहांपुर)—[३१ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

*१२७-१२८—**श्री मदनगोपाल वैद्य** (जिला फैजाबाद)—[३१ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

*१२९—**श्री इन्दुभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़)—[खाद्य मंत्री से संबंधित ग्यारहवें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या १४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

देवरिया जिले में गंडक नदी पर नदावल घाट का पुल

*१३०—श्री शिवबचन राय (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में गंडक नदी पर नदावल घाट का जो पुल बना है उसके निर्माण में कुल कितने रुपये लगे हैं और क्या यह सच है कि उक्त पुल वर्षा के दिनों में पानी में डूब जाता है और उस पुल के दोनों तरफ बहुत दूर तक पानी भर जाता है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में गंडक नदी पर नदावल घाट का जो पुल बना है उसके निर्माण में दिसम्बर, १९५७ तक २८,४०० रुपये का व्यय हुआ है।

उक्त पुल वर्षा के दिनों में पानी में डूब जाता है और उसके दोनों ओर बहुत दूर तक पानी भर जाता है। यह पुल डुबाओ (सबमर्सिबिल) टाइप का बनाया ही गया है।

*१३१—श्री होरीलाल यादव—(जिला फर्रुखाबाद) [३१ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

*१३२—श्री रघुवीर राम (जिला गाजीपुर)—[वित्त मंत्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

*१३३-१३४—श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)—[३१ मार्च, १९५८ ई० के लिए स्थगित किये गये]।

बाराबंकी जिले के बरह परगने में धानापुर नहर में ली गयी भूमि

*१३५—श्री लोकनाथ सिंह—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना बरह, जिला वाराणसी में चहनियां नहर से संलग्न पुन: कोई नहर खोदी गयी है? यदि यदि हां, तो इससे कितनी जमीन किसानों की नहर के पेटे में गयी।

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—परगना बरह जिला वाराणसी में चहनियां नहर नाम की कोई नहर नहीं है। बरह परगने में धानापुर नहर का दो मील लम्बा भाग पड़ता है और इससे संलग्न पुनः कोई नहर नहीं खोदी गयी है। अतः किसानों की जमीन का नहर के पेटे में जाने का प्रश्न नहीं उठता। धानापुर नहर के दो मील लम्बे भाग में १२.१०२ एकड़ भूमि ली गयी है।

*१३६—श्री लोकनाथ सिंह—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि इन नहरों से छोटे छोटे गरीब किसानों के खेत मानिंद टापू के हो गये हैं और १० बीघे का पानी निकालने में ५० बीघे जमीन बरबाद हुई है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—जी नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है।

*१३७—श्री लोकनाथ सिंह—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना बरह, जिला वाराणसी, मौजा गुरेरा के पास जहां से नहर निकाली गयी है, वहां सड़क पर कोई पुल बना दिया गया है ताकि जनता तथा गाड़ियों का आवागमन हो सके ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—गुरेरा ग्राम के पास उक्त नहर नहीं जाती इसलिये उस पर पुल बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता गुरेरा ग्राम के पास होकर बान गंगा नाला जाता है और इस स्थान पर एक कच्ची लीक इस नाली को काटती है परन्तु इस स्थान पर एक ताल सा है और धरातल बहुत नीचा है जिसके कारण पुल बनाना संभव नहीं समझा गया और न इस विषय में कोई मांग ही की गयी है।

गाजीपुर बाढ़ विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*१३८—श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको ११-५-५७ में गाजीपुर बाढ़ विभाग की शिकायतों का कोई प्रार्थनापत्र मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—जी हां, उस विभाग द्वारा जांच की गयी थी।

*१३९—श्री टीकाराम पुजारी—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त शिकायत के पत्र की किस अधिकारी ने जांच की और किस तारीख में जांच की ? यदि जांच हुई, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—उसकी जांच, अधीक्षण अभियन्ता, फ्लड सर्किल, फैजाबाद, श्री सुमेरसिंह ने की थी। शिकायती-पत्र बिलकुल निराधार था।

*१४०—श्री टीकाराम पुजारी—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रार्थना-पत्र में किस अधिकारी की शिकायत की गयी थी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—यह शिकायती पत्र बाढ़ विभाग, गाजीपुर के कर्मचारियों और विशेषकर श्री लालधारी व श्री ईश्वरी प्रसाद ओवरसियरों के खिलाफ था।

*१४१—श्री तेजासिंह—[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

बुलन्दशहर जिले में जमुना के कटाव को रोकने की प्रार्थना

*१४२—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या वह दोआबा हिन्डन व जमुना, जिला बुलन्दशहर में नालों पर पुलों की किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—हिंडन व जमुना दोआबा में १० पुल की एक योजना, जिसका तखमीना ७६,००० रुपया था, बनायी गयी थी। सरकार ने यह योजना स्वीकार नहीं की क्योंकि प्रान्त में अनेकानेक ऐसे पुल होंगे जिन पर सरकार व्यय नहीं कर सकती।

*१४३—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या वह जिला बुलन्दशहर में जो जमुना नदी का कटान तेजी से बढ़ रहा है उसे रोकने की कोई योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—यमुना नदी बुलन्दशहर जिले में कोई नयी भूमि नहीं काट रही है। इतनी बड़ी नदी अपना बहाव थोड़ा बहुत हर बाढ़ में बदल लेती है। परन्तु इसके लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और न कोई ऐसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसके बारे में कोई अधिक भय अभी तक नहीं प्रतीत होता है।

*१४४—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि दोआबा हिन्डन व जमुना, जिला बुलन्दशहर में हिन्डन नदी के कटान से ग्राम गढ़ी चौखन्डी व बहलोलपुर के बचाव के लिये क्या वह कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—गांव गढ़ी चौखन्डी को हिंडन नदी से दो साल बराबर यानी अक्तूबर ५६ और सितम्बर ५७ में हानि पहुंची। इसमें बहुत सी हानि हुई जिसके कारण गांव हटाना पड़ा। अब यह गांव नदी से ४ फर्लांग दूरी पर बसा दिया गया है। नई जगह पूर्ण रूप से सुरक्षित प्रतीत होती है और नदी से दूर भी है। लगभग पूरा गांव हट चुका है। पहली जगह में तो अब गांव कुछ नहीं रह गया है और अब कुछ इसके बारे में कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

गांव बहलोलपुर की आबादी नदी से नजदीक ५० फीट की दूरी पर थी परन्तु सितम्बर ५७ की बाढ़ से नदी १०० फिट और हट गयी है। अब आबादी नदी से १५० फिट दूरी पर हो गयी है। किन्तु आबादी और नदी के बीच में एक बड़ी झील बन गयी है और गांव बाढ़ से अब भी सुरक्षित नहीं है। आबादी वैसे तो ऊंची है किन्तु दरिया उसके किनारे को काफी क्षति पहुंचा सकती है अगर वह जरा सा भी अपना बहाव बदल ले। अगर गांव हट जाता तो इससे अच्छा हल और कोई नहीं था परन्तु इस गांव में पक्के मकानात बहुत अधिक हैं और गांव वाले किसी भी सूरत में इसके हटाये जाने को तैयार नहीं होंगे। २ फर्लांग लम्बाई में नदी की तरफ के ढाल पर १६ फिट चौड़ाई में और १ फिट गहराई में बड़ा कंकड़ का पिचिंग करने पर विचार किया जा रहा है जिसमें लगभग ८,००० रुपया व्यय होगा।

सिंचाई विभाग के अनक्वालीफाइड ओवरसियर्स

*१४५—श्री श्रीकृष्णगोयल (जिला बदायूं)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग में कितने अनक्वाली फाइड ओवरसियर्स कार्य कर रहे हैं और इनमें कितने लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन ने मान्यता दे दी है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—इस समय सिंचाई विभाग में कुल १७४ अनक्वालीफाइड ओवरसियर्स कार्य कर रहे हैं। उनमें से ८० को लोक सेवा आयोग ने मान्यता दे दी है।

*४६—श्री श्रीकृष्ण गोयल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने अनक्वाली फाइड ओवरसियर पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने भेजे गये थे और उनके लिये क्या योग्यता निर्धारित की गयी थी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—सिंचाई विभाग की ओर से कोई भी अनक्वालीफाइड ओवरसियर लोक सेवा आयोग के सामने नहीं भेजा गया। केवल एक ओवरसियर, जो पहले रामपुर राज्य में स्थायीरूप से कार्य कर रहा था, आयोग के सामने भेजा गया था क्योंकि रामपुर राज्य के विलीनीकरण पर वह सिंचाई विभाग में ले लिया गया था। योग्यता निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बस्ती जिले में बूढ़ी राप्ती नदी से बाढ़ की रक्षा के लिए योजना

*१४७—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या उत्तर राप्ती, तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में बूढ़ी राप्ती नदी से बाढ़ की रक्षा के लिये कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—जी हां, एक योजना ट्रान्स राप्ती के बांध की मरम्मत के लिए बूढ़ी राप्ती के साथ साथ परसोहन से बूढ़ी तक ७६,४५० रुपया लागत की तैयार की गयी है।

*१४८—श्री रामलखन मिश्र—क्या सरकार बाढ़ से रक्षा के लिये बांध परसोहन का जीर्णोद्धार करने पर विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—इस बांध की मरम्मत का कार्य रुपये की कमी के कारण नहीं किया जा सकता है।

*१४९-१५१—श्री उग्रसेन—[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

*१५२-१५३—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

*१५४—श्री मुरलीधर कुरील (जिला आजमगढ़)—[३१ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया ।]

*१५५–१५८—श्री प्रतापसिंह—[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर २४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१५९—श्री नारायणदत्त तिवारी—[वित्त मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित किया गया ।]

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—जो कामरोको प्रस्ताव मेरे पास आये थे मैंने माननीय सदस्यों को बता दिया है कि वे अस्वीकृत हैं और उनको मैं पढ़ नहीं रहा हूं । आज अनुदान सामान्य प्रशासन पर विवाद होगा । इन प्रस्तावों में बहुत से ऐसे हैं जिनको उसमें उठाया जा सकता है । जहां तक चेचक के बारे में किसी ने प्रश्न उठाया है उसे परसों नरसों शायद स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अनुदान पर विवाद था, उसमें वह प्रश्न उठाया जा सकता था । दूसरी बात यह कि उसमें कोई अर्जेंसी भी नहीं है । १५–२० रोज पहले से बीमारी के कारण मृत्युएं हुई होंगी तो उस वक्त यह प्रश्न उठाना आवश्यक था । इसलिये वह तो बिलकुल ही अस्वीकृत होने योग्य है, लेकिन बाकी विषय सामान्य प्रशासन पर विवाद में उठाये जा सकते हैं ।

श्री राजनारायण (जिरा वाराणसी)—श्रीमन्, निवेदन यह है कि एक कामरोको प्रस्ताव है उसमें हमारा नाम है, माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे का नाम है, माननीय त्रिलोकीसिंह जी का नाम है, माननीय गेंदासिंह जी का नाम है, चार के नाम से है । माननीय गेंदा सिंह जी के निर्वाचन क्षेत्र में मालगुजारी विभाग के द्वारा इतनी अनियमितता बरती जा रही है कि सामान्य प्रशासन के अनुदान के वाद-विवाद के समय इस एक विभाग को सिंगल आउट करके कैसे बोल पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—अगर आपको कोई आवश्यक विषय मालूम हो तो आप भाषण में उसका जिक्र कर सकते हैं ।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, शनिस्चर को हम लोगों ने यह प्रस्ताव आपको दिया था और श्रीमान् ने कहा था कि सोमवार को इस पर हम विचार करेंगे । माल विभाग का अनुदान समाप्त हो चुका है और ये घटनायें आइसोलेटेड नहीं हैं, दैनन्दन होती हैं और ऐसी घटनाओं के कारण जो एक छुब्ध वातावरण वहां का है उस दृष्टि से हम लोगों ने यह कामरोको प्रस्ताव रखा था और श्रीमन्, अगर उसको डिसएलाउ करते हैं तो हमको अपनी बात कहने का अवसर कहां आता है । इसलिये निवेदन यह है कि श्रीमन् इसको एलाउ करें ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, दो कारणों से यह प्रस्ताव विशेषकर महत्वपूर्ण है । पहला तो यह कि इस तरह की घटनायें जिनका जिक्र इस प्रस्ताव में किया गया है माननीय माल मंत्री के पूर्वी यू०पी० के गोरखपुर और देवरिया जिलों के दौरे के बाद विशेषकर होने लगीं । दूसरा कारण यह कि जब उन्होंने हाउस में इस बात का एलान किया कि यह जबर्दस्ती वसूल की जायगी उसके बाद से ये घटनायें और बढ़ गयीं । इन दो कारणों से इसका विशेष महत्व है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसे आप जरूर स्वीकार करें ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मैंने तार भी, श्रीमन्, के यहां भेजा...

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें, मैंने आपका नाम नहीं पुकारा ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—मैंने अपने भाषण में भी कई बार इसका जिक्र किया लेकिन मंत्री जी इस पर ध्यान नहीं देते हैं ।

श्री अध्यक्ष—आप भी कृपा करके बैठें, मैंने आपको बुलाया नहीं है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की बहस में इसकी चर्चा हो सकती है लेकिन कामरोको प्रस्ताव की एक अपनी अलग अहमियत है और कामरोको प्रस्ताव एक प्रकार से किसी मिनिस्टर के प्रति सेन्श्योर मोशन होता है। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि इस कामरोको प्रस्ताव की आपको अनुमति देनी चाहिये।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—जो कामरोको प्रस्ताव रखा गया है उस पर गौर होना चाहिये। बड़ी तकलीफ हो रही है किसानों को....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें।

प्रश्न यह है कि माननीय नेता सोशलिस्ट पार्टी, विरोधी दल के उपनेता, जनसंघ के नेता तथा कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, इन सबकी तरफ से इस बात को कहा गया कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको उठाने की उनको इजाजत दी जाय। लेकिन यह कोई नया प्रश्न नहीं है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्,.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठिये। इस तरह से आप बीच में टोकेंगे तो ठीक नहीं होगा।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, यह इतने महत्व का प्रश्न है और आप सुनना ही नहीं चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठिये, नहीं तो मुझे आपको सदन छोड़ने के लिये कहना पड़ेगा।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—आप सदन छोड़कर चले जाइये।

श्री उग्रसेन—चले तो जायंगे ही जब इस तरह से अन्याय हो रहा है।

(इसके पश्चात् श्री उग्रसेन सदन से चले गये।)

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न कई बार उठ चुका है और राजस्व मंत्री जी का अनुदान भी सदन के सामने आ चुका है। आज कोई नई बात हो नहीं रही है। उस समय जो टीका टिप्पणी करनी थी वह आदरणीय सदन में की गयी। माननीय मदन पांडेय जी ने भी इस विषय का जिक्र किया था और इस तरह का जिक्र बराबर होता आया है। एक लाख गांव हमारे सूबे में हैं। हर गांव में कहीं न कहीं ज्यादती हो सकती है। एक गांव में एक तरह की ज्यादती होती है तो दूसरे गांव में दूसरी तरह की ज्यादती होती है और तीसरे गांव में तीसरी तरह की ज्यादती होती है। तो इस तरह से रोजाना ऐसे प्रश्न उठाये जा सकते हैं। इसलिये यदि रोजाना ऐसे प्रश्न उठे और उन पर मतभेद हो और रोजाना कामरोको प्रस्ताव आ जावें तो सदन का सब काम बंद हो जायगा और इस कारण मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं समझता हूं कि सामान्य प्रशासन पर वाद-विवाद में थोड़ा सा इसका जिक्र माननीय सदस्य कर सकते हैं या अगर इस पर विचार स्वतंत्र रीति से करना है तो दूसरा रास्ता यह है कि आप माननीय नेता सदन से बजट के बाद कोई दूसरा दिन मांग लीजिये, यह दो तरीके हैं।

तीसरा यह भी है कि अगर आपका सरकार को सैंश्योर करने का इरादा है तो उसका मोशन आप कायदे के अनुसार ला सकते हैं। लेकिन कामरोको प्रस्ताव बार-बार लाना ठीक नहीं है जबकि यह बात विदित है कि मतभेद है इस विषय में कि वसूली मालगुजारी करना चाहिये या नहीं। यह प्रश्न हजारों गांवों से सम्बन्ध रखता है और यदि मतभेद होगा तो कुछ सदस्यों को हर जगह ज्यादती मालूम होगी और हर गांव का प्रश्न अलग अलग उठाया जायगा, तो मैं रोजाना इस पर बहस होने की इजाजत नहीं दूंगा। इसी कारण मैं कह रहा हूं कि आप सामान्य प्रशासन के अनुदान पर वाद-विवाद में इस विषय पर आमतौर पर बोल सकते हैं और अब वह मौका आपके सामने है।

श्री झारखंडे राय—अध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने जो रूलिंग दी है, उससे हम सहमत नहीं हैं इसलिये हम ५ मिनट के लिये सदन से वाक आउट करते हैं।

(इसके उपरान्त कम्युनिस्ट दल के सदस्य सदन से चले गये।)

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—अध्यक्ष महोदय, जो रूलिंग आपने इस समय इस महत्वपूर्ण विषय पर दी है, उससे हमें बड़ा क्षोभ हुआ है, उसका हम त्याग नहीं कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप हम लोग ५ मिनट के लिये सदन का त्याग क्षणिक त्याग करते हैं।

(तत्पश्चात् जनसंघ दल के सदस्य भी सदन से चले गये।)

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कामरोको प्रस्ताव एक निश्चित विषय पर आता है। हमारे नेतागण ने जो कामरोको प्रस्ताव दिया था वह बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या पर है। लगान वसूली में जबर्दस्ती हो रही है। माननीय माल मंत्री जी का भाषण हुआ है.....

श्री अध्यक्ष—आप भाषण न करें।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—इसलिये हम इसके विरोध में ५ मिनट के लिये वाक आउट करते हैं।

(इसके बाद प्रजा समाजवादी दल के सदस्यों ने भी सदन का परित्याग किया।)

श्री मदन पांडेय—श्रीमन्, हम लोग आपके रूलिंग से विवश हैं और ५ मिनट के लिये सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय स्वतंत्र प्रगतिशील दल के सदस्य भी चले गये।)

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, हमने जो कामरोको प्रस्ताव भेजा है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिये आज मैं दिन भर के लिये सदन का परित्याग करता हूं क्योंकि आज हमारे किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है।

(श्री टीकाराम पुजारी ने सदन का परित्याग किया।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं इतना निवेदन करूंगा कि...

श्री अध्यक्ष—वह (श्री टीकाराम पुजारी) तो आपकी तरफ से बोल चुके हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, उन्होंने तो और बात कही। मैं निवेदन करूंगा कि सदन में हम उस अहम प्रश्न पर विचार नहीं कर पा रहे हैं। हम देखते हैं कि गोरखपुर, देवरिया, बनारस आदि क्षेत्रों में किसानों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। जब इस विषय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो हम भी अपना विरोध प्रकट करने के लिये ५ मिनट के लिये लाक्षणिक सदन त्याग करते हैं।

(तत्पश्चात् सोशलिस्ट पार्टी के अन्य सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

भावी कार्यक्रम की सूचना

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, आज और कल यानी १७ और १८ को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग का बजट होगा। १९ से २२ तक कोआपरेशन, पुलिस, एजुकेशन, जेल और हरिजन वेलफेयर के बजटों पर विचार होगा। उसमें केवल हरिजन वेलफेयर के लिये परिवर्तन हुआ है जो पहले था उसको उठाकर अंत में रख दिया है। अन्य और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १२-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३-लेखा शीर्षक २५-कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय

मुख्यमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२-सामान्य प्रशासन के कारण व्यय-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,१८,८२,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३-कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,०१,६५,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

इसमें बहुत पुरानी चीजें हैं जो हर साल आया करती हैं। इसलिये इस वक्त में कोई स्पीच नहीं देता, अगर जरूरत होगी तो बाद में निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष---अब मैं कार्यवाही में जिन माननीय सदस्यों के नाम कटौती के प्रस्ताव में दिये हैं उनको बुलाता हूं। श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री मदन पांडेय, श्री जगन्नाथ लहरी, श्री राजेंद्रसिंह, श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री सीताराम शुक्ल, श्री देवकीनन्दन विभव, श्री मुरलीधर कुरील, श्री नवलकिशोर, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री झारखंडेराय, श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री लक्ष्मणराव कदम, श्री धनुषधारी पांडेय, श्री सुल्तान आलम खां, श्री दीनदयालु शास्त्री, श्री त्रिलोकीसिंह, श्री अब्दुल रऊफ लारी, श्री बंशीधर शुक्ल, श्री ब्रजनारायण तिवारी, श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री गंगाप्रसाद, (गोंडा) श्री गुप्तार सिंह, श्री खुशीराम, श्री रामप्रसाद, श्री रामचन्द्र विकल, श्री राजकुमार शर्मा, श्री गोविन्द सिंह, श्री जगदीशशरण अग्रवाल, श्री श्रीपाल सिंह, राजा वीरेंद्रशाह, श्री प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री इन्दुभूषण, श्री मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह, श्री श्यामलाल यादव, श्री मिहरबान सिंह, डाक्टर खमानी सिंह, श्री हलीमुद्दीन, श्री शिवसरन सिंह, श्री रामलखन मिश्र, श्री ताराचन्द माहेश्वरी, श्री बलवानसिंह, श्री शिवशंकरसिंह, श्री लायकसिंह, श्री महमूद हसन खां, श्री लालबहादुर सिंह, श्री राम प्रसाद नौटियाल। इनके कटौती के प्रस्ताव थे कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विवाद करना और सुझाव देना है। इनमें से कोई उपस्थित नहीं हैं।

इसके बाद श्री सूरतचन्द रमोला का नाम है वे भी उपस्थित नहीं हैं।

फिर श्री चिरंजीलाल जाटव का नाम है . . . .

(इस समय विरोधी दल के सदस्य पुनः सदन में आ गये।)

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, जैसी आपकी व्यवस्था थी, विरोधी दलों की ओर से मिलकर यह तय किया गया है कि हमारी तरफ से कटौती का प्रस्ताव माननीय राजनारायण जी पेश करेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह एक व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है कि यदि कोई देर से आया और जिस समय उस सदस्य का नाम पुकारा गया है उस समय वह मौजूद न हो तो क्या उसको मौका देना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष---मैंने इसीलिये आदरणीय सदन से पूछा। यदि सदन को आपत्ति है तो मैं इजाजत नहीं दूंगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हमको आपत्ति है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)––मैं भी, श्रीमन्, एक निवेदन कर दूं। माननीय मुख्य मंत्री जी शायद बुद्धि विभ्रमजन्य भ्रांति में विचरण कर रहे हैं। आपने मेरा नाम नहीं पुकारा है। इसमें मेरा नाम नहीं है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं वह यहां लागू नहीं होता। विरोधी दलों . . .

श्री अध्यक्ष––आप कृपा कर बैठें। आपको एक दफा फिर मौका मिलेगा। अभी अनुदान संख्या १२ और १३ एक साथ प्रस्तुत किये गये थे और उसके बाद मैंने नाम पुकारे। अनुदान संख्या १२ पर कटौती का प्रस्ताव पेश करने कोई खड़ा नहीं हुआ। अनुदान संख्या १३ के लिये मैं नाम पुकारता हूं। श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री मदन पांडेय. . . .

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)––अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने आपस में यह तय किया है कि कट मोशन राजनारायण जी मूव करेंगे।

श्री अध्यक्ष––(श्री राजनारायण) अब आप बोल सकते हैं।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, यह दोनों एक साथ मूव हुए हैं . . .

श्री अध्यक्ष––लेकिन आप कटौती का प्रस्ताव अनुदान संख्या १३ में ही दे सकेंगे।

श्री राजनारायण––तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या १३ के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विवाद करना तथा सुझाव देना है।

श्रीमन्, इसके लिये समय की व्यवस्था नहीं हो पायी है। इसके लिये मैं आशा करूंगा कि कम से कम २० मिनट हमको मिलें।

श्री अध्यक्ष––जी हां। २० मिनट आप को मिलेंगे।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, इस अनुदान पर कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए मैं आप के द्वारा माननीय सदन से यह निवेदन करूंगा कि आज ६,७ वर्षों से लगातार सोशलिस्ट पार्टी और दूसरे विरोधी लोग सरकार के सामने प्रदेश का सही मानों में जनतांत्रिक ढांचा प्रस्तुत कर रहे हैं, मगर सरकार जो अंग्रेजी साम्राज्यशाही की देन है, उसी तानाशाही ढांचे पर आरूढ़ हो कर चल रही है। हमने पहले सालों में भी सरकार से निवेदन किया था कि राज्यपाल महोदय की क्या आवश्यकता है . . .

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा-सचिव (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)––मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्री राजनारायण जी का नाम कट मोशन पेश करने वालों में नहीं है तो वह कैसे आप को अथराइज कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष––प्रथा के अनुसार विरोधी दल के नेता ने उस रोज कहा था कि उनका नाम पहले आना चाहिये और उस पर मैंने यह कहा था कि समझौते से आप जिसका नाम दे देंगे उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने यह तय किया है कि आज इसके ऊपर कट मोशन श्री राजनारायण जी पेश करें। तो मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। जब नये नियम बनेंगे उस समय इस संबंध की प्रथा पर कोई फैसला निश्चित हो जायगा, उस समय तक यह इसी तरह से कार्यवाही होगी।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, मेरे दोस्त ने . .

श्री अध्यक्ष––आप निर्णय हो जाने पर किसी पर कोई टीका न करिये।

श्री राजनारायण—किसी ने एक शेर पढ़ा था, श्रीमन्, कि—

"हमीं जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल,
किसे देख कर आप शरमाइयेगा।"

अगर हमीं इस अनुदान पर कट मोशन न पेश करेंगे तो इस सरकार को शर्म कैसे आयेगी और इसकी त्रुटियों, कमियों और खामियों को अच्छी तरह से इस सदन में रखा कैसे जायगा? इसीलिये माननीय अध्यक्ष महोदय की विशेष अनुकम्पा से विरोधी दल के लोगों ने जो परम्परा चल रही थी उनका निर्वाह किया है और मुझे इस अनुदान पर कट मोशन पेश करने के लिये कहा।

श्रीमन्, मैं अब २२ मिनट पर शुरू कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—उधर देखिये, सामने वाली घड़ी को।

श्री राजनारायण—जरा दूर पड़ती है। आंखों में कुछ खराबी है।

तो मैंने पहले ही निवेदन किया था इस आदरणीय सदन में कि गवर्नर की क्या आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि इस सदन से एक प्रस्ताव पास होना चाहिये कि राज्यपाल महोदय पर जो अतुलित धनराशि खर्च हो रही है, उसे कम किया जाय, अगर उनकी आवश्यकता मानी जाय तो। इस सदन में जब अच्छे-अच्छे कामों के लिये धन की कमी की दुहाई दी जाती है, तो उस को जस्टीफाई करने के लिये सदन से इस प्रकार का एक प्रस्ताव पास हो जाय।

दूसरी बात मैंने यह कही थी कि तनख्वाहों में बड़ी विषमता है। एक तरफ चौकीदार ५ रुपया महीना पाता है और दूसरी तरफ सेक्रेटरी लोग ३ और साढ़े ३ हजार रुपया महीना पाते हैं और उनमें कई हजार गुने का फर्क पड़ जाता है। सरकार से कई बार निवेदन किया कि क्यों न तनख्वाहों में १:१० का अनुपात रखा जाय। हमने कई बार कहा कि १०० रुपया कम से कम तनख्वाह रखी जाय और १,००० रुपया अधिक से अधिक हो। माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रेस कांफ्रेंसों में अपने बयान दिये हैं। एक बार फरमाया था कि यदि सबकी तनख्वाह १०० रुपया महीना कर दी जाय तो कई करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी, जो राज्य कोष में नहीं है। हम ने जब पार साल वित्त मंत्री महोदय का भाषण जेल में रहते हुए पढ़ा तो उसमें यह कहा गया था कि १०० रुपये तक तनख्वाह करने में जो उत्तर प्रदेश सरकार को खर्च करना पड़ेगा उसका १/३ केंद्रीय सरकार देगी और ६० रुपये तक तनख्वाह करने में जो उसे खर्च करना पड़ेगा उसका २/३ केंद्रीय सरकार देगी। जब इस तरह की बात केंद्रीय सरकार की थी तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह तर्क प्रस्तुत करना कि सरकारी कोष में रुपये की कमी है, अमान्य होना चाहिये सदस्यों द्वारा और अगर यह सरकार इस प्रदेश से गरीबी और असमानता को दूर करना चाहे तो इस प्रदेश में इतने साधन हैं कि वह इस को कर सकती है, बशर्ते कि समानता और सामाजिक न्याय ये दो चमकते तारे हमारे दृष्टिकोण के सामने रहें। श्रीमन्, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार के पास १०० रुपया तक तनख्वाह करने में किसी प्रकार की कमी है तो क्या १ हजार रुपये से अधिक तनख्वाह और भत्ता लेने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह कम करने के लिये भी कुछ कमी है। इसलिये रुपये की कमी का बहाना करना गलत और अशोभनीय है क्योंकि वह कम तनख्वाह वालों को, एक हजार रुपये से अधिक तनख्वाह और भत्ता पाने वालों की तनख्वाह कम कर के कुछ दे सकती है। जब तक सरकार ऐसा नहीं करती है तब तक राज्य में विक्षोभ और असंतोष बढ़ता ही रहेगा। राज्य में अनेक प्रकार की श्रेणियां हैं और एक ही समान काम करने वाले कर्मचारियों को कम और ज्यादा तनख्वाह मिलती है। एक विभाग वाले जो तनख्वाह पाते हैं उससे दूसरे विभाग वालों को ज्यादा मिलती है और इससे आपस में विद्वेष की भावना जाग्रत होती है और काम में बाधा पड़ती है। यही कारण

है कि बार-बार सरकार की घोषणायें होती हैं और सरकार की इच्छा है कि प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटे लेकिन सरकार की उस इच्छा और घोषणा के बावजूद प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है।

श्रीमन्, हमने पहले भी सरकार के सामने सामान्य प्रशासन के समय कहा था कि जिस प्रदेश में अन्न की कमी हो, कपड़े की कमी हो, शिक्षा की कमी हो, दवाओं की कमी हो, उस प्रदेश में ४–४, ५–५ हजार रुपया देना किसी प्रकार से उचित नहीं है लेकिन सरकार आज तक कान में तेल डाले बैठी हुई है और लोगों की टोटल पे बढ़ती जा रही है, विषमता बढ़ती जा रही है।

हमने डिपार्टमेंटल जांच की कार्यवाही को भी बन्द करने के लिये कहा था। आज सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता जा रहा है? आज चाहे कोई रिश्वत ले रहा हो, चाहे कोई वैश्यागामी हो, मगर उसमें अगर कोई छोटा विभागीय कर्मचारी दोष पाता है तो कभी भी वह तथ्यों पर प्रकाश नहीं डाल सकता, वह अपने जजबात का इजहार नहीं कर सकता। चाहे कैसा ही अच्छे से अच्छा और ऊंचे से ऊंचा कर्मचारी क्यों न हो, वह सही बात प्रकट नहीं कर सकता। क्योंकि वैसा करने में उसे भय रहता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार के प्रत्येक विभाग में फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन होनी चाहिये। काम के संचालन की स्वतंत्रता उनको भले ही न हो लेकिन वाणी की स्वतंत्रता होना परम आवश्यक है। उसके काम का आप निरीक्षण करें लेकिन वाणी की स्वतंत्रता उसको दें। लेकिन आज काम में तो चाहे वह चोरी करे, डकैती कराये लेकिन फिर भी उसके खिलाफ जांच नहीं करायी जाती है लेकिन अगर छोटा कर्मचारी बड़े कर्मचारियों के इन कुकर्मों की तनिक भी चर्चा करता है तो सर्विस से निकाल पर फेंक दिया जाता है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है। माननीय मुख्य मंत्री जी समाजवाद के पंडित हैं, जब वे किताबें लिखते हैं तो उनमें विचारों की अभिव्यक्ति अच्छी होती है। लेकिन आज उनकी वाणी और कर्म में परस्पर विरोध है, जमीन और आसमान का अन्तर है। यही कारण है कि उनके राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, उनके राज्य में कर्मचारियों को भाषण की स्वतंत्रता नहीं है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये केवल भ्रष्टाचार निरोधक समितियों से काम चलने वाला नहीं है या जिस तरह से आप देखरेख करने वाले अधिकारी नियुक्त करते हैं उनसे तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। अगर आप रोकना ही चाहते हैं तो जिला स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर जन-प्रतिनिधियों की कमेटियां बनाइये, जिसके खर्चे की जिम्मेदारी प्रांतीय सरकार पर हो, मगर उसके काम पर सरकार का नियंत्रण न रहे। सरकार उनके लिये खर्चा दे, उनके लिये आमदनी के साधन जुटाये लेकिन यह नहीं कि मंत्री की इजाजत लेकर या विभागीय उच्चाधिकारी की इजाजत लेकर ही उस विभाग में जाकर भ्रष्टाचार को देख सके। यह ऐसा काम है जिसके लिये जन-प्रतिनिधियों की समितियां प्रत्येक जिले में और प्रत्येक शहर में बनायी जायं जिसमें सही और अच्छे आचरण वाले लोग रहें तो उससे भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो सकता है। आज का मौजूदा तरीका भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने में असमर्थ है और उसको बढ़ावा देने में समर्थ है। श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि जब सरकार जानती है कि राजकोष में पैसे का अभाव है और किसी अच्छे काम को करने में वह पैसे के अभाव की दुहाई देती है तो क्यों नहीं विधान परिषद् को भंग करने का प्रस्ताव इस सदन द्वारा पास कराया जाता है। मैं नहीं समझता कि विधान परिषद् क्यों रहे और उसकी क्या उपयोगिता है। जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमको इसकी कोई उपयोगिता नहीं दिखलायी देती है। इसलिये मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि पैसे के अभाव में और भी जनतांत्रिक और जन-प्रतिनिधियों के अच्छे तरीके से कामों को सम्पादन करने के लिये आज जरूरी है कि विधान परिषद् को भंग किया जाय।

[श्री राजनारायण]

विधान परिषद् की कोई आवश्यकता नहीं है । इस पर आज कई लाख रुपया जो खर्च हो रहा है उसके खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस बात को समझते हुए और मानते हुए भी माननीय मुख्य मंत्री, श्री सम्पूर्णानन्द जी के नेतृत्व में इस सदन द्वारा प्रस्ताव पास होता है, उनकी रहनुमाई में कि विधान परिषद् में और सदस्यों की संख्या बढ़ायी जाय । यह कितना बड़ा जनता के साथ आघात है और कितना बड़ा जनता के साथ धोखा है ? जनता से पैसा लेने के लिये उस पर तरह-तरह के जुल्म किये जाते हैं, लोगों को मुर्गा बनाया जाता है, उनको तरह-तरह से परेशान किया जाता है, उनके सामान की कुर्की होती है और इस तरह से उनसे कर वसूल किया जाता है और उस पैसे को इस तरह से ऐयाशी में उड़ाया जाता है यह कहां का सिद्धांत है, यह किस जनतंत्र का सिद्धांत है ?

श्रीमन्, जिस प्रकार से यहां खाद्य विभाग चल रहा है, अगर उसको खाद्य विभाग न कह कर भुखमरी विभाग कहा जाय तो ज्यादा अच्छा है । इसी प्रकार माननीय मंत्री जी सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये हमसे अनुदान मांग रही हैं । हम देखते हैं कि निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि विनाश हो रहा है, सार्वजनिक विनाश हो रहा है और उसके लिये हम एक पैसा भी देने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्रीमन्, जब हम इस बजट में देखते हैं, तो आई० सी० एस०, आई० ए० एस०, पी० सी० एस० की शिक्षा दीक्षा और नौकरी प्रणाली जो पहले थी, वह अब भी कायम है । 'वही रफ्तार बेढंगी, जो पहले थी वो अब भी है' माननीय मुख्य मंत्री जी बड़े वाक् पटु हैं, वाणी में चतुर हैं और किसी गलत काम को भी वे इतने अच्छे शब्दों में, इतनी चतुराई से पेश करते हैं, जिसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं । मगर जो गलत काम हो रहा है और जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके लिये हम उनको क्षमा नहीं कर सकते ।

श्रीमन्, राज्य के राज्य प्रमुख के बारे में मैंने अपने कुछ जजबात का इजहार कर दिया । जहां तक मंत्रिगण की बात है, वे हरगिज-हरगिज १,२०० रु० महीना तनख्वाह न लें, वे हरगिज-हरगिज इतना भत्ता न लें । इसी तरह से मोटरों का प्रयोग वे जिस तरह से करते हैं । मैं आपको बतलाऊं कि किस तरह से कितना ज्यादा जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है । दो आने पैसे में, श्रीमन्, किसी भी मंत्री का कोई कर्मचारी या कोई उनके कुटुम्ब का कोई सदस्य कहीं भी जाकर तरकारी ला सकता है, किसी भी मंत्री का लड़का तीन आने रिक्शे का पैसा देकर स्कूल या कालेज में जा सकता है, मगर उसको पहुंचाने के लिये सरकारी मोटरों का इस्तेमाल किया जाता है और तरकारियों के लिये भी सरकारी मोटरों का इस्तेमाल किया जाता है । इसमें कितने पैसे का खर्च होता है, और वह राज्य कोष से खर्च होता है । इसका कोई खयाल किया जाता है ? क्यों नहीं साइकिल से, क्यों नहीं रिक्शे से, क्यों नहीं बसेज से बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, जैसे कि दूसरे बच्चे बस सेवा का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही उनके बच्चे भी उस बस सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं । मगर नहीं, उनको मोटर से ही भेजा जाता है । जहां तक आराम करने की बात है, एक बड़े नेता ने कहा है कि "आराम हराम है" लेकिन मैं जब अक्सर मानयीय मंत्रिगण को फोन करता हूं तो जवाब मिलता है कि अभी वे आराम कर रहे हैं । दिल्ली से एक बड़े नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू तो यह कहते हैं कि 'आराम हराम' है और यहां आराम को हराम कहने वाले ही आराम कर रहे हैं ।

इसी तरह से लोक सेवा आयोग के संबंध में मुझे कुछ कहना है ।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मेरा एक वैधानिक प्रश्न है । अनुदान संख्या १२ के ऊपर कोई कट मोशन है नहीं, केवल अनुदान संख्या १३ के ऊपर कट मोशन है जो जिला प्रशासन और कमिश्नरियों के कर्मचारियों के संबंध में है,

तो माननीय सदस्य ने राज्यपाल से शुरू किया और राज्यपाल के बाद मंत्रिगण पर आये और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन पर पहुंच गये, तो मैं यह समझता हू कि यह असंगत बहस हो रही है, जब कि केवल अनुदान संख्या १३ ही विवाद के लिये सामने है।

श्री अध्यक्ष––आप कृपा करके बैठें। बात यह है कि दोनों अनुदान एक साथ पेश किये गये। उसको विभक्त किया नहीं गया है और एक अनुदान संख्या १२ पर अभी राय नहीं ली गयी है, वह अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, दोनों पर राय लेना अभी बाकी है। वह अनुदान १२ में कट मोशन नहीं दे सकते थे क्योंकि उनका समय निकल गया था, मैंने नाम पुकारे थे उस समय वह लोग सदन में नहीं थे, अनुदान १३ पर कटौती के प्रस्तावकों का जब मैंने नाम लेना प्रारम्भ किया तब वे आ गये थे। परन्तु इस कारण यद्यपि कटौती का प्रस्ताव तो अनुदान संख्या १३ पर लाना संभव था वाद-विवाद तो उस वक्त तक दोनों अनुदानों पर हो सकता है जबकि कोई अनुदान मंजूर न हो जाय जबकि दोनों अनुदान एक साथ विचारार्थ उपस्थित किये गये हैं। इसलिये हर एक माननीय सदस्य अभी भी दोनों ग्रांट्स पर बोल सकते हैं।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, यह हमारी विचारधारा और याददाश्त पर हमला है।..

श्री अध्यक्ष––इससे आप को अपनी याददाश्त को ताजा करने का मौका मिल गया।

श्री राजनारायण––जब हमारे विचार आते हैं तो वह धाराप्रवाह रूप में चलते हैं इस तरह से धारा टूट जाती है। तो, श्रीमन्, १५ अगस्त सन् ४७ की रात के १२ बजे जब अंग्रेजी हुकूमत का खात्मा हुआ और उसके सिर से राज्य मुकुट लंदन में गिरा तो उस समय हमारे यहां कुल ३,२०२ गजटेड आफिसर्स थे, जिनमें से द्विज ३,१५२, पिछड़ी जाति वाले ३४ और हरिजन १६ थे। लेकिन अब जो फिगर्स मेरे पास २१ जुलाई, सन् ५५ के आये हैं उन के अनुसार कुल गजटेड आफिसर्स की संख्या है ५,२८०, इस तरह से वह करीब दुगुनी हो गयी है। जिस में द्विज हैं ५,१८५, पिछड़े वर्गों के हैं २५ जो पहले ३४ थे जिन को शूद्र कहते हैं और हरिजन जो पहले १६ थे उनकी संख्या बढ़कर ७० हो गयी। मेरा कहना यह है कि अगर आप को इस सूबे के सभी वर्गों को उठाना है तो आपको चार बातों पर ध्यान देना होगा। पहला वर्ग है महिलाओं का, चाहे वह हिन्दू हों, मुसलमान हों, पिछड़े वर्ग की हों या हरिजन हों, कोई भी हों, सदा से हमारे यहां उनका शोषण होता चला आया है। उसके बाद हरिजन, मुसलमान और शूद्र इन सबको आप को उठाना है। यह चार हमारे अंग हैं जो आज भी पीड़ित हैं, द्रवित हैं, और शोषित हैं। जो सरकार इनके उत्थान के लिये कटिबद्ध नहीं होगी उसको किसी माने में भी नहीं कहा जा सकता कि वह जनतंत्र को सफल बनाने के लिये प्रयत्नशील है। आंकड़ों से साबित है कि कभी भी हरिजनों को, मुसलमानों को, शूद्रों को और महिलाओं को जो ९० प्रतिशत हमारी आबादी में हैं कभी जनतांत्रिक न्याय नहीं दिया गया है और न सरकारी सेवाओं में ही उनको समान अधिकार दिया गया है। ऐसी हालत में किस तरह से यह सरकार जनतांत्रिक पद्धति का अनुसरण करने का दावा कर सकती है? माननीय कमलापति जी चाहें उस से भले ही संतुष्ट हो जायं लेकिन यह उन का बुद्धि विभ्रम होगा और न्याय का सम्पादन उसी के कारण नहीं हो पायेगा। यह कोई सही बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष––जिसके ऊपर नजर पड़ जाय आप उसी का नाम न लेकर जिनका विषय है उन्हीं तक अपनी टीका सीमित रखें।

श्री राजनारायण––वह इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी के सब से निकटतम सलाहकार हैं इसलिए मैंने उनकी तरफ संकेत किया। माननीय मुख्य मंत्री जी अपने विभाग के बजट को

[श्री राजनारायण]

पढ़ें, पता नहीं उन्होंने पढ़ा है या नहीं। वह देखें कि लैंड रिफार्म्स कमिश्नर सामान्य प्रशासन में क्यों रखे गये हैं, माल विभाग में क्यों न रखे जायं। इसका जवाब वह अपने उत्तर में दें। जमींदारी विनाश कोष की उगाही की रकम भी रेवेन्यू की मद में क्यों नहीं रखी गयी, सामान्य प्रशासन से उसका क्या सम्बन्ध है ?

लोक सेवा आयोग के संबंध में मेरा निवेदन है कि जब तक उसमें औरतों, पिछड़ी हुई जाति के लोगों, हरिजनों और मुसलमानों के प्रतिनिधियों को नहीं रखा जायगा तब तक यह सरकार किसी के लिये १४ प्रतिशत, २० प्रतिशत या कुछ भी तय कर दे उनका प्रतिनिधित्व सही मानों में नहीं हो सकता। आज यदि उनकी योग्यता में कुछ कमी भी है तब भी उनको सहारा देकर उठाया जाय। पूज्य महात्मा गांधी ने कहा था कि किसान का बेटा प्रधान मंत्री होगा और पंडित जवाहर लाल जी उसके सलाहकार होंगे। आज इस राज्य को दस वर्ष हो गये लेकिन अभी तक समानता का अधिकार इन पिछड़े वर्ग को नहीं दिया गया, आज भी वह उसी तरह से पीड़ित, शोषित और कुंठित अवस्था में हैं। उसी पुराने चक्र की पुनरावृत्ति आज भी हो रही है, हम चाहते हैं कि इस जनतन्त्र के युग में उनके लिये भी समानता का प्रसार हो। तो इन बातों पर उनको ध्यान देना चाहिए और हरिजनों, शूद्रों, स्त्रियों और मुसलमानों को उठाने के लिए वाणी से नहीं कर्म से कोशिश करनी चाहिए।

मैंने आंकड़े देखे तो मालूम हुआ कि पहले १० कमिश्नर रहते थे, अंग्रेजी राज्य में। श्री गोविन्द वल्लभ पन्त जी का राज्य आया तो ५ हुए। शायद किसी समय पर ३ तक हो गये थे। मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूं। लेकिन आज उनकी संख्या १९ हो गयी है। अनेक बार कहा गया कि कमिश्नरों की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता न रहते हुए इस सरकार के लिए आवश्यकता है। संख्या बढ़ती चली जा रही है, काम नदारद। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, थोड़ा सा....

श्री अध्यक्ष---आपको मुंह मांगा समय दिया गया है।

श्री राजनारायण---थोड़ी सी और कृपा कीजियेगा क्योंकि हमारे पास बहुत मैटर है।

प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है। उसकी क्या उपयोगिता है जबकि उसका कोई महत्व मंत्रियों के लिए न हो। संख्या विभाग कायम किया गया है जिसमें ७,८२,६०० रुपया खर्च होता है। क्या उपयोगिता है उसकी ? संख्या विभाग ने क्या आंकड़े इकट्ठे किये कि कितनी वेश्याएं हैं, कितने भिखमंगे हैं ? किसी भी प्रदेश या देश की नैतिक उन्नति तभी आंकी जा सकती है जबकि वेश्याओं की संख्या देखी जाय।

माननीय मुख्य मंत्री जी की बिना मिट्टी की खेती की योजना पर ग्रांट खर्च हो रही है जिसमें ११,६०० रुपये का अनुदान रखा गया है। सजावट के सामान के नवीनीकरण पर पहले जो १६,३०० रुपया था अब २६,६०० रुपया हो गया है। मंत्रीगण बरसात के कुकरमुत्ते की तरह बढ़ते जा रहे हैं। सब मिला कर ३२ हो गये हैं।

उसी के साथ-साथ सूचना विभाग पर मैं आना चाहूंगा। श्रीमन्, थोड़ा सा समय दीजियेगा। यह हमारे पास किताबें हैं सूचना विभाग के बारे में मंत्री जी की जानकारी के लिए मैं पढ़ देना चाहता हूं। यह है कि कनवोकेशन ऐड्रेस आफ डाक्टर सम्पूर्णानन्द, चीफ मिनिस्टर, यू० पी०। यह सागर यूनिवर्सिटी के कनवोकेशन का ऐड्रेस है। यह सरकार का काम नहीं है। कहां से छपा है ? पब्लिकेशन ब्यूरो, इनफार्मेशन डिपार्टमेंट, यू० पी०, लखनऊ। पद के दुरुपयोग का इससे बढ़ कर ज्वलंत उदाहरण क्या हो सकता है ?

इसको अलग रखा दिया जाय। ये दो किताबें हैं। एक किताब का नाम है "राष्ट्रीय प्रसार सेवा।" इसमें पेज दो पर लिखा है:—

"उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास योजनाओं का समारम्भ सन् १९५१ में राष्ट्रपिता के जन्म-दिवस की पुण्य तिथि, २ अक्तूबर को किया गया।"

दूसरी किताब है, "स्वतन्त्रता का आठवां वर्ष।" यह भी माननीय कमलापति जी के सूचना विभाग की किताब है। इसमें लिखा है—"उत्तर प्रदेश में सामुदायिक योजना का श्रीगणेश २ अक्तूबर, १९५२ में किया गया था जबकि प्रदेश भर में सामुदायिक योजना के नौ विकास खंड स्थापित किये गये थे।"

वहां १९५१ में आरम्भ किया गया है और यहां १९५२ में। इसी तरह से कितनी ही तिथियों की असंगतियां सूचना विभाग की किताबों में हैं।

मामा, नाना, फूफा, इस समय कितने हैं, कौन किस मंत्री का भतीजा है, पूरे नामों के साथ मेरे पास है।

चूंकि समय कम है अधिक नहीं कह सकता। जो आज प्रदेश भर में वितंडावाद है, चोरबाजारी है, रिश्वखोरी है उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी इस सरकार की गलत योजनाओं तथा कार्य-प्रणाली पर है।

श्री गोविंद सहाय (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, अब तक मैं यह सुनता आया था और पढ़ता भी आया था कि आपोजीशन का रोल एक आल्टरनेटिव गवर्नमेंट फार्म करने का होता है और उसी के लिए उसका सारा इरादा और प्रोग्राम जो होता है वह मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ उसकी पालिसी के खिलाफ, उसके ढांचे के खिलाफ एक दूसरे किस्म की योजना पेश करना होता है। आज श्री राजनारायण जी की स्पीच से मालूम हुआ कि अपोजीशन का रोल सिर्फ इधर के लोगों को शर्म चढ़ाना होता है। अगर इतना ही मकसद है तो मैं कह सकता हूं कि उन्हों ने जो स्पीच दी मुझे उससे काफी निराशा हुई। उसमें उनकी कुछ बातें जो मैं समझता हूं सुझाव के रूप में देनी चाहिए थी वह मैं दूंगा।

जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा विषय है कि जिनके जरिये सारी सरकार का संचालन होता है। यह एक व्यापक मशीन है जिस मशीन के जरिये सरकार की सारी योजनाओं को चालू किया जाता है, सरकार की पालिसी को व्यावहारिक रूप दिया जाता है। इसलिए इसके ऊपर बहुत काफी दिलचस्पी होनी चाहिए और इसकी कामयाबी इसी नजर से देखनी चाहिए कि इस मशीन के ऊपर रुपया जो हम खर्च करते हैं, उस रुपये के खर्च करने से यह मशीन उन पालिसीज को, उन योजनाओं को जो सरकार का ध्येय हैं, चालू करने में सफल है या नहीं, यह समूचे समाज को उस तरफ ले जाती है या नहीं। मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि आज नहीं तो कल हमको यह सोचना पड़ेगा कि हमारा जो मौजूदा ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर दो ही तरीके से बहस हो सकती है। एक तो यह कि उसके बुनियादी ढांचे को बदले बिना इस बात पर बहस करें कि इस मशीन के अमुक पुर्जे को ज्यादा खाना मिलता है, अमुक को कम मिलता है, इस पुर्जे को यहां फिट होना चाहिए, उसको यहां फिट होना चाहिए। इस दृष्टिकोण के माने यह हैं कि हम इसके स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं चाहते हैं। सिर्फ बहस इस बात पर करना चाहते हैं कि इस पुर्जे को कम खाना मिलता है, इसके इमाल्यूमेंट्स ज्यादा हैं, इसके कम हैं, इसका खर्चा इसमें होना चाहिए था, इसमें क्यों रखा गया है, मैं यह समझता हूं कि इस बहस से हम कोई बुनियादी तब्दीली नहीं ला सकेंगे। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि जो व्यवस्था हमको मिली है शासन की आया वह व्यवस्था मौजूदा आवश्यकताओं की पूर्ति करती है या नहीं करती है। इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है कि जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा हमको मिला है उसका पचास, साठ, सौ साल के अन्दर गठन हुआ है। सौ साल के अन्दर उसका एक सोचने का ढंग था, उसका एक ध्येय था. अंग्रेजी शासन

[श्री गोविंद सहाय]

काल में एक ही काम उसका होता था ला ऐंड आर्डर को कायम रखना। उसके जरिये कोई निर्माण के, समाज को बनाने के, लोगों की जिन्दगी को, पिछड़े हुए लोगों को ऊंचा उठाने के, गरीबी को दूर करने के, ऐसे काम नहीं होते थे। उसके जरिये काम होते थे, एक इम्पीरिअल सरकार जो यहां पर थी, उसकी व्यवस्था को कायम रखने के। कुदरतन उस मशीन में काम करते-करते, उसके ढांचे को, उसकी कार्य-प्रणाली को चलाते-चलाते एक खास ढंग से कार्य करने के वे आदी हो गए हैं।

हमें आज यह सोचना है कि आज जब मकसद हमारा बदल गया, जब मकसद यह हो गया कि सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गयी, आज सरकार के ऊपर हर बेकार को काम देने की जिम्मेदारी आती है, लोगों की सेहत की जिम्मेदारी आती है, बूढ़ों को पेंशन देने की जिम्मेदारी आती है, जमीन की पैदावार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आती है, तो प्रश्न यह आता है कि क्या इस मशीन से जिसका गठन उस तरीके से हुआ था उससे हम यह सब काम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं तो क्या कदम हमें उठाना पड़ेगा? किस तरीके से हमें आहिस्ता-आहिस्ता उसके दिल व दिमाग को बदलना होगा, उसका संगठन, पुनस्संगठन करना होगा? मैं समझता हूं कि अगर इस तरफ हमारा ध्यान जाय तो ज्यादा अच्छा होगा और यह मैं आशा करता था कि अपोजीशन की तरफ से खास तरीके से यह बात आनी चाहिए थी। इधर से भी आनी चाहिए लेकिन उधर से और ज्यादा तवक्को की जानी चाहिए। उसके लिए मैं यह जरूरी समझता हूं कि इस मशीन में कुछ बुनियादी तब्दीली करनी पड़ेगी। यह इस बात का सबूत है कि सरकार भी इस नतीजे पर पहुंच रही है कि कुछ तब्दीली करने की जरूरत है। इसके लिए रिआर्गेनाइजेशन कमिश्नर वगैरह की नियुक्ति भी हुई थी। यह इस बात का सबूत है कि समस्या का एहसास है, अब कितनी दूर तक हम उसको हल करने में सफल हुए हैं यह दूसरी बात है। लेकिन इससे यह मालूम होता है कि सरकारी लीडरशिप भी इस नतीजे पर पहुंच रही है कि इसमें पुनस्संगठन की जरूरत है।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव के रूप में दो चार बातें कहना चाहता हूं। जो यह मशीन बनी है इसके जितने भी ढांचे हैं उनके अन्दर भी सरकार की बुनियादी पालिसीज के बारे में जानकारी का होना जरूरी है क्योंकि कानून तो हम बना दें लेकिन जिन लोगों के जरिये कानून इंटरप्रीट होता है, जो उसका संचालन करते हैं अगर उनके दिमाग में वह तब्दीली नहीं है, अगर उन्हें लगाव नहीं है तो वह कानून उतना लाभदायक नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए कि हमारी नीयत है कि हमारे आफिसर जनता के सेवक बन कर जायं तो उसके बोलने का, उसके सोचने का ढंग बदल जाना चाहिए। उसका तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसके हर अमल से जनता उसके नजदीक आये। जहां तक कि सुझाव की बात है, मुझे आज कल मुख्तलिफ पार्टीज का कुछ थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ने का जो मौका होता है उसमें मुझे अभी तक ऐसा साहित्य नहीं मिला कि जिसमें किसी पोलिटिकल पार्टी ने इस विषय के ऊपर कुछ रिसर्च किया हो कि कैसे इस सिस्टम को बदला जाय। ब्यूरोक्रेसी को महज इतना कह देना कि उसमें भ्रष्टाचार है, उससे काम नहीं बनता। 'भ्रष्टाचार' इतनी आसान चीज नहीं है, इसके लिये सामाजिक नजरिये को बदलने की जरूरत है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार कहने से आज ऐसी आबहवा पैदा हो गयी है कि हम सरकारी मुलाजिमों को भ्रष्टाचारी कह देते हैं और वह हमको कह देते हैं नतीजा यह है कि भ्रष्टाचार दूर नहीं हो रहा है। कहा जाय कि सच बोलो इससे भी काम नहीं बनने वाला है। अगर ऐसा होता तो मैं समझता हूं धर्म के ऊपर जितने मजहबी काम आज होते हैं बाहरी तरीके से उतने कभी नहीं होते थे, और बावजूद इस तमाम के झूठ बोलने वालों की तादाद, नये-नये तरीके से गबन करने वालों की तादाद सोसाइटी में बढ़ रही है। यह मर्ज केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि तमाम सोसायटी में है। इसके लिये टोटल वार करनी पड़ेगी, कानून बदलने पड़ेंगे, पूरा ढांचा बदलना पड़ेगा। इस तरह से इस मर्ज को रोज-रोज फैलाना ठीक नहीं है। न पब्लिक में इतना भ्रष्टाचार है, न गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स में इतना भ्रष्टाचार है, जो हमारे सोचने का ढंग है उसमें तब्दीली की जरूरत है। इसलिये मेरा सुझाव है कि समय आ गया

है हमें विभिन्न गवर्नमेंट विभाग के जो लोग हैं उनको भी अवगत कराया जाय, जिसको मेंटल ट्रांसफार्मेशन कहते हैं, कि सरकार की बुनियादी पालिसीज क्या है, कैसा समाज आपके जरिये बनना है, उनमें लगाव पैदा करना है। वह यह न समझें कि हम सरकारी नौकर हैं बल्कि जो क्रान्ति होने वाली है उसके हम स्पीयर हैड हैं। मुझे खुशी हुई अभी यहां पर स्पोर्टस् का एक फंक्शन हुआ था और पहली दफा एक किस्म के ब्यूरोक्रेटिक कहलाने वाले चीफ सेक्रेटरी को ऐसे उद्गार का इजहार करते हुए सुना कि जिसका अन्दाजा आप कीमत में नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सेक्रेटेरियट एक कुनबा है और एक की तकलीफ दूसरे से जुड़ी हुई है। आप अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितनी खुशी उस कुनबे के लोगों को हुई। हमें तो सोचना है वह तरीका कि जिससे जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अन्दर जो ऊंच नीच सामाजिक आर्थिक असमानता है, छोटे बड़े साहब का कामप्लेक्स है उसको कैसे दूर किया और उसको दूर करके एक ऐसी आबहवा पैदा करनी होगी कि समूची गवर्नमेंटल मशीनरी यह समझे कि उसके जरिये से एक महान काम होने वाला है और उनका व्यवहार उसी तरह से ढले। पैसे की जरूरत नहीं है जितनी दिमागी तब्दीली की जरूरत है।

बार-बार कहा जाता है कि सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह, जो ऊंची-ऊंची तनख्वाह पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा १ हजार रुपया कर दी जाय और नीचे वालों की बढ़ायी जाय। मैं कह सकता हूं कि अगर श्री राजनारायण जी को इसी व्यवस्था के अन्दर कभी इधर बैठने का मौका मिला तो मुझे यकीन है कि इस व्यवस्था में वह नहीं बदल सकेंगे। यह मसला इतना आसान नहीं है, इसके लिये एक आल इंडिया तरीके के प्रयत्न की जरूरत है। समाज में बेचैनी इस बात कीनहीं है कि कुछ लोगों को ज्यादा तनख्वाह मिलती है। किसी व्यवस्था को तोड़ना तभी सम्भव होता है जब जनमत उसके खिलाफ हो जाता है। जनमत इसके खिलाफ नहीं है। फिर प्रान्तीय गवर्नमेंट कर भी नहीं सकती, इसके लिये आल इंडिया एजीटेशन की जरूरत है। इसलिए मैं रोज-रोज ऐसी अव्यावहारिक बातों को प्रेक्टिकल नहीं समझता हूं। और रोज-रोज आप सेन्ट्रेलाइजेशन और डीसेन्ट्रेलकेजेशन कहते हैं मेरा यकीन है कि सेन्ट्रेलाइजेशन और डीसेन्ट्रेलाइजेशन दोनों समाज की तरक्की हो लिये जरूरी हैं। सेन्ट्रेलाइजेशन जब पूरा हो जाता है तब डीसेन्ट्रेलाइजेशन करना आसान ा जातहै।हो सेन्ट्रेलाइजेशन के ढीले हो जाने पर तो डीसेन्ट्रेलाइजेशन से और अव्यवस्थाइ पैदा जाती है।

मैं समझता हूं इन सर्विसेज के तरीके में उनकी डिसिप्लिन के जो तरीके हैं, उनकी जो व्यवस्था है अगर उसमें तब्दीली लायें तो मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि जो रुपया आज खर्च हो रहा है उससे ज्यादा रुपया भी यदि मांगा जाय तो किसी को एतराज नहीं हो सकता। मौजूदा मशीनरी के स्थान पर ऐसी मशीनरी बनायी जाय जो बीमारी को, गरीबी को दूर करने में पूरे तरीके से मददगार हो तो और भी रुपया ऐसी मशीनरी को देने में किसी को गुरेज नहीं होगा।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने बड़े गौर से माननीय गोविन्द सहाय जी के भाषण को सुना। कुछ बातों में मैं उनसे बिलकुल सहमत हूं। मैं समझता हूं कि इस ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम आज वही नहीं है जो अंग्रेजों के जमाने में था। उसको तो समाज के ढांचे में परिवर्तन लाना है और इसी दृष्टि से उसका संगठन और कार्य होना चाहिये।

मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिमी देशों की जो पार्लियामेंटरी पद्धति है उसका अध्ययन माननीय गोविन्द सहाय जी कम किया करते हैं। अपनी पार्टी के भीतर उन्हें इन प्रश्नों को उठाना चाहिये। हम लोगों को वह गलती उन्हें करने देना चाहिये जो हम उनकी निगाह में करते जा रहे हैं। वे तो गलती न करें और अपने ट्रेजरी बेंचेज को बदनाम न किया करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

वे जिस वक्त ऐडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम करते हैं उस वक्त भूल जाते हैं कि वे उस तरफ के लोगों के लिये कह रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं को वे सब कुछ कहते हैं। मैं समझता हूं कि आइन्दा इस मामले में माननीय गोविन्द सहाय जी एहतियात रखेंगे। अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन निकम्मा है तो माननीय गोविन्द सहाय जैसे वक्ता को अपनी पार्टी के भीतर बैठकर उसको दुरुस्त करना चाहिये।

मैं ऐसा सोचता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पंचवर्षीय योजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट को अवश्य पढ़ा होगा। उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि जो काम मौजूदा ऐडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मे किया गया था उसमें वह फेल कर गया। चाहे उसने धन कम खर्च किया तो उसकी गलती है। धन कम खर्च करके जिस परिणाम पर पहुंचना चाहिये था उस पर नहीं पहुंचा तो यह भी उसी की गलती है और यदि परिणाम पर पहुंचने के बाद गलत फिगर्स दे दीं तो यह भी उसी की गलती है। समय की कमी है नहीं तो मैं कुछ क्लेयरिंग एक्जाम्पुल्स रखता कि किस तरह से बड़े-बड़े मामलों में मुख्य मंत्री जी ने गलतियां की हैं। उन गलतियों का कोई जवाब नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने किस जानकारी के आधार पर पिछली मर्तबा, जब उन्होंने लखनऊ में आम चुनाव का उद्घाटन भाषण किया था, कहा था कि हमारे देश के लोगों की माली हालत इतनी सुधर गयी है कि अब महीन कपड़ा छोड़कर कोई मोटा कपड़ा पहनना नहीं चाहता। मैं पूछना चाहता हूं कि आज कानपुर में जो कपड़ा पड़ा हुआ है वह मोटा है या महीन है? जिसमें कितने हजार मजदूरों की रोजी छूट गयी इसलिये कि वह कपड़ा बिक नहीं पाया। (व्यवधान) कपड़े की कमी नहीं है, कपड़ा तो इतना भरा है कि उसका कोई खरीदार नहीं है, वह चाहे महीन हो या मोटा हो। बड़ी मोटी सी बात है कि हजार उपाय करने के बाद भी हमारी पर कैपिटा इनकम घटती चली जा रही है। नेशनल इनकम बढ़ती चली जा रही है लेकिन पर कैपिटा इनकम घटती चली जा रही है। यह एक अजीब बात है। इसका भी तो कोई इलाज बताया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, बहुत थोड़ा समय है। इतना व्यापक यह विषय है कि इस पर ब[illegible] सी बातें कहने को हैं लेकिन मैं अपने को कुछ ही चीजों तक सीमित रखता हूं। भ्रष्टाचारकी बात बहुत कही जाती है। मैं नहीं कहता कि यह कोई एक दिन का काम है कि जादू की छड़ी घुमा दी और भ्रष्टाचार खत्म हो गया लेकिन क्या मैं उस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों से पूछ सकता हूं कि जब से ये डिप्टी एस० पी० कम्प्लेन्ट्स बढ़ाये गये हैं तब से क्या जिलों में भ्रष्टाचार में कोई कमी हुई? मेरी यह धारणा है कि कतई नहीं हुई, वह भी फेल कर गये। और अगर यह बात सही है कि किसी ने काम किया----या तो सब ने काम किया, सब युधिष्ठिर हैं या कुछ ने किया और कुछ ने नहीं किया---तो जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में जरा यह तो बता दिया जाय कि किसने काम किया और किसने नहीं किया। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार कम होने के लिये एक वातावरण की जरूरत है, ऐसे वातावरण की जिसमें विषमता कम हो और लोगों को सिक्योरिटी हो। जब तक यह नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार बन्द नहीं होगा। भ्रष्टाचार को बन्द करने के लिये यह आवश्यक है कि आदमी यह समझे कि अगर उसकी नौकरी छूट गयी तो भी उसका बच्चा तालीम पा सकेगा। तो यह इनसिक्योरिटी भ्रष्टाचार की जड़ है। इस जड़ को समाप्त करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जिस देश में अभी भी महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार सेवा की इज्जत न हो और रुपये की इज्जत हो, रुपये वाला ऊंचा समझा जाता हो तो क्या कोई आदमी अधिक रुपया इकट्ठा करने की चेष्टा नहीं करेगा? तो जब तक इस वातावरण को देश से दूर नहीं किया जायगा तब तक काम नहीं चल सकता। हम मुख्य मंत्री जी से वहां तो सहमत नहीं हैं कि भ्रष्टाचार का नाम ही न लो लेकिन इससे मैं सहमत हूं कि भ्रष्टाचार एक दिन में दूर नहीं हो सकता। आज भी एक कांस्टेबिल को ६ आने भत्ता दिया जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी जिस वक्त पुलिस मिनिस्टर थे उस वक्त भी मैंने उनसे निवेदन किया था। आज माननीय कमलापति जी हैं।

कोई भी बदले लेकिन उसके भत्ते में कोई बदलाव नहीं होता। आज ६ आने कांस्टेबिल को भत्ता देना, उसके गर जाने के बाद उसकी बीबी को १० रुपये महीना देना और उसके बाद यह कहना कि बगैर हमारी मर्जी के तुम कोई संगठन न बनाओ। मैं समझता हूं कि जब तक हम उसके असन्तोष को दूर नहीं करते हैं तब तक हमारी जान उन कांस्टेबिलों के हाथ में है जो असन्तुष्ट हैं। उनका काम हमारा पहरा देना है। माननीय गृह मंत्री के पड़ोस में बलिया में जो पहरा वे दे रहे हैं या और जगह दे रहे हैं वह देखा जाय। मैं समझता हूं कि अभी गवर्नमेंट ने यह नहीं सोचा कि विषमता को दूर करने के लिये कोई ठोस कदम उठाया जाय। इस बात को सोचना चाहिये।

श्रीमन्, यहां एकोनामी की बात बहुत हुई, लेकिन वह पत्थर पड़ा किस पर? वह पत्थर पड़ा सबसे निचले आदमी पर। चपरासी तो निकाले गये लेकिन दूसरे आदमियों को निकालने के लिये क्या एकानामी कमेटी की रिपोर्ट नहीं थी? मैं समझता हूं कि सरकार ने मोटर वाले फैसले को लागू नहीं कराया। कुछ लागू जरूर हुआ लेकिन ज्यादातर लागू नहीं हुआ और चपरासी वाला फैसला तुरन्त लागू हो गया। यह वातावरण ऐसा नहीं है कि जिससे किसी भी तरह से देश में समाजवाद की स्थापना हो सके और न यह वातावरण ऐसा है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लिये यह कहा जा सके कि उसने बड़ी क्षमतापूर्वक काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं। पिछली बार २२८ आदमियों का हाउस था। आज ४३१ आदमियों का है। आपकी आज्ञा से हम रोज तीन प्रश्न कर सकते हैं। यदि मैं मंत्रियों को छोड़ दूं तब भी ४०० आदमी प्रश्न करें तो १,२०० प्रश्न हो जाते हैं। आपका विभाग भगवान हो तो भले ही हमारे प्रश्नों को डिस्पोज आफ कर दे वर्ना नहीं कर सकता है। मुझे आप से शिकायत नहीं है आप तो हमारे कस्टोडियन हैं। प्रश्न करने का हमारा राइट है। हम तीन प्रश्न रोज कर सकते हैं। इसके अलावा शार्ट नोटिस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और उनका जवाब पाने का भी हमारा अधिकार है। लेकिन आज कल एक जनरल कायदा हो गया है कि मिनिस्टर साहबान नियमों का उल्लंघन करते हैं। इस तरह से कि मिनिस्टर साहबान हमारे प्रश्नों का उत्तर ढंग से नहीं देते हैं और न समय के भीतर देते हैं। उस समय उनका जवाब आता है जबकि वह बेकार हो जाता है। एजर्नमेंट मोशन हम दे नहीं सकते हैं। मैं कहता हूं कि क्यों न इस विभाग को इस लायक बनाया जाय जो वह हमारे सवालों को ठीक तरह से डिस्पोज आफ कर सके।

श्रीमन्, मुझे दो मिनट की इजाजत दी जाय। चुनाव विधिवत् होने चाहिये और दूसरे लोगों को भी विश्वास होना चाहिये कि यह निर्विघ्न हो रहे हैं। लेकिन इस समय मौदहा, हमीरपुर के कलक्टर तथा अन्य अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाना एक महत्व रखता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये ड्यू क्रेडिट देने के लिये तैयार हूं कि पिछले चुनाव में उनकी बदौलत बहुत से विघ्न होने से बच गये लेकिन यहां क्या हो रहा है?

दूसरी बात यह है कि आजकल मालगुजारी विभाग को पूरी-पूरी छूट मिल गयी है कि वह गरीब किसानों से जो कानून में नहीं है वह भी कराये। मैं कहना चाहता हूं कि देश में आज अत्याचार हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार उसकी जांच कराये। मैं जानना चाहूंगा कि आज मालगुजारी वसूली में बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं जिनसे नहीं लेनी चाहिये उनसे ली जा रही हैं। जो छूट दी गयी है, वह भी वसूल की जा रही है और जो छूट वाले पर्चे बंटे हैं उनसे भी वसूल की जा रही है और यदि इनकार करें या कहें कि हमारी बात तो सुन लीजिये तो उनके ऊपर जूते पड़ रहे हैं। जो दुर्गति हमारे किसानों की पुराने जमाने में जमींदारों के समय होती थी उससे भी ज्यादा आज उनकी हो रही है। क्या वह जांच करने के लिये तैयार हैं? मैं कहता हूं कि इधर के लोगों को छोड़ दीजिये। आज उधर के लोगों को भेजिये, देवरिया, बस्ती, गाजीपुर,

[श्री गेंदासिंह]

आजमगढ़ वगैरह, इन पूर्वी जिलों में, किसी को नाराज नहीं होना चाहिये। यह हमारी बदकिस्मती है कि ये जिले पूर्वी है। वे लोग स्वयं देख लें कि जो हम कह रहे हैं उसमें कुछ तथ्य है या नहीं ? या हम झूठ बोलते हैं। कभी तो सरकार साहस करे कि जो हम कह रहे हैं उसको झूठ साबित करे। इधर के नहीं बल्कि उधर के लोगों के लिये हम कह रहे हैं कि उनकी एक कमेटी बना दी जाय और हम भी उसके साथ चलें और हम बहैसियत किसानों के मामला उनके सामने रखें और फिर देखा जाय कि हम जो कहते हैं उसमें क्या बात है।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जनरल डमिनिस्ट्रेशन के बजट पर जो अभी बहस हुई उसको मैंने गौर से सुना। मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई बाहर के मुल्क का आदमी हमारी गैलरी में बैठा इस डिबेट को सुनता हो तो शायद वह यह खयाल करेगा कि जो डिबेट सदन में हो रही है यह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बजट पर नहीं हो रही है बल्कि सोशल रिफार्म पर हो रही है। यह सही है कि आज हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ-साथ हमारी बहुत सी सोशल जरूरतें भी वाबस्ता हैं। यह भी सही है कि हमने यह फैसला कर लिया है कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कायम करना चाहते हैं। जब एक इस तरह की सोसाइटी हम कायम करना चाहते हैं तो उसके लिये हमें इस माहौल को बदलना पड़ेगा। अगर इस बैक-ग्राउन्ड को सामने रखकर हम अपने बजट पर निगाह डालने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता कि बजट के अन्दर रफ्ता-रफ्ता जो तब्दीलियां सामने आईं वह हमको मन्जिले मकसूद की तरफ बढ़ाती हैं। यह सही है कि बहुत से साहबान की यह ख्वाहिश होगी कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बदल कर उस तरीके का हो जाय जो ईमानदार हो और उसमें कोई किसी तरह की खामी न हो, लेकिन मुझे इस बात में अभी शक है कि हम इस चीज को जल्दी हासिल कर सकते हैं। इसको हासिल करने में बहुत अर्सा लगेगा। यह सही है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चेन्ज करने के लिये हमें जरूरत होगी कि हम सेट अप को बदलें और एक वैसी स्प्रिट और रूह पैदा करें। अगर हम इस बात को सोचते हैं तो मैं यह महसूस करता हूं कि बावजूद इसके कि हम इस बात के लिये बहुत सी बातें कहते हैं कि हमारे बजट में यह खामी है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में यह खामी है। लेकिन अगर हम इमानदारी से सब लोग अपना दिल टटोलें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में और उस तरीके की सोसाइटी को लाने के लिये जो हमारी ड्यूटी है उसको हम पूरा नहीं करते। क्या यह वाकया नहीं है कि इस मुल्क और इस स्टेट के सामने बहुत बड़ी प्राबलेम है गरीबी की ? हमने कुछ प्राबलेम को हल किया है लेकिन अभी तक बहुत सी प्राबलेम हैं। सब से बड़ी प्राबलेम हमारे सामने मुफलिसी की है, हमारे सामने हैं, तालीम की और इसके अलावा और भी बहुत सी बड़ी-बड़ी प्राबलेम हैं जिनको हमें हल करना है। अगर हम इन तमाम प्राबलेम को अपने सामने रखकर इस बात की कोशिश करें और हम एक इश्यु यही बनायें कि इस मुल्क के अन्दर किसी हकूमत को जो कायम है, उसको नाकामयाब बनाना है तो यह एक गलत व्यू होगा। हमें सूबे के एडमिनिस्ट्रेशन को अगर बेहतर बनाना है और अगर हमको वाकई सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी यहां पर लाना है और सूबे को और मुल्क को तरक्की देना है तो हमें इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि हम मुल्क को बेहतर बनायें। हमारे कुछ प्राबलेम पार्टी प्राबलेम हैं और कुछ नेशनल प्राबलेम हैं। लेकिन हर उसूल को एक पार्टी प्राबलेम बनाना भी सही नहीं है। मेरे दोस्त जो हाउस के उस तरफ बैठे हुए हैं वे इस बात पर गौर करने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है यह खामी मुझमें हो और इधर के कुछ बैठने वालों में भी हों लेकिन मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि एक दिन हमें यह फैसला करना पड़ेगा कि हमारे सामने क्या नेशनल प्राबलेम हैं और क्या पार्टी प्राबलेम हैं। अगर हम नेशन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को ऊंचे नहीं उठायेंगे तो अपने मुल्क में कोई तब्दीली नहीं ला सकते हैं और तब तक सोसाइटी के पैटर्न में भी तब्दीली नहीं आयेगी। साल बसाल यह सदन बैठता है और बराबर इस बात की कोशिश होती है और बजट पर कटमोशन लाये जाते हैं और डिबेट करते हैं लेकिन मैं अपने दोस्तों को याद दिलाऊंगा कि हमें हर साल इस किस्म की दास्तान सुनने को मिलती है और इससे हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। मैं यह जानता हूं कि इस नुक्तेनजर की तब्दीली के बावजूद भी बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो करने की हैं और जिनकी तरफ में सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। सब से बड़ी चीज यह है कि हमारा जो तरीके ऐडमिनिस्ट्रेशन है वह बहुत पुराना है। जैसा कि हमारे दोस्त गोविन्द सहाय जी ने कहा कि हमको दो सूरतों में से एक अख्तियार करनी पड़ेगी। या तो हम इसी सेट अप में इस किस्म की तब्दीली लायें, हम इसी मशीन को इस तरह से अजसरेनौ चलाने की कोशिश करें कि वह कारामद हो जाय या हम किसी दूसरी मशीन के लाने की कोशिश करें। बहरहाल, हमको कुछ भी करना हो, हमको बाज जगहों पर बहुत कड़ा होना पड़ेगा। मैं तो देखता हूं कि आज जो लोग डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं और उसका नाम लेते हैं वह डेमोक्रेसी में ऐब निकालने की कोशिश करते हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि वे एक डेलीगेटेड किस्म की डेमोक्रेसी चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष––अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सुल्तान आलम खां––मैं अभी एक घंटे पहले यह अर्ज कर रहा था कि छोटी-छोटी बातों को छोड़ कर हमें बुनियादी बातों की तरफ पहले जाना चाहिये। बुनियादी बातों को देखने से हमें मालूम होता है कि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन, बावजूद बहुत सी खामियों के बहुत से मुल्कों से अच्छा है। हम फ्रांस पर या पाकिस्तान पर नजर डालें तो हम पावेंगे कि वहां कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे सैंकटीटी आफ ह्युमन राइट्स कहते हैं और आये दिन गवर्नमेंटें बदलती रहती हैं। बरखिलाफ इसके हमारे सूबे ने बहुत सी एचीवमेंट्स की हैं। उनकी तफसील के बारे में हमारी में इख्तलाफ राय हो सकती है लेकिन बुनियादी बातों के बारे में कोई दो राये नहीं हो सकतीं। सवाल यह है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के जरिये से हम सोसाइटी को वाकई सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है। हमारे संविधान में चाहे कैबिनेट हो, मिनिस्ट्री हो, लेजिस्लेचर हो या परमानेन्ट सर्विसेज हों, सबके लिये अलहदा-अलहदा कहा गया है। अगर हम सी हद के अन्दर रह कर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हमारे बहुत से कनफ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब एक के जुरिस्डिक्शन में दूसरा दखल देता है तब मुश्किल पैदा हो जाती है। मैं आपके जरिये इस हाउस के सभी माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में जरूरत से ज्यादा इंटरफियरेंस होता है। हम में से कौन है जो ऐडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफियरेंस करके उस बात को जो अपने तरीके पर होने वाली है, उसे अपने तरीके पर कराने का ख्वाहिशमंद नहीं है? जहां तक परमानेन्ट सर्विसेज का सवाल है, गवर्नमेंट आवेंगी और जावेंगी लेकिन परमानेन्ट सर्विसेज विल गो आन। इसलिये अगर हम उनको अपनी जगह पर छोड़ें तो ज्यादा मुनासिब होगा।

इस हाउस में वक्तन-फवक्तन कहा जाता है कि हमारे यहां करप्शन है। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन मैं बड़े अदब से कहूंगा कि दुनिया में करप्शन जो है सो तो है, हमारे दिमागों में बड़ा करप्शन हो गया है। हमारा दिमाग करप्शन

[श्री सुल्तान आलम खां]

से अलग होकर कोई बात सोचे ही नहीं पाता है। इसलिये यह बात सब से पहले दूर होनी चाहिये। जब कोई चीज ऐसी होती है जिसके ऊपर हम फख्र कर सकें तो पहले उसका तखय्युल दिमाग में आता है। हमारे देश में आजादी आई, जमींदारी अबालिशन हुआ, लेकिन सब से पहले इसकी बात दिमाग में आई तभी यह हुआ। तो जब तक हम करप्शन को दूर करने की बात अपने दिमागों में पहले पैदा न करें, यह दूर नहीं हो सकता है।

मैं आपके जरिये से गवर्नमेंट की भी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि कभी-कभी वाकई हमें रेडटेपिज्म की शिकायतें मिलती हैं। इससे बहुत तकलीफ होती है। मेरे नोटिस में एक आध केस आया है। एकाध शख्स ऐसे थे जिन्होंने ३० बरस नौकरी की वह मुस्तकिल नहीं हो सके और इसलिये उन्हें पेन्शन नहीं मिल सकी कि रूल्स के मुताबिक वह नहीं मिल सकती थी। इसलिये हमें रूल्स से गवर्न न होकर, रूल्स हमसे गवर्न होने चाहिये। मैं गवर्नमेंट के नोटिस में ऐसे हार्ड मामले लाने की कोशिश करूंगा।

मैं सर्विसेज के आफिसर्स से भी, जनाबवाला, आपके जरिये कहना चाहता हूं कि उन्हें अपने अन्दर ह्यूमन टच और सिम्पलीसिटी जरूर लानी जाहिये। इसका दूसरों के दिलों में रिएक्शन होता है। लेकिन यह भी सही है कि ताली दोनों ही हाथों से बजती है। चाहे कोई भी हो, सब इस बात को महसूस करें कि जो इन्तजाम हमें चलाना है, मैं तो कहूंगा कि यह कोआपरेटिव कामनवेल्थ है और सब लोगों पर इसकी जिम्मेदारी है। अगर हम यह सोचकर पार्टी प्राबलम्स को अलहदा रखकर नैशनल प्राबलम्स को सामने रखकर चलें तो हमारी दुश्वारियां बहुत हद तक दूर हो सकती हैं।

बाज वक्त बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि एक बुरा वातावरण पैदा हो जाता है। सही है कि बहुत सी बातों में हम एक दूसरे से आई-टू-आई नहीं देख सकते लेकिन इसके यह मानी नहीं हैं कि हम उस काम के लिये जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है और जो काम हमारे लिये सबसे बड़ा कीमती है उसे हम नीचे डाल दें और छोटी बातों में पड़ जावें। छोटी-छोटी बातें हमारे सामने बहुत सी हैं जिनका हल भी हमें करना होगा लेकिन पेश्तर इसके हमको बड़ी समस्याओं पर नजर पहले डालनी होगी। हमारा मुल्क इमरजेन्सी के दौर से गुजर रहा है। यह नहीं है कि हम किसी लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं बल्कि आजादी के बाद गरीबी, अशिक्षा वगैरह की लड़ाई लड़नी है। अगर हम यूनाइटेड फ्रंट बनाकर इस तरफ तवज्जह करें तो हमें ज्यादा कामयाबी होगी।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश या राज्य के शासनतंत्र में अनुशासन हो और जो राज्य की मंशा हो उसे पूरा करने की क्षमता हो तो उस राज्य के कल्याण में विलम्ब नहीं होता है। हम जब इस तराजू पर अपने प्रदेश के शासन तंत्र को तौलते हैं तो चाहे खामी किसी भी वजह से हो, हमें बहुत कमी प्रतीत होती है। हम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की कहानियां पुरातन काल से सुनते चले आये हैं। यह जानते हुये भी कि सीता निर्दोष थी उनके खिलाफ जरा सी आवाज होने पर उन्हें बनवास दे दिया गया। यह वह तपोभूमि है। किन्तु यहां जहां हाउस स्कैन्डल जैसे दुनिया भर के आरोप लगाये गये हों, फिर भी उन पदाधिकारियों को उच्च पदों पर आसीन किया जाता है। तो जाहिर है कि हम यह आशा नहीं कर सकते कि हमारा शासन करप्शन से मुक्त हो सकेगा या कल्याणकारी राज्य हो सकेगा। मैं इन चीजों की तरफ ध्यान दिलाता हुआ यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सर्विसेज भ्रष्टाचार मुक्त हों, कुशलता के साथ उसके कार्य हों, इसके लिये यह आवश्यक है कि इस सरकार की नीति स्थायी हो। किसी योजना को लागू करने के पहले अच्छी तरह से छान-बीन कर उसको लागू किया जाना चाहिये। एक योजना बनती है लेकिन उसके बिगड़ने में भी

। ५० लाख रुपये का बजट प्रान्तीय रक्षा दल के लिये कई वर्षों तक बनता रहा

और उसको कट शार्ट करते-करते खत्म करने की एक योजना बनायी गयी। फिर उसको रख लिया गया लेकिन आज जिस सूरत में उसको रखा गया है वह भी उस सूरत से बहुत भिन्न है, जिसको खयाल में रख कर, प्रान्तीय रक्षा दल कायम किया गया था। इस सूरत में भी बहुत से कर्मचारी स्थायी नहीं किये गये हैं। जिन लोगों की सिक्योरिटी आफ सर्विस न हों, जिन सर्विसज को आप स्थायित्व प्रदान करने के लिये तैयार न हों, उनसे कुशलतापूर्वक काम को चलाने की किस प्रकार से आशा की जा सकती है। इसी तरह से अन्य विभागों में भी जो सर्विसेज हैं, उनमें भी हर साल ३१ मार्च को नोटिस दिया जाता है कि सेवा की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की नोटिस देने से कर्मचारियों में दूषित भावना पैदा होती है। अतः इस तरह की चीज को आप समाप्त कीजिये और जिन विभागों को रखना है उसके कर्मचारियों को स्थायित्व प्रदान कीजिये।

एक और भी चीज है जो कि कर्मचारियों में असंतोष और दूषित भावना पैदा कर रही है, वह है एक ही तरह का काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और प्रदेशीय कर्मचारियों के वेतन की असमानता। इससे कर्मचारियों के मन पर बहुत ही उल्टा प्रभाव पड़ता है। अगर हम कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से मुक्त देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनमें इनफीरियोरिटी कम्पलेक्स न हो, तो हमें उनकी इस शिकायत को दूर करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सामान्य प्रशासन की मद है। हमसे कुछ रुपया इलेक्शन्स के नाम पर मांगा जा रहा है। अभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इलेक्शन्स आने वाले हैं और सुपरसीडेड म्युनिसिपैलिटीज के भी होंगे। जिस प्रकार की चुनाव प्रणाली पिछले दिनों से इस्तेमाल की जा रही है, उसके विरुद्ध इस सदन में काफी आवाज उठायी जा चुकी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे केन्द्रीय सरकार से हमारी भावनाओं को जाहिर कर दें कि हमें इस मार्किंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं है और उसके बजाय पुराना जो बैलट सिस्टम था, उसको ही यहां पर जारी किया जाय।

यों तो डेमोक्रेसी में टाप हेवी एडमिनिस्ट्रेशन होता ही है लेकिन जिस प्रकार दिनों दिन इस मद में खर्चा बढ़ाया जा रहा है, उससे मालूम पड़ता है कि किसी दिन और योजनाओं के लिये कोई पैसा रह ही न जायगा। केवल मिनिस्टरों का १३ लाख रुपये का व्यय साफ-साफ जाहिर होता है। मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार के पास ऐसे योग्य मिनिस्टर हैं जिनके पास केवल एक-एक ही विभाग है तो फिर दूसरे मिनिस्टरों की भांति उनको भी अधिक विभाग क्यों नहीं दे दिये जाते हैं और उस प्रकार विभागों के पुनर्वितरण द्वारा मिनिस्टरों की संख्या कम करके खर्चा क्यों नहीं कम किया जाता है?

जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है, कुछ जिक्र उसका मैं पहले कर चुका हूं। उसके बारे में एक सुझाव मेरा यह भी है कि जिस प्रकार से राम चन्द्र जी ने दुर्मुख आदि नाम के गुप्तचर रखे थे, उसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी कोई गुप्तचर अथवा गुप्तचर विभाग भ्रष्टाचार के संबंध में क्यों नहीं रखते हैं, जो उनको सही-सही सूचना देता रहे? जो भी सूचनाएं आयें उन्हें सदन के सामने प्रकाशित किया जाय जिससे हमारी सर्विसेज भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकें।

डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के संबंध में पिछले साल रुपया मांगा गया था, वह दिया गया। लेकिन अभी तक उसमें क्या प्रगति हुई, पता न चल सका। जिस प्रकार से और बातों में राजनैतिक दलबंदी को प्रश्रय दिया जाता है क्या उसमें भी तो ऐसा नहीं किया जा रहा है? हमारे प्रदेश में जानकार इतिहासकारों की कमी नहीं है। यह काम उन्हीं की देख-रेख में किया जाना चाहिये जिससे सही गजेटियर्स का निर्माण हो सके। अब आज जिस चीज को लेकर खास तौर पर एक खासा विवाद उठ खड़ा हुआ है, उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान और विशेष रूप से माननीय

[श्री मदन पांडेय]

मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है वसूली की ज्यादतियों के सम्बन्ध में। यद्यपि सीधे तौर से यह बात इस मद के अन्तर्गत आती नहीं है लेकिन फिर भी आज इस पर जो बखेड़ा खड़ा हुआ है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वसूली के सिलसिले में ज्यादतियां सम्बन्धी विरोधी पक्ष की ओर से जो शिकायतें आयी हैं उनकी तरफ उनको खासतौर से ध्यान देना चाहिये। माननीय गेंदासिंहजी और श्री राजनारायण जी ने खुले शब्दों में नाम ले लेकर गांवों के सहित शिकायतें सामने रखी हैं और मैंने भी खेंसरारी गांव के सम्बन्ध में जिस दिन रेवेन्यू ग्रांट पर बहस हो रही थी, नाम लेकर बतलाया था कि एक आदमी पेशाब कर रहा था उसको पकड़ लिया गया और तब तक उसको नहीं छोड़ा गया जब तक कि एक दूसरे आदमी ने उसके लिये ८० रु० जमा न कर दिया। यह महाराजगंज तहसील की बात है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये घटनायें जो हो रही हैं, उसमें एक स्पष्ट रूप से संकेत है कि जब से माननीय माल मंत्री जी उन जिलों का दौरा करके आये हैं, तथा सदन में यह कहा है कि जबरदस्ती वसूली होगी, तब से मैं समझता हूं कि वसूली के सम्बन्ध में ऐसी घटनायें हो रही हैं। और खासतौर से जिन क्षेत्रों से विरोधी लोग चुन कर आये हैं, वहां से इस प्रकार की घटनाओं की रिपोर्ट ज्यादा आ रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे खुद चल कर अपनी आंखों से देखें और हम लोगों से इन शिकायतों का प्रमाण लें और जो बात हम लोग कहते हैं, अगर वह गलत साबित हो तो मैं कहता हूं कि वे हम लोगों पर मुकदमा चलावें। इन सब चीजों के बावजूद भी अगर वे इन ज्यादतियों को जारी रखते हैं और माननीय माल मंत्री के इस आर्डर को बदलवाते नहीं हैं, तो विरोधी दल के सामने सिवा इसके कोई और चारा नहीं रह जायगा कि कानूनी रास्ते के अलावा जो और अहिंसात्मक रास्ते हैं, उनको वह अपनावे।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस अनुदान पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत अनुभवी, तजुर्बेकार हैं और पूर्वी जिले के रहने वाले हैं। पिछले दिनों में इस सदन में कई बार इस तरह की समस्या पेश हुई है लेकिन न मालूम उनके अन्दर क्या कम्पलेक्शन है, या क्या बात है कि वे दखल नहीं देते हैं। आज मैं इस ग्रांट पर कटौती प्रस्ताव के जरिये इस बात की मांग करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी प्रत्यक्ष रूप से इसमें दखल दें तथा अपनी आखों से चल कर देखें कि क्या चीजें हो रही हैं। मैं तो यह भी अनुरोध करता हूं कि जहां से वसूली के सम्बन्ध में ज्यादतियों की शिकायतें आ रही हैं, वहां पर उनका एक दौरा होना चाहिये। बहुत दिनों से माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रदेश के इन जिलों में, खासकर के पूर्वी जिलों में कोई दौरा नहीं हुआ है। मैं मांग करता हूं कि वे इन हिस्सों में दौरा करें और अपनी आंखों से वहां की हालतों को देखें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि शासन मेरे दिये हुए सुझावों को स्वीकार करेगा।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन सम्बन्धी जो अनुदान हमारे सामने है मैं उनका समर्थन करता हूं। यह विषय इतना व्यापक है कि इसके अन्तर्गत सभी कुछ कहा जा सकता है। और खासकर आज के युग में जब कि हम विकास और निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रशासन दिन ब दिन हमारे जीवन के हर क्षेत्र में और अधिक मात्रा में घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है और तब यह और भी आसान होता है कि उसके अन्दर कमियां भी निकाली जा सकती हैं और उसकी बहुत सी खूबियां भी कही जा सकती हैं। जिस पृष्ठभूमि में हमें यह प्रशासन मिला उस को यदि हम देखें तो जैसा कि हमारे कुछ साथियों ने भी कहा कि यह ढांचा हमें अंग्रेजों ने दिया था और जिस ने अपने इस ढांचे को इस देश में अपनी सौ डेढ़, सौ वर्ष की हुकूमत में बनाया था, उसकी मंशा केवल एक थी कि साम्राज्यशाही को किस तरह से यहां मजबूत बनाया जाय तथा कायम रक्खा जाए और ला एंड आर्डर को बनाए रखा जाय। परन्तु आजादी आने के बाद इस देश की बागडोर यहां के राष्ट्रनायकों ने अपने हाथ

में ली तो उन के सामने केवल एक सवाल था कि किस तरह से इस देश का विकास हो और कैसे नवनिर्माण हो। हमारे इस पुराने ढांचे के सामने एक नई जिम्मेदारी आई तो जाहिर है कि एक बड़ा कन्ट्रेडिक्शन सा हमारे सामने आया क्योंकि इसमें काम की नेचर एकदम बदल गई। मैं यह मानता हूं कि यह क्रेडिट की बात है और तारीफ की भी बात है कि हमारा यह पुराना ढांचा अपनी नई-नई जिम्मेदारियों को लेकर बढ़ा यद्यपि इसकी इस तरह की कोई शिक्षा और ट्रेनिंग नहीं थी फिर भी उसने उनको उठाया और काफी हद तक वह उस में कामयाब भी हुआ। मैं समझता हूं कि हमारे जो पहले के पुराने अफसरान थे उनमें से इस नये जमाने में, कुछ ने अपने आप को काफी बदलने की कोशिश की और बदला भी, वह हमारी बधाई के पात्र हैं। लेकिन यह भी सही है कि उनके अलावा हमारे यहां काफी अफसरान ऐसे भी हैं जो आज के नये युग में अपने को नहीं बदल पाये, मैं समझता हूं इस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये। एक खतरा यह भी है और जहां यह सही है कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं के सम्पर्क में आ कर उनकी नीतियों को कार्यान्वित करने में जो ट्रेनिंग उनको मिली उसके अनुसार उन्होंने अपने को बदला मगर साथ-साथ उन्होंने हमको भी बदला और आज इसमें डर यह भी है कि इस बदल बदलाव में कहीं हम ही अपने को बहुत ज्यादा तब्दील न कर लें। मैं तो इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि हमारा सबका, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, एक ही लक्ष्य है कि यहाँ समाजवादी व्यवस्था कायम हो। आज हमें देखना है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो हमारी ट्रेनिंग है जो हमारे इंस्टीट्यूशन्स हैं वह सब हमारे यहां समाजवादी व्यवस्था को कायम करने में हमारी सहायता करते हैं या नहीं? यह सही है कि इन सालों में हमारे प्रदेश में और हमारे देश में बहुत से ऐसे काम हुए हैं जिन्होंने हमें समाजवादी व्यवस्था लाने की दिशा में आगे बढ़ाया है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट आफ इंडिया की टैक्सेशन पालिसी, हमारे प्रदेश से जमींदारी का खतम होना, या केन्द्रीय सरकार ने जो इन्श्योरेन्स कम्पनियों का नेशनलाइजेशन किया और यह भी कहना सही होगा कि पब्लिक सेक्टर को आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाने की जो कोशिश हो रही है यह सब समाजवाद की ओर हमारे महत्वपूर्ण कदम हैं और हमारी आइडियोलाजी के अनुसार ही है, लेकिन इन सब के साथ-साथ जब तक हम जनता में समाजवाद के प्रति एक जीवित फेथ और विश्वास नहीं पैदा करेंगे तब तक हमें पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती। प्रजातन्त्र के तरीकों से समाजवाद की स्थापना हो इस तरह के उदाहरण बहुत कम हैं और हमारे सामने कोई बड़ा उदाहरण नहीं है, हमने बहुत सी चीजें इंगलैंड से लीं, इस में शक नहीं है कि इंगलैंड में कई बार लेबर गवर्नमेंट रही है उसने गवर्नमेंट बनाई लेकिन वह एक थोड़े ही हद तक समाजवाद की ओर बढ़ सकी, हमें अपने को उस खतरे से बचाना है। जो महत्वपूर्ण बात है वह सोशलिस्ट फेथ की बात है, उसको बढ़ाने की बात है वह हमें यूं तो अपने यहां जन-जन में पैदा करनी होगी, मगर हम खास तौर से सरकारी कर्मचारियों में पैदा करने के लिये इसलिये कहते हैं क्योंकि हमारी सारी योजनाओं व मूवमेंट्स के हेड स्पियर्स सरकारी कर्मचारी ही हैं लिहाजा उनकी ट्रेनिंग में एक बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। हमारे जो पी० सी० एस० आफिसर्स हैं उनका कैरिकुलम ऐसा हो या आरम्भ से ही शिक्षा प्रणाली या ट्रेनिंग ऐसी हो जिससे हमारी अप्रोच सही हो जाय, उसमें ड्रास्टिकली ऐसी तब्दीली हो जिससे हमें विश्वास हो जाय कि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं।

एक भाई ने यह भी कहा कि हमारे यहां वेतनों में बहुत अधिक डिस्पैरिटी है और उन्होंने कहा कि उनका अन्तर १ और १० से अधिक नहीं होना चाहिये। सिद्धान्ततः यह सही बात है और मैं इसको मानता हूं। लेकिन हमारे सामने दिक्कत तो यह है कि हमारे स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं वह कहां तक हमें परमिट करते हैं। यही नहीं जब हम से कहा जाता है कि यह स्टेट अपने छोटे कर्मचारी को ४५—५० रुपया देती है और केन्द्रीय सरकार ८० रुपया मासिक देती है तो हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। कोई वजह नहीं है कि केन्द्रीय तथा प्रदेशीय

[श्री नवल किशोर]

सरकारों के कर्मचारियों के वेतनों में इतना अन्तर हो। मगर प्रदेशीय सरकार अधिक वेतन का बोझ उठा नहीं सकती है, यदि गवर्नमेंट आफ इंडिया हमें कुछ न दे तो हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। हमारे इधर के बहुत से साथियों ने, मैं भी उनमें से एक हूं, जब कभी मौका मिला इस बात की आवाज उठायी की तनख्वाहों की डिस्पैरिटी कम होनी चाहिये। मगर हमारी सरकार हमेशा यही कहती है और यह वाकया भी है कि उनके सामने एक बड़ी कठिनाई है। जब तक गवर्नमेंट आफ इंडिया कोई ठोस कदम न उठाये तब तक इस सरकार के लिये बहुत मुश्किल है। मुझको इस बात का ताज्जुब होता है कि जब एक प्रदेश को छोड़ कर सारे देश में कांग्रेस गवर्नमेंट है तो क्या वजह है कि इस सवाल को इस लेविल पर क्यों नहीं उठाया गया। मैं समझता हूं कि इस सवाल को वहां उठाना चाहिये।

यह भी कहा गया कि ऐडमिनिस्ट्रेशन टाप हेवी है। जाहिर है, हमारे यहां ५०, ६० फीसदी ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बजट का पैसा खर्च होता है। यह भी सही है, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, कि जब समाजवाद बढ़ेगा तो सरकारी अफसरों की तादाद भी बढ़ेगी। सही बात है। मगर वह कहां तक बढ़ेगी यह हमारे और आपके सोचने की बात है, मैं यह देखता हूं कि हमारे यहां, और मैं समझता हूं कि सब जगह ऐसा होगा कि डिपार्टमेंटलिज्म बहुत बढ़ा हुआ है। कोई कोआर्डिनेशन नहीं। उसका फल यह होता है कि जिस समय हम किसी नयी पोस्ट को क्रिएट करते हैं तो उसका जस्टीफिकेशन उस डिपार्टमेंट में तो होता है लेकिन अगर हम ओवर आल पिक्चर लें सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन की, तो मुझे विश्वास है कि बहुत सी जगहें हमारे यहां ऐसी होती हैं जो डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट हैं। उनको कायम करते समय हमारे सामने ओवर आल पिक्चर नहीं आ पाती। काम हमने इतना बढ़ा दिया है कि उस में सोचने व जांचने का समय ही नहीं मिलता है, लेकिन अगर सही तौर से कोआर्डिनेशन हो और अगर एक ओवर आल पिक्चर सामने रखी जाय तब काफी बचत हो सकती है। मैं इस सिलसिले में एक एग्जाम्पिल आपके सामने रख दूं। जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट है। यह सब डिपार्टमेंट्स को कोआर्डिनेट करता है। अगर हम सोचें कि कृषि में इतने आदमियों की जरूरत है तो मुमकिन हो सकता है वहां जस्टीफाइड हो। लेकिन अगर ऐग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, कोआपरेशन सब को सामने रखें तो मैं समझता हूं कि बहुत सी जगहों की जरूरत नहीं हो सकती।

करप्शन की बात कही गयी। मैं इस बात का दावा तो नहीं करता हूं कि करप्शन नहीं हैं, और काफी है। पर यह भी सही है कि आजादी के बाद हम उस करप्शन को ज्यादा कहते भी हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि हमारा जो जन साधारण है इस प्रदेश का, या सारे देश का कह दीजिये, उसका सम्पर्क छोटे स्तर के कर्मचारियों के साथ अधिक होता है, जैसे लेखपाल, कांस्टेबिल, दीवान व दरोगा आदि उसका वास्ता उन्हीं से है। वह इस बात को नहीं जानता की डेवलपमेंट कमिश्नर कौन है, कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कितने हैं। वह तो इतनी बात जानता और समझता है कि लेखपाल पहले के मुकाबले में ज्यादा पैसा लेता है या कम लेता है। थाने में जाता है तो उसको दीवान को पहले कितना पैसा देना पड़ता था और अब कितना देना पड़ता है, या उनका व्यवहार उसके साथ कैसा है।

श्री उपाध्यक्ष--कुछ समय आप ज्यादा लेंगे ?

श्री नवल किशोर--जी हां, कुछ थोड़ा सा समय ज्यादा देने की कृपा करें। मान्यवर, मैं कह रहा था कि जनसाधारण के पास वही एक मापदंड है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आयी है। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि उस निम्न श्रेणी के स्तर पर आज दस साल के बावजूद भी आप कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सके हैं जिससे कि जनसाधारण यह महसूस कर सके कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद उसके साथ कोई बहुत ज्यादा अच्छा बर्ताव उन कर्मचारियों का होता है। बहुत बड़े-बड़े कर्मचारी आपके जो हैं उनसे उनका कोई इत्तफाक नहीं पड़ता है। उनसे तो हम

लोगों को इतफाक पड़ता है। उसमें हम जो कुछ भी ओपिनियन उनके बारे में बना लें। इस संबंध में एक प्रस्ताव किया गया, हमारे भाई राजनारायण जी ने कहा कि आप तहसील लेविल पर डिस्ट्रिक्ट लेविल पर ऐंडी करप्शन कमेटियां बना दीजिये और उनमें अच्छे-अच्छे आदमियों को रख दीजिये। मैं समझता हूं कि अब तक जितनी एंडी करप्शन कमेटियां हैं उनमें वहां के सब एम० एल०ए० साहबान उसके मेम्बर होते हैं।

एक सदस्य––उनको कोई अधिकार नहीं है।

श्री नवल किशोर––उन्होंने अधिकार की बात नहीं कही थी। उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि अच्छे अच्छे आदमी उनमें रख दीजिये। तो मैं यह कह रहा था कि उनमें सब एम०एल०ए० साहबान मेम्बर होते हैं, जो कि वहां की जनता के चुने हुये प्रतिनिधि होते हैं। हम डेमोक्रेसी की बात बहुत करते हैं और अच्छी बात भी है। मैं खुद इस व्यू का हूं कि इन कमेटियों को अधिकार अधिक दिये जायं। लेकिन क्या अधिकार उनको दिये जायं, कानूनी अधिकार उनको दे दिये जायं, या क्या अधिकार दिये जायं, इसके बारे में मैं भी अपनी कोई स्पष्ट राय अब तक नहीं बना पाया हूं। उन्होंने एक बात और भी कही और यह फरमाया कि जो सबार्डिनेट आफिसर्स हैं उनको आप यह हक दे दीजिये कि वह अपने सीनियर आफिसर्स के बारे में अगर उनके अन्दर कोई कमियां हों, या कोई भ्रष्टाचार या व्याभिचार हो तो वह उसको कह सकें। मान्यवर, या तो हम यह मान लें कि कोई ऐसा सतयुग आ गया है या लोग इतने ईमानदार हो गये हैं कि हर भाई सही बात ही कहेगा और या फिर अगर यह अधिकार दे दिया जाय तो मुझे इस बात का बड़ा शक है कि इससे ऐडमिनिस्ट्रेशन में इंडिसिप्लिन और एनारकी बहुत ज्यादा बढ़ जायगी बजाय इसके कि इससे कोई ज्यादा फायदा हो। मैं समझता हूं कि उसके लिये हमारे भाई नेता समाजवादी दल तथा अन्य माननीय सदस्य जो यहां पर हैं वही बहुत काफी हैं इस बात को कहने के लिये। उन्होंने यह कोई बहुत उचित बात नहीं कही। मेरा मंशा इनको छिपाने का नहीं है, अगर व्याभिचार है, या भ्रष्टाचार है, तो कितना ही बड़ा अफसर क्यों न हो, उसकी बात सामने आनी चाहिये और गवर्नमेंट का फर्ज है कि वह उसके खिलाफ जांच कराये। लेकिन अगर सबार्डिनेट्स को आपने यह अधिकार दे दिया तो इससे इनसबार्डिनेशन बहुत बढ़ जायगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह कि गवर्नमेंट के आर्डर्स की सैंक्टिटी होनी चाहिये। बार-बार एक जमाने से भवन में इस बात की चर्चा होती है कि गवर्नमेंट वेहिकिल्स वापिस ली जायें। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक इस आशय का जी० ओ० इश्यू किया कि तमाम गाड़ियां वापस हों। लेकिन अब तक भी बहुत से विभागों ने गाड़ियों को वापस नहीं किया। एक बात और भी मेरी समझ में नहीं आयी कि १२ आने फी मील जो भत्ता दिया जाता है वह किस हिसाब से रखा गया है जब कि हमारे रोडवेज के अन्दर दस आने फी मील के हिसाब से गाड़ियां मिल सकती हैं। मैं समझता हूं कि १२ आने मील भत्ते के हिसाब से यह बात कही जा सकती है और साबित करने की कोशिश की जा सकती है कि सरकारी गाड़ियां सस्ती पड़ती हैं। एक यह शंका जरूर है। बहरहाल, मेरा इस विषय में निश्चित मत है कि जो सरकारी गाड़ियां हैं उनको हर सूरत में वापस होनी चाहिये। हमारे यहां एक इकोनामी कमेटी बैठी थी। मैं बधाई देता हूं उन सब सदस्यों को जिन्होंने उसके अन्दर मेहनत और परिश्रम किया। सुना है कि उसने कई करोड़ की बचत के बारे में प्रोपोजल्स और सिफारिशें की हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि उन सिफारिशों को जल्द से जल्द माना जाय तथा कार्यान्वित किया जाये। यह जो हमारी सबकी शिकायत है कि हमारा जो प्रशासन का ढांचा है इसका बोझ जनसाधारण के ऊपर दिन-प्रति-दिन बढ़ता जाता है इसको कम

[श्री नवल किशोर]

करने की कोशिश की जाय। रिआर्गेनाइजेशन की तरफ आपने अपना काम शुरू किया है। अच्छा तो यही होता कि कोई बुनियादी तरीके से हम इस बात को सोचते और जैसा कि माननीय गोबिन्द सहाय जी ने भी कहा कि इंस्टीट्यूशनली और आइडियोलाजिकली कोई ड्रैस्टिक कदम उठाने की कोशिश करते। मगर फिर भी आपने रिआर्गेनाइजेशन का काम शुरू किया, यह इस बात का सबूत है कि आपका ध्यान उस तरफ गया। मगर जिस तरह से रिआर्गेनाइजेशन पीस मील वे में चल रहा है, मुझे अंदेशा है कि जिस ध्येय को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें अधिक सफलता नहीं होगी। इसके लिये ऐसा यदि आप कोई कमीशन बैठाये या चाहे कोई कमेटी बैठाये ५,६ आदमियों की जो टाप टू बाटम की पूरी पिक्चर लेकर उस काम को शुरू करेंगे तो मैं समझता हूं हमको ज्यादा फायदा होगा। इन शब्दों साथ मैं इन अनुदानों का पुनः समर्थन करता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, किसी भी राज्य के शासन के अन्दर सुचारू रूप से चलाने के लिये जिससे कि जनता को सहूलियत हो, अनावश्यक हैरेसमेंट न हो और न्यायपूर्वक शासन चले, दो बातों की बड़ी आवश्यकता होती है। एक तो शासनकर्त्ता को नीति जो निर्धारण करना हो उसको बहुत गम्भीरता से विचार करके नीति निर्धारित करनी चाहिये और फिर उस नीति के आधार पर कार्य चले। इस सरकार में मैं देख रहा हूं कि नीति बनती है, घोषणायें होती हैं और कुछ समय बाद धीरे २ नीति ही परिवर्तित हो जाती है, घोषणायें कार्य में आती ही नहीं और सरकार को अपनी नीति से पीछे हटना पड़ता है। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक तो सरकार ने बड़े जोर से घोषणा की थी कि सरकारी अधिकारी जो अपनी गाड़ियों का दुरुपयोग करते हैं उनको हम वापस लेंगे। काफी अखबारों में हल्ला मचा। परन्तु सरकारी अधिकारियों को यह अच्छा नहीं लगा और धीरे-धीरे एक डिपार्टमेंट एग्जेम्ट हुआ, फिर दूसरा हुआ और जो नीति की घोषणा का असर हुआ वह आज तक किसी को पता नहीं लगा। श्रीमन्, इसी प्रकार का दुरुपयोग पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में वर्णित है। एक सरकारी अधिकारी के सुपुत्र ने गाड़ी को लेकर लड़ा दिया अपने निजी कार्य के लिये।

दूसरा उदाहरण सरकार की घोषणा हुई, दो तीन वर्ष पहले कि लोकल बाडीज के अधिकारियों की रिटायरमेंट एज ६० से घटा दी जाय। बड़े सुन्दर तर्क दिये गये और उसके एक वर्ष बाद फिर रिटायरमेंट की आयु बढ़ा दी गयी। मैं चाहता हूं कि इन दोनों मसलों के सम्बन्ध में कैबिनेट की मिनट्स हैं उनको अगर माननीय सदन के सामने माननीय मुख्य मंत्री जी रखें तो मंत्रिमंडल की फिकिल माइन्डेडनेस का बड़ा सुन्दर उदाहरण उन मिनट्स में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से अगर शासनकर्ता ही फ़िकिल माइन्डेड हों तो जो अधिकारीगण उनको व्यवहार में लाते हैं वह भी फ़िकिल माइन्डेड होंगे। इसका एक परिणाम और निकलता है कि आखिर इस प्रकार सरकार को जो बारम्बार नीतियों को बदलना पड़ता है उसके पीछे कुछ प्रेशर होगा और वह प्रेशर ब्यूरोक्रेसी का है। आज वास्तव में सरकार की निर्धारित नीति पर जो ब्यूरोक्रेसी को चलना चाहिये वह नहीं हो रहा है। किसी ब्यूरोक्रेट को कोई विशेष, जिसको कि कहीं ब्रेन वेव आती है तो कहता है कि हिन्दी की मात्रा नीची कर दो या ऊंची कर दो। पुस्तकें छप जाती हैं और शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि लिपि के परिवर्तन के बाद कितनी किताबें फेंक दी गयीं, कितने रुपये का नुकसान हुआ।.....

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—लिपि के परिवर्तन में किसी ब्यूरोक्रेट का हाथ नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—ऐडमिनिस्ट्रेशन में तो है ही।

श्री कमलापति त्रिपाठी—उसमें साहित्यकार, लेखक और पत्रकार थे।

श्री राजनारायण--मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी बिना आप से पूछे हुये बीच में बोल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--यह प्रश्न तो हो सकता है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--जो समय नष्ट हुआ है उसका ध्यान रखें, श्रीमन् ।

अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि साहित्यकार, लेखकों और पत्रकारों तथा विचारकों का हाथ था । परन्तु सरकार ने पहले एक कमेटी बनायी, एक निर्णय माना । फिर दूसरी कमेटी बनायी गयी, दूसरा निर्णय माना । यह क्या फ़िकिल माइन्डेडनेस नहीं है ? रुपये का नुकसान हुआ और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ । तो नतीजा यह है कि ब्यूरोक्रेसी पर जिनका और जितना कंट्रोल होना चाहिये था वह उन पर नहीं है बल्कि उल्टे इन पर ही उनका कंट्रोल है । कारण यह है कि मंत्रियों के पास इतना अत्यधिक काम हो रहा है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आज स्थिति यह है कि मंत्रियों से मिलने जब जाता हूं तो ढेर की ढेर फाइलें कमरे में दिखाई देती हैं और यह नामुमकिन है कि एक आदमी इतनी फ़ाइलें डील कर सके । तो जो कार्य का एकीकरण हो गया है उसका कारण यह है कि शासन का जो डिसेन्ट्रेलाइजेशन होना चाहिये था वह नहीं हुआ । डिसेन्ट्रेलाइजेशन का हल्ला तो हम सुनते हैं, यह भी सुनते हैं कि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बनेंगी, उनको पावर दी जायंगी । परन्तु कब बनेंगी, क्या पावर दी जायंगी यह कोई नहीं जानता । और ऐडमिनिस्ट्रेशन का डिसेन्ट्रेलाइजेशन न होने के कारण जो जनता को, साधारण जनता को, हैरेसमेंट होता है वह भीषण है । आज जीवन के जरा जरा से काम के लिये आदमी को लखनऊ दौड़ना पड़ता है । कोयले के परमिट के लिये, सीमेंट के परमिट के लिये लखनऊ आना पड़ता है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का कागज का घोड़ा बहुत धीरे चलता है । जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट है उसके अन्दर आपने देखा होगा कि ९-९ महीने हो गये, रिमाइन्डर्स दिये गये और आज तक पब्लिक सर्विस कमीशन के पास उन रिमाइन्डर्स का जवाब तक नहीं पहुंचा । तो मेरा मतलब यह है कि इन सारी समस्याओं के हल के लिये एक आदमी को लखनऊ दौड़ना पड़ता है और परिणाम यह होता है कि काम मंत्रियों के पास ज्यादा होने के कारण वह काम की ओर ध्यान नहीं दे पाते जैसा उनको देना चाहिये । इसका नतीजा यह होता है कि जो सेक्रेटरीज फ़ाइल में लिख देते हैं वही जवाब हो जाता है । मुझे तो आश्चर्य हुआ, माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय चन्द्रजीत यादव जी के एक सप्लीमेंटरी प्रश्न के उत्तर में कहा था कि "मैंने निवेदन किया कि जहां तक मैं जानता हूं उनकी कोई संस्था ही नहीं है और न तो मांग आयी किसी की ओर से ।" जो लो पेड गवर्नमेंट एम्प्लाइज का प्रश्न था उसके ऊपर यह उत्तर दिया । मुझे आश्चर्य हुआ, माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं उनको यह पत्र लिखा, ३ मार्च का पत्र है :--

"I am desired to acknowledge receipt of your letter dated February 18, 1958 and to say that the resolution of the convention of non-gazetted employees forwarded therewith will receive attention of Government."

पत्र में यह लिखते हैं और यहां उत्तर में कुछ कहा जाता है । तो मैं इसको यह मानता हूं कि कार्य का बोझा इतना अधिक है कि एक मनुष्य के ध्यान में सारी बातें रहना असम्भव है । इस कारण दफ्तर से जैसा उत्तर आया वही यहां सुना दिया ।

दूसरे सेन्ट्रलाइजेशन आफ़ पावर होने का परिणाम यह होता है, जिसको कहा जाय कि स्वाभाविक फ़ेवरेटिज्म एप्वाइंटमेंट्स के अन्दर भी हो सकती है । पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सबके पास है, इसमें कई उदाहरण दिये गये हैं कि लोक सेवा आयोग ने एक आदमी को अयोग्य माना फिर भी सरकार ने उसको यहां रखा । माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं उत्तर में

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

यह कहा है कि २२ अधिकारी ऐसे हैं कि जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन अयोग्य मानता है और वह आज भी कार्य कर रहे हैं। केवल यह कि सरकार उनसे लिखा पढ़ी कर रही है, ऐसे कितने ही उदाहरण मिलेंगे। ऐग्रीकल्चरल विभाग में देखें, पुलिस में देखें, सब में यही पायेंगे। समय कम होने के कारण मैं पूरा तो नहीं पढ़ता, केवल ध्यान आकृष्ट कर देना चाहता हूं। इस प्रकार पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी कि नियुक्ति इस दृष्टि से हुई थी कि वह राज्य के कर्मचारी ठीक चुने, अच्छे चुने, उसके कार्य की इस प्रकार की उपेक्षा करने का परिणाम यह होता है कि लोगों के मन में अविश्वास खड़ा होता है और उसका फल यह है कि आज हर आदमी यह समझता है कि सरकारी नौकरी पाने के लिये सोर्स की आवश्यकता है। हर आदमी यह ढूंढता है कि किस से वह सिफारिश करावे। आज मन में यह विश्वास नहीं है कि मेरिट के ऊपर सर्विस मिलेगी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है ऐसे बहुत से प्रत्यक्ष उदाहरण लोगों के सामने आते हैं कि आदमी अयोग्य है परन्तु उसके पीछे अगर प्रेशर है तो वह सफल हो जायगा। सूचना विभाग के लिये मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, वह तो पैट्रनेज का स्थान बन गया है। वहां वास्तव में अच्छे लोगों को रखा जाना चाहिये था। वहां बहुत से अनक्वालिफाइड लोग डायरेक्ट रेक्रूटमेंट के द्वारा रखे गये। तो इस प्रकार का अगर जन-समुदाय के अन्दर यह भाव बन जाय कि आदमी को सर्विस मेरिट से नहीं मिलेगी और यह जो सिफारिश का बाजार गरम किया गया है उसके परिणाम स्वरूप बहुत से अयोग्य आदमी सर्विस में आने के कारण ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं चल रहा है, नतीजा यह होता है कि जो ऐडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनमें यह विश्वास होता है कि इन कार्यों की आवश्यकता क्या है, जो पावर्स में हैं उनको हम ठीक से खुश रखें तो हमारी नौकरी बरकरार रहेगी चाहे योग्यता हो या न हो। अगर इस प्रकार का कार्य आप करते रहे तो सर्विसेज में कटुता आ जायगी जिससे शासन गड़बड़ हो जायगा। प्रान्त में बड़ी जगहें हैं जहां इस प्रकार के परिणाम हुये हैं।

दूसरे अभी मैंने सुना है कि सेक्रेटेरियट के अन्दर कुछ पी० सी० एस० लोगों की अपग्रेडिंग की गई है। अब श्रीमन्, एक ओर तो इकोनामी का हल्ला होता है, लोगों के टेलीफोन लिये जाते हैं और इकोनामी का विचार किया तो चपरासी काटे जाते हैं। लेकिन जहां इकोनामी होनी चाहिये थी वहां नहीं होती है। और दूसरी ओर कुछ अधिकारियों को अपग्रेड किया जाता है। इसका नतीजा यह होगा कि उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, भत्ते बढ़ेंगे और जो फ़ैसिलिटीज उनको सरेन्डर करनी पड़ती अब दूसरे रास्ते से फिर वे फ़ैसिलिटीज दी जा रही हैं। इसका परिणाम अविश्वास के अन्दर खड़ा होगा। इसका एक परिणाम और होता है, इस प्रकार की अपग्रेडिंग करने का नतीजा यह होता है कि सर्विसेज के अन्दर कास्टिज्म खड़ी हो जाती है।

मुझे थोड़ा समय और दीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष—१३ मिनट हो गये हैं आपके।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—५ मिनट और दें श्रीमन्, बड़ा आभारी हूंगा।

श्रीमन् जहां तक सर्विसेज के अन्दर एकाकी भाव होना चाहिये था वहां सर्विसेज के अन्दर एक कास्टिज्म खड़ा हो गया है। आई० सी० एस० जो हैं वह तो अपने को साक्षात जिसको गौरांग महाप्रभू कहा जाय, वह मानते हैं और उनके अन्दर यह विश्वास खड़ा हो गया है कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान और विचारवान दूसरा है नहीं। अब आई० ए० एस० का जो काडर है यह लोग भगवान जाने कहां बीच में त्रिशंकू की भांति लटका समझते हैं। और तीसरे पी० सी० एस०। इसका परिणाम यह है कि सर्विसेज के अन्दर क्लास स्ट्रगिल हो रहा है। इस क्लास स्ट्रगिल से जो समाज में हानि हो सकती है वह आज सर्विसेज के अन्दर है।

और तीसरे श्रीमन्, सेक्रेटेरियट के अन्दर एक और दृश्य देखने को मिलता है कि एक आदमी दो, दो आफ़िसेज कम्बाइन करता है। सेक्रेटरी टु दी गवर्नमेंट भी है और कमिश्नर भी। कमिश्नर की यहां आवश्यकता क्या है? अगर डिवीजन में रखना था तो मैं एक मिनट के लिये

समझ सकता हूं कि डिवीजन के अन्दर जो निरीक्षण की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करते हैं। परन्तु जो आदमी फ़ाइनेन्स सेक्रेटरी है वही आदमी फ़ाइनेन्स कमिश्नर भी है। जो डेवलपमेंट सेक्रेटरी है वही डेवलपमेंट कमिश्नर भी है। एक ही व्यक्ति के अन्दर दो, दो आफ़िसेज कम्बाइन करने की क्या आवश्यकता है? अगर सेक्रेटरी होता तो २,००० रु० मिलते और जिसको ३,००० रु० देने हुये उसके आगे कमिश्नर लगा दिया। तो १,००० रु० की वृद्धि किसी एक की पदोन्नति करने के लिये जो की गई है यह अच्छी नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप शासन में अविश्वास और शासन के अन्दर जो संघर्ष चलता है यह भी ध्यान में रखें। यह ड्वैलिटी आफ़ आफ़िसेज किसी भी शासन के लिये कभी अच्छी नहीं रही है और न आपके लिये अच्छी हो सकती है।

श्रीमन्, इधर यह भी देखने को मिला कि जो लोग थोड़े सीनियर थे और कलेक्टर होने के लायक थे उनको एकदम कमिश्नर बनाया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी कह सकते हैं कि यह परिस्थिति का परिणाम है। परन्तु डिस्ट्रिक्ट में जो कलक्टर बनाकर भेजे गये वह अनुभव-हीन हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट के चलाने के लिये, ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये, जो वास्तविक अनुभव चाहिये था वह नहीं है और डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन ढीला है। वह आपके सामने है। हर माननीय सदस्य जानते हैं कि किस प्रकार का ढीला ऐडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स का चल रहा है। आश्चर्य-जनक चीज यह है कि जो सेक्रेटरी यहां पर बैठकर डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिये नीति देते हैं वे दस-दस, बारह-बारह और आठ-आठ वर्ष डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन में व्यतीत कर चुके होते हैं लेकिन उनको डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक सम्बन्ध है, उससे अनभिज्ञता सी रहती है और जो स्वयं उससे अनभिज्ञ हो वह वहां की समस्याओं का हल निकाल सके यह बात किसी को समझ में नहीं आ सकती। इसका परिणाम यह होता है कि एक्सपेरिमेंन्ट्स होते हैं। कभी एक नीति की रचना होती है और जब गलतियां सामने आती हैं तब उस रचना का दूसरा रूप हो जाता है। मेरा आशय इससे यह कदाचित् न लगा लिया जाय कि मैं कहता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन स्टेटिक होता है। ऐडमिनिस्ट्रेशन तो हमेशा डाइनेमिक होता है। किन्तु डाइनेमिज्म के यह अर्थ कदापि नहीं है कि पहले दवाओं का प्रयोग किया जाय और फिर उससे सिद्धि न मिलने पर उसकी औषधि इंजेक्शन लगाकर की जाय और व्याधि को और भी दुस्साध्य बना दिया जाय। इस तरह के एक्सपेरिमेंन्ट्स यहां पर भी डाइनेमिज्म के नहीं होने चाहिये। डाइनेमिज्म के अर्थ यह हैं कि हमें परिस्थिति के अनुकूल अपनी रचना को बदलना है, परिस्थितियों के अनुसार ही नीति में, आर्डर्स में परिवर्तन होते हैं। किन्तु यहां परिवर्तन एक्सपेरिमेंन्ट्स के लिये होते हैं और पार्टी स्वार्थों के लिये इस प्रकार के प्रयोग किये जाते हैं।

मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं तो यह आशा करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी इस बात को गलत साबित करगे। मौदहा में एलेक्शन हो रहा है। एलेक्शन की दृष्टि से कलेक्टर, एस० पी० और जितने भी अधिकारी एक दल के हित में नहीं हैं उनका तबादला फौरन किया गया। बलिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उठाकर मौदहा, हमीरपुर, भेजना यह समझ में नहीं आया कि किस कारण से है जब कि ट्रांसफर्स का समय भी नहीं है। क्या इस से यह समझ में नहीं आ सकता कि एक सज्जन जो एलेक्शन लड़ रहे हैं वह इस प्रदेश में भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं और जो सज्जन बलिया में कलेक्टर थे और अब हमीरपुर पहुंच गये हैं वे उनके विभाग के सेक्रेटरी थे। अगर यह बात इस शासन के बारे में अविश्वास उत्पन्न करे तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है।

श्रीमन्, मैं एक निवेदन और माननीय मुख्य मंत्री जी से करना चाहूंगा कि क्यों नहीं लोक सभा में आज जो पद्धति है वह यहां के लेजिस्लेचर्स के लिये अख्तियार की जाती? मैं देखता हूं कि लोक सभा इधर ऐडजर्न होती है और उधर दूसरे दिन सत्र से प्रारम्भ होने की तिथि की सूचना आ जाती है कि हमारा दूसरा सत्र फलां तारीख से आरम्भ होगा। उनके यहां के

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

प्रश्न और सारी कार्यवाही पूर्णरूप से व्यवस्थित और क्रिस्टल क्लियर है। अपने यहां हम देखते हैं कि सरकार की ओर से सूचना जाती है कि सत्र ४ फरवरी को आरम्भ होगा, फिर होता है, नहीं ८ को आरम्भ होगा और फिर किसी और तारीख के लिये सूचना आती है। जो एडवांस नोटिस होनी चाहिये थी, जो सप्ताह पूर्व रिपोर्ट प्राप्त होनी चाहिये थी वह कभी भी प्राप्त नहीं हो पाती। तो मैं तो चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसके अन्दर सुधार लाने का प्रयास करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, हर साल बजट के अवसर पर बजट के आंकड़े तथा विभागों की रिपोर्ट्स जो हम लोगों को प्राप्त होती हैं उनके अन्दर जाकर शासन के बारे में बहुत कुछ आलोचनायें होती हैं। किन्तु जहां तक यह प्रश्न है कि हमारे प्रदेश का शासन हमें समाजवादी ढांचे की ओर ले जाने में प्रगतिशील है या नहीं तथा उसमें कितनी सफलता मिली है, मैं अपनी जगह पर यह समझता हूं कि आंकड़ों में या रिपोर्टों में जाने की कम से कम उन लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है जो कि देहात में रहते हैं या देहातों में काम करते हैं। श्रीमन्, कभी-कभी मैं यह सोचता हूं कि इस सदन में इस ओर बैठने के कारण कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है जिस से शासन की उन चीजों को नहीं देख पाता जो विरोधी दल के सदस्य देखते हों। इसलिये जो भाषण विरोधी दल के हुये माननीय सदस्यों के उनको बड़े गौर से मैंने सुना। खासतौर से माननीय राजनारायण जी, माननीय गेंदासिंह जी और माननीय नेता जनसंघ के भाषणों को सुनने के बाद मुझे मालूम हुआ कि आखिर विरोधी दल के लोगों ने सामूहिक रूप से माननीय राजनारायण जी को क्यों चुना कि वे कटौती का मोशन प्रस्तुत करें। श्रीमन्, कोई भी शासन ऐसा नहीं जिसके खिलाफ शिकायतें न की जा सकती हों किन्तु जहां शिकायतों की कोई गुंजायश भी न हो वहां पर शिकायतों की एक लम्बी चौड़ी सूची उपस्थित करने की कला में तो श्री राजनारायण जी माहिर हैं। जब शिकायतों की कोई गुंजायश नहीं थी और जैसा कि माननीय विरोधी दल के सदस्यों के भाषणों से साबित हुआ, यह आवश्यक था कि माननीय राजनारायण जी को यह कार्य सौंपा जाता।

श्रीमन्, माननीय राजनारायण जी को बड़ी शिकायत यह है कि सरकारी कर्मचारियों को यह हक हासिल नहीं है कि वह अपने सुपीरियर आफ़िसर्स के खिलाफ़ मुंह खोल सकें। उनका यह भी कहना है कि भ्रष्टाचार का यह एक मुख्य कारण है कि सबार्डिनेट आफ़िसर अपने सुपीरियर आफ़िसर के खिलाफ कुछ कह नहीं सकता। क्या इससे यह समझा जाय कि केवल सुपीरियर आफ़िसर ही भ्रष्टाचारी हैं और सबार्डिनेट आफ़िसर नहीं? और यदि यह मान भी लिया जाय तो वह सबार्डिनेट आफिसर भी तो किसी दूसरे आफ़िसर का सुपीरियर आफिसर है। इसलिये यदि माननीय राजनारायण जी की बात मान ली जाय और यह कह दिया जाय कि हर एक आफिसर को अपने सुपीरियर आफ़िसर के खिलाफ़ मुंह खोलने की इजाजत है तो ऊपर से नीचे तक सिवाय शिकायतों के और कुछ सुनने में आयेगा ही नहीं। मैं पहले तो हरान था कि ऐसी बातों से शासन कैसे चलेगा लेकिन जब मैंने सोचा कि ऐसी बात ऐसे लोगों की तरफ़ से आयी हैं जिनके ऊपर शासन का भार नहीं, जिनके हाथों में शासन की जिम्मेदारी नहीं, तो मुझे कुछ बहुत ताज्जुब नहीं हुआ।

आगे चल कर माननीय राजनारायण जी ने कहा कि प्रजातंत्र प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिये विधान परिषद् को भंग कर दिया जाय। मुझे ताज्जुब हुआ। एक तरफ़ तो प्रजातंत्र की बात कही जाय और उनकी अपनी ओर से कोई नयी प्रजातंत्र प्रणाली की बात न कहकर इसी प्रजातंत्र प्रणाली के ढांचे को ही सुचारु रूप से चलाने की बात कही जाय और उसके बाद विधान परिषद् को भंग करने की भी बात कही जाय, यह बात कुछ समझ में आती नहीं है। माननीय राजनारायण जी या हमारे और कोई माननीय सदस्य विधान परिषद् को फ़िजूल समझते हैं तो हमारी इस प्रजातंत्र प्रणाली को भी बदलना पड़ेगा। परन्तु यह

कहना कि हम इसी प्रणाली में रहें किन्तु उसे सुचारु रूप से चलाने के लिये विधान परिषद् का भंग होना आवश्यक है, यह समझ में बात नहीं आती ।

आगे चलकर माननीय राजनारायण जी ने कहा कि जब तक महिला, मुसलमान, हरिजन तथा शूद्र का उत्थान नहीं किया जाता तब तक यह सरकार कामयाब नहीं हो सकती । और उन्होंने यह आरोप लगाया कि यह सरकार इन लोगों को उठा नहीं रही है या उठाने में असफल है । श्रीमन्, पहले तो मैं आपका और अन्य माननीय सदस्यों का ध्यान इस भवन की ओर आकर्षित करता हूं । माननीय राजनारायण जी देख लें कि इधर बैठने वालों में कितनी महिलायें हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने हरिजन हैं और कितने शूद्र हैं और इसके साथ ही साथ मैं माननीय राजनारायण जी से पूछना चाहूंगा कि सन् ५७ के आम चुनाव में कितनी महिलाओं को सोशलिस्ट पार्टी ने खड़ा किया, कितने मुसलमानों को, कितने हरिजनों को और कितने शूद्रों को सोशलिस्ट पार्टी ने खड़ा किया ? और इसका जवाब इससे मिल जाता है जब हम यह देखते हैं कि कितने मुसलमान, कितनी महिलायें, कितने हरिजन और कितने शूद्र उधर बैठे हैं ।

श्रीमन्, माननीय गेंदासिंह जी ने आपका तथा हमारा ध्यान पंचवर्षीय योजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया और यह कहा कि उस प्रोग्रेस रिपोर्ट से साबित होता है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया और यह कहते हुये उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास कुछ ग्लेमरिंग एग्जाम्पिल्स हैं जो कि वे प्रोग्रेस रिपोर्ट से निकाल कर भवन के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं । किन्तु समयाभाव के कारण वह ग्लेमरिंग एग्जाम्पिल्स नहीं दे सके और मुझे अफसोस और दुख है श्रीमन्, कि समयाभाव के कारण वह ग्लेमरिंग एग्जाम्पिल्स नहीं आ सकीं जिनसे साबित होता कि ऐडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया है । मैं आशा करूंगा कि यदि वह उन ग्लेमरिंग एग्जाम्पिल्स को यहां नहीं बतला सके तो माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र द्वारा अवश्य बतला देंगे ।

भ्रष्टाचार की बात आये दिन होती है । चाहे बजट का वाद-विवाद हो या कोई भी अवसर हो, बिना भ्रष्टाचार की ओर संकेत किये हुये माननीय सदस्य भाषण नहीं दे पाते हैं । मैं मानता हूं कि इस देश में भ्रष्टाचार है, समाज में भ्रष्टाचार है और जब समाज में है तो हमारे शासन में भी अवश्य होगा । मैं नहीं मान सकता हूं कि शासन पर समाज की झलक न पड़े । जब समाज में अनुशासनहीनता है तो ऐडमिनिस्ट्रेशन में भी अनुशासन हीनता होगी । मैं जानना चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार करते हैं वह आखिर आते कहां से हैं ? वह हम लोगों में से ही हैं । वह हमारे ही भाई भतीजे हैं । समाज में अनुशासनहीनता हो किन्तु उसकी झलक शासन में न हो, यह बात न्यायसंगत नहीं है ।

श्रीमन्, माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि पुलिस में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है और हमारी सिक्योरिटी पुलिस के ऊपर ही मयस्सर है । आज उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया कि कांस्टेबिलों का वेतन कम है और वह असंतुष्ट हैं । जब मैं ऐसी बातें विरोधी दल की ओर से सुनता हूं तो मुझे ताज्जुब ही नहीं बल्कि दुख होता है और अंग्रेजी की वह मसल याद आजाती है कि—Heads I win tails you lose । कांस्टेबिल की तनख्वाह कम है, अतः भ्रष्टाचार है और इसीलिये वह असंतुष्ट भी है । लेकिन यदि पुलिस बजट में दो रुपये भी बढ़ा दिये जायं तो जोरों की आवाज आने लगती है कि यू० पी० स्टेट पुलिस स्टेट की ओर जा रही है । मैं पूछूंगा कि जब माननीय गेंदासिंह जी समझते हैं कि पुलिस कांस्टेबिल की तनख्वाह कम है, यदि विरोधी दल के लोग समझते हैं कि पुलिस बजट कम है और वह समझते हैं कि और खर्चा करने की आवश्यकता है तो क्या उनकी ओर से कोई सुझाव पेश हुआ है कि पुलिस का बजट कम है , इसमें और रुपया खर्च होना चाहिये ?

श्रीमन्, मेरी शिकायत यह है कि जहां हम पंचवर्षीय योजना में अरबों रुपया खर्च करते हैं वहां यह नहीं देखते कि पुलिस के ऊपर भी कुछ खर्च करने की आवश्यकता है ? स्वतंत्रता

[श्री सुरेशप्रकाश सिंह]

प्राप्त होने से पहले जो पुलिस वालों की तनख्वाह थी, जो ढांचा था वही अब भी कायम है। आप देखते हैं कि हम कितना आगे बढ़ गये हैं लेकिन हमारा पुलिस विभाग वहीं का वहीं मौजूद है। जब यह आवश्यकता है कि पुलिस कांस्टेबिल असंतुष्ट न रहे, भ्रष्टाचार रोकने के लिये पुलिस कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाय, यदि आवश्यकता है कि क्राइम्स को रोकने के लिये और रुपय दिये जायं तो श्रीमन्, मैं आपके द्वारा विरोधी दल के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम वह अपने बजट भाषण में कभी-कभी यह सुझाव भी रख दिया करें कि पुलिस के ऊपर आवश्यकता से कम खर्च किया जा रहा है। इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का, जो राजनारायण जी ने पेश किया है, विरोध करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजनारायण जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज हमारे प्रदेश की सरकार बराबर इस बात की घोषणा कर रही है कि हमारे प्रदेश में समाजवादी समाज की स्थापना होनी है और हमारा लक्ष्य एक समाजवादी समाज की स्थापना का होगा। लेकिन मैं निश्चिय रूप से बता देना चाहता हूं कि जब तक प्रदेश के शासन का मौजूदा ढांचा नहीं बदलेगा, जब तक प्रदेश की शासन-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन नहीं होता है तब तक आने वाले वर्षों में क्या सैकड़ों वर्षों में भी हमारे देश और प्रदेश में समाजवादी समाज-की स्थापना नहीं हो सकती। आज जनता और पुलिस का सम्बन्ध क्या हो, आज जनता और सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध क्या हो इन सारी बातों का विश्लेषण एक नये ढंग से करने की आवश्यकता है। अंग्रेजी जमाने में जनता और पुलिस का जो सम्बन्ध था आज वह सम्बन्ध और भी अधिक बिगड़ चुका है। आज जनता पुलिस के दमन का शिकार हो रही है। मैं अभी हाल ही में बलिया जिले से लौट कर आया हूं जहां पर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बलिया से शासन उठ गया हो। वहां पर एक प्रकार से पुलिस का आतंक छाया हुआ है। पुलिस का दमनचक्र लोगों को वहां पर आतंकित किये हुये है। मैं समझता हूं कि पुलिस डाकुओं की आड़ में निर्दोष व्यक्तियों को फंसा रही है जिनका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और जनता और पुलिस का क्या सम्बन्ध हो इसके ऊपर नये ढंग से विश्लेषण करे।

दूसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश में नौकरशाही छाई हुई है। इस बात पर सदन में प्रश्न उठाया गया। कुछ लोगों को नौकरशाही शब्द से नफरत है और कुछ लोगों को नौकरशाही में अच्छाई दिखाई पड़ती है। उनको ऐसा लगता है कि नौकरशाही सूबे के लिये जरूरी है। मैं समझता हूं कि नौकरशाही के प्रयोग से यह सूबा आगे नहीं बढ़ा है और उसका कारण यह है कि नौकरशाही को यहां पर ढील दी गई है। नौकरशाही के ऊपर नियंत्रण नहीं किया गया और उसको छूट देने का ही यह परिणाम है कि इस प्रदेश के अन्दर नौकरशाही का दबदबा बढ़ता चला जाता है और वह प्रदेश के हर कोने में छाई हुई है।

शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में यहां पर बराबर प्रश्न उठाये गये। कहा गया कि विधान परिषद् की कोई आवश्यकता नहीं है और गवर्नर के पद को समाप्त करना चाहिये। विरोधी दल के लोगों ने और प्रदेश के माने हुये लोगों ने जितना ही इस सवाल पर बल दिया और जितना ही इस प्रश्न को उठाया सरकार उतना ही इसके विरुद्ध काम करती रही। अभी हाल ही में विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर सरकार ने इस बात का परिचय दिया है कि वह विरोधी दल के मत का आदर नहीं करती है। यह सरकार प्रदेश के माने हुये लोगों के विचार का न आदर करती है और न स्वागत करती है। हमारे प्रदेश के अन्दर हमारे सचिवालय के कर्मचारियों ने अपनी समस्या के बारे में कई वर्षों से निरन्तर अपनी मांगें सरकार के सामने रखी हैं, उनकी मांग है कि केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों की जो स्थिति है और उनके जो पे स्केल

हैं, उनके जो भत्ते हैं और उनकी जो कंडिशन आफ सर्विस हैं वही हमारे इस प्रदेश में भी होनी चाहिये। लेकिन बावजूद निरन्तर मांग करने के उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इससे हमारे कर्मचारियों के अन्दर बहुत असन्तोष फैला हुआ है। सरकार के सोचने और समझने का तरीका बिलकुल मुख्तलिफ है। अगर सरकार समाजवाद को यहां पर निश्चित रूप से लाना चाहती है तो उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे बातचीत करती और सारी समस्या पर विचार करने का प्रयत्न करती और जो सरकार की कठिनाई है उसको भी सामने रखा जाता और सामन्जस्य रूप से कोई रास्ता निकलता। लेकिन इतनी बात तो दूर सरकार तो उनकी बातों को सुनना भी नहीं चाहती है। दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों के अन्दर घोर असन्तोष है और सर्विसेज के अन्दर अनसरटेन्टी बढ़ती चली जा रही है। इसका असर हमारे प्रदेश की जनता और शासन के ऊपर पड़ रहा है।

श्रीमन्, आज प्रदेश में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। प्रदेश के हर विभाग में अन्दर-अन्दर सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार का नग्नरूप देखने को मिलता है जो दिन-ब-दिन बढ़ता दिखाई देता है। मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब पिछली बार भाषण दिया था तो कहा था कि अगर मुझे भ्रष्टाचार नजर आवे तो मैं पागल हो जाऊं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता है। यदि आप भ्रष्टाचार को देखकर पागल होते हों तो आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिये, वहां से हट जाइये। आज उस कुर्सी पर ऐसे आदमी की बैठने की जरूरत है जो भ्रष्टाचार को दूर कर सके। देहात में भी लोग समझते हैं और जानते हैं कि आज अंग्रेजी जामाने से अधिक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप कचहरियों में चले जाइये और देख लीजिये कि लूट मची हुई है। प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट जहां पर बैठता है उसके सामने खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है और खूब घूसखोरी चलती है। आप पुलिस स्टेशन में जाइये और देखिये भ्रष्टाचार का नंगा रूप। किसी प्लानिंग के ब्लाक में चले जाइये, भ्रष्टाचार वास्तविक रूप में सामने आ जायगा। आज इस कुर्सी पर किसी ऐसे व्यक्ति को बैठना है जो भ्रष्टाचार को आमूल नष्ट कर सके और समाज का कल्याण करे, किसी ऐसे आदमी को इस कुर्सी पर आना चाहिये कि जो वास्तविकता को आंख से देख सके।

श्रीमन्, इसके साथ ही एक बात की ओर मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लाल फीताशाही, इस प्रदेश में बढ़ती चली जा रही है। मैं इसकी मिसाल भी दूंगा। अभी हरिजन और पिछड़ी जातियों की समस्या की ओर राजनारायण जी ने ध्यान दिलाया है। मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में करोड़ों लोगों की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उनमें आप की व्यवस्था से घोर असंतोष फैला हुआ है। प्रदेश में पिछड़ी जातियां जो ५२ प्रतिशत हैं और हरिजन जो १८ प्रतिशत हैं और वो कुल मिला कर ७० प्रतिशत से ऊपर होते हैं, उनका आर्थिक ढांचा टूट चुका है। पिछले ११ सालों में उनका आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्तर जरा भी परिवर्तित नहीं हुआ है। यह दूसरी बात है कि इस के उत्तर में आप विभिन्न आंकड़े पेश करें, किन्तु उस से कोई लाभ नहीं हो सकता है। अभी आंकड़े पेश किये गये कि उनकी सरकारी नौकरियों में क्या हालत है। मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश में गजेटेड अफसरों में हरिजनों का प्रतिशत १.४३ है और पिछड़ी हुई जातियों का .४७ प्रतिशत। करोड़ों लोग और उनका प्रतिनिधित्व दो प्रतिशत से भी कम। बहाना यह है कि उन में योग्यता नहीं है, वे पढ़े-लिखे नहीं हैं। इससे मैं कहता हूं, काम चलने वाला नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इसका एक यही कारण है कि आज शासन सूत्र जिन के हाथों में है उनका मंशा है कि यह लोग पिछड़े हुये ही रहें, इनका उत्थान न हो सके और मैं उनकी मंशा पर हमला कर रहा हूं। जब मैं ऐसी बात कहता हूं तो मेरे पास उसके आधार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने २६ अगस्त, १९५० को, २२ सितम्बर, १९५३ को और

[श्री चन्द्रजीत यादव]

अप्रैल, १९५४ में प्रदेश में हरिजन तथा पिछड़ी हुई जातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है इस बात को ध्यान में रख कर आदेश जारी किये कि सर्विसेज में नियुक्तियां करते समय पिछड़ी तथा हरिजन जातियों का विशेष तौर से ध्यान रखा जाय और इस बात को संविधान बनाने वालों ने भी देखा और इसीलिये संविधान की धारा १६ उपखंड ४ में इस बात की व्यवस्था की गयी कि जिस प्रदेश में उनकी नौकरियों में पर्याप्त संख्या न हो, राज्य सरकारों को हक है कि उनकी सीटें सुरक्षित कर दे। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब दें कि उत्तर प्रदेश से अधिक दयनीय दशा क्या किसी और प्रदेश की हो सकती है? यहां पर जहां ७० प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व केवल दो प्रतिशत से कम लोग करें, उससे दयनीय दशा और क्या होगी? पिछले ११ सालों में उन्होंने क्या किया? हम उनके रवैये को देख कर, सिवाय इसके कि यह बात जानबूझ कर टाली गयी है, और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते।

पुलिस मंत्री ने आंकड़े देते हुये एक बार बताया था कि पुलिस में कांस्टेबिलों के लिये ज्यादा पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। उनके लिये शारीरिक योग्यता होनी चाहिये। पिछड़ी हुई जातियों में ऐसे लोग हैं, काफी हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रतिशत १०,१२ से अधिक नहीं है। पिछली बार प्लानिंग विभाग में महिलाओं की नियुक्तियां हुईं। माननीया प्रकाशवती सूद ने सदन में बताया कि ४२१ नियुक्तियां हुईं जिनमें २१ महिलायें पिछड़ी हुई जातियों की थीं। यह किस बात का सबूत है? आज श्रीमन्, इस बात को लेकर प्रदेश में बड़ा भारी असंतोष है। सरकार से बार बार प्रार्थना की गयी। प्रतिनिधि मंडल मिले केन्द्रीय सरकार से लेकर प्रदेशीय सरकार तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। केन्द्रीय सरकार ने एक आयोग का निर्माण किया था, तीन वर्ष हो गये लेकिन उसकी रिपोर्ट पर अभी तक कुछ विचार नहीं हुआ। पिछली बार इस सदन में वीरेन्द्र पति यादव जी का एक गैर सरकारी प्रस्ताव आया था, और सदन ने स्वीकार भी किया। उस पर उस समय के मुख्य मंत्री माननीय पंत जी ने स्वीकार किया था और इस बात का आश्वासन दिया था कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और हम इस बात को देखेंगे कि सर्विसेज में आपकी संख्या बढ़े और प्रतिनिधित्व हो। लेकिन इन चार सालों में निरन्तर वह संख्या बजाय बढ़ने के घटती गयी। यह क्या इस बात का सबूत नहीं है कि सरकार जान बूझ कर इन जातियों की उपेक्षा कर रही है? इस समय मैं श्रीमन्, करोड़ों पिछड़ी हुई जातियों और हरिजनों की ओर से सरकार से मांग करता हूं कि उनका सर्विसेज में तत्काल ४० प्रतिशत रिजर्वेशन होना चाहिये। हम जातिवाद और भाईचारे में विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में जातिवाद है और यदि इस सरकार को प्रदेश में जातिविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना करनी है तो उसे अपना स्तर उठाना पड़ेगा। यदि कैबिनेट में जातिवाद हो, निर्माण का आधार चल सकता है, टिकट बांटने में जातिवाद का सहारा लिया जा सकता है। तो जिनके हाथ में शासन सूत्र है वे ही क्यों न उसका सहारा लें? किन्तु जातियता का नाम ले कर अधिकारों की अवहेलना की जाय, यह अब असहनीय हो गया है। इसका क्या परिणाम होगा, मैं नहीं कह सकता। यह एक राष्ट्रीय मांग है और यदि इस दिशा में कुछ सुधार करना है तो आप को उन ७० प्रतिशत हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग वालों की बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। वे जो मांग करते हैं उस की ओर हमारी सरकार को जागरूक रहना चाहिये।

दूसरी मांग मेरी यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में इन जातियों के प्रतिनिधित्व की सुरक्षा के लिये ५० प्रतिशत स्थान रखे जायं। आज पब्लिक सर्विस कमीशन की जो दशा है. . . .

श्री उपाध्यक्ष—पब्लिक सर्विस कमीशन पर आपत्ति मैं मंजूर नहीं करूंगा। यह मांग आप कर सकते हैं कि उसमें इन जातियों का कितना प्रतिनिधित्व हो। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्सोनल पर आप हमला नहीं कर सकते।

श्री चन्द्रजीत यादव—तो मेरी दूसरी मांग यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में ५० प्रतिशत हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाय।

मेरी तीसरी मांग यह है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स में हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के लिये ५० प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर दिये जायं जब तक कि उनका स्थान दूसरों के समकक्ष न हो जाय ।

पिछड़ी और हरिजन जातियों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर क्यों गिरता जा रहा है, इसकी जांच करने के लिये तथा उनकी उन्नति के लिये कौन से तरीके इस्तेमाल किये जायं, इसके लिये एक आई० ए० एस० ग्रेड के आफिसर की नियुक्ति की जाय । उसकी सिफारिशों को सरकार मंजूर करे । इस सम्बन्ध में सरकार प्रतिवर्ष उसकी रिपोर्ट को प्रकाशित करे ताकि इस समस्या का समुचित हल निकल सके ।

श्रीमन्, इसी समय में सरकार का ध्यान हरिजनों की ओर, जो प्रदेश में सबसे अधिक हैं, खींचना चाहता हूं । सरकार ने बार-बार कहा है कि पिछले दस वर्षों से हरिजन समस्या की ओर ध्यान दिया जा रहा है, उनका आर्थिक ढांचा बदला है लेकिन कुछ लड़कों को वजीफे दे देने से या छोटी-मोटी नौकरी दे देने से कोई हल निकलने वाला नहीं है । जब तक कि उनका आर्थिक ढांचा नहीं बदला जाता, समाज के अन्दर उनका स्तर ऊंचा नहीं हो सकता । आज प्रदेश के अन्दर जितनी भूमि गांव समाजों के पास है, वह सब हरिजनों को मुफ्त दी जानी चाहिये ।

सरकार ने यह निश्चित कर दिया है कि १८ प्रतिशत स्थान हरिजनों को दिये जायेंगे लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है, और पिछले दो तीन वर्षों का जो इतिहास है, जो आंकड़े हैं वह यह सिद्ध करते हैं कि सरकार अपने उन वायदों को पूरा नहीं कर पायी है कि उनका प्रतिनिधित्व १८ प्रतिशत होना चाहिये । या तो सरकार इस बात को स्वीकार करे कि नौकरशाही ने उसके दिये हुये आदेशों का पालन नहीं किया है या सरकार केवल दिखावे के लिये और दूसरों को खुश करने के लिये ऐसे आदेश दे दिया करती है परन्तु पालन नहीं कराना चाहती । यह सत्य है कि सरकार उनको पालन कराने में समर्थ नहीं हो सकी है ।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इस सदन में पूछी हुई बातों और हरिजन वर्ग के बारे में उनकी क्या नीति है, इस पर प्रकाश डालेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—इस प्रस्ताव के रखने की विशेष परिस्थिति क्या पैदा हो गयी है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—बहुत से सदस्य अभी बोलना चाहते हैं । १०–१० मिनट पहले समय मिल रहा था, अब १५ मिनट मिलने के कारण कुछ कम सदस्य बोल पाये हैं और बहुत से अभी बोलना चाहते हैं, इसलिये वक्त बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—इसका तो उचित तरीका यही होगा कि कुछ ग्रान्टों को छांट कर उन पर वादविवाद किया जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, आपको स्मरण होगा कि जब होली की छुट्टी होने वाली थी और छुट्टी में दो दिन बढ़ाये गये गये थे । दिन बढ़ाने में एक शर्त यह रखी गयी थी और यह माननीय राजनारायण और दूसरे विरोधीदल के नेताओं ने इस बारे में सहमति प्रकट की थी कि इन दो दिन की छुट्टियों को १–१ घंटा समय बढ़ा कर पूरा कर लिया जाय । उसी प्रस्ताव के अनुसार क्योंकि आज प्रशासन का विषय, एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिये इसके लिये समय बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं रखी जानी चाहिये । आशा है माननीय मुख्य मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—पहले बजट २५ तारीख को समाप्त होने वाला था लेकिन अब २७ को होने वाला है इसलिये वे दो दिन तो बढ़ा दिये गये हैं। आज ज्यादा सदस्य भी नहीं है, इसलिये समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता मालूम नहीं होती।

श्री राजनारायण—मैं समझता हूं कि शांतिप्रपन्न जी की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर नहीं हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—स्मरण शक्ति पर अगर वाद विवाद चलेगा तो कार्यवाही कैसे चलेगी।

श्री राजनारायण—लेकिन सरकारी पक्ष यह मान चुका है कि यदि आवश्यकता हो तो ५ बजे के बाद एक घंटा बढ़ा दिया जाया करे।

अगर सामान्य प्रशासन पर समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तो किस पर समय बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है ? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये समय जरूर बढ़ा दिया जाय क्योंकि हम चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को काफी समय मिले और हमको भी जवाब देने का काफी समय मिले तथा सदन के और सम्मानित सदस्यों को भी अपने जजबात के इजहार करने का मौका मिले। इसलिये मैं आपके द्वारा सादर साग्रह निवेदन करता हूं कि इसके लिये समय बढ़ा दिया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन के लिये अनुदान संख्या १२ और अनुदान संख्या १३ दोनों थे। इस वक्त केवल अनुदान संख्या १३ पर बहस हो रही है। तो आज का समय दोनों अनुदानों के लिये था, वह पूरा समय एक अनुदान के लिये दिया गया है। तो इस तरह से दुगुना समय हो गया। इसलिये मेरी समझ में समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य आज प्रदेशीय सरकार के सामने है। उसकी स्थापना का इरादा भी है और उस इरादे को कार्यरूप देने की कोशिश भी की है। यहां पर स्कीमें बनती हैं और उनका एक्जीक्यूशन जिले में जाकर होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जिले में भी जो हमारे कर्मचारी इसके एक्जीक्यूशन करने वाले हैं उनके हृदयों में भी परिवर्तन हो और वे भी समाजवादी समाज की स्थापना के लिये प्रयास करते रहें। अब तक यह देखने में आता है कि वही पुराने व्यक्ति जो बड़े जमींदार या साहूकार कहलाते थे, सरकार की तरफ से जब कोई सहायता अन्य आदमियों को देनेके लिये पहुंचायी जाती है, चाहे वह ट्यूबवेल्स या ट्रैक्टर के लिये, चाहे किसी इंडस्ट्री के लिये हो, वेही आदमी लपक लेते हैं और वह सहायता बड़े आदमियों के पास पहुंच जाती है। कहने का मेरा मंशा यह है कि हमारे अधिकारियों के हृदय में अभी परिवर्तन की कमी है या जितना परिवर्तन होना चाहिये था अभी उतना परिवर्तन नहीं हुआ है। आज सरकार जो समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहती है और इसी नाते वह गरीब आदमियों को सहायता पहुंचाना चाहती है लेकिन वह सहायता भी उन गरीब आदमियों के पास न पहुंच कर उन आदमियों के पास पहुंच जाती है जो अपने धन को सूद पर चढ़ाते हैं और अपने काम के लिये सरकार से सहायता हासिल करते रहते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जायगा और कड़ाई के साथ उन नियमों का पालन किया जायगा, जिन नियमों के आधार पर सरकार सहायता देती है। और अगर कहीं उन नियमों में ऐसी कमी आती है जिससे गरीब आदमियों को वह सहायता नहीं पहुंच सकती और उन नियमों में परिवर्तन करने की भी जरूरत पड़े तो उनको परिवर्तित कर दिया जाय।

दूसरी बात इसी सिलसिले में मैं और भी कहना चाहता हूं कि समाजवादी व्यवस्था को लाने के लिये यह जरूरी है कि हमारे प्रदेश में ऊंची और नीची तनख्वाह पाने वालों के अन्तर को कम किया जाय। मुझे यह कहते हुये खुशी होती है कि पिछले वर्ष १०० रु० से कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह में ५ रु० प्रति मास की वृद्धि की गयी थी। लेकिन अभी तक जो बड़ी

तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह को किसी भी प्रकार से कम करने की कोशिश नहीं की गयी है । किस प्रकार से ऊंची तनख्वाह पाने वालों की त नख्वाह को कम किया जायगा, और किस तरह से समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जायगी, इस नुक्तेनजर से हमको सोचना है । उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की गई है, शोषण के तरीके को समाप्त करने की भी कोशिश की जा रही है लेकिन इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाया गया है, यह मेरी समझ में नहीं आया । गरीब आदमियों को सहायता पहुंचाने के लिये उन बड़े-बड़े आदमियों की तनख्वाहों में कमी करने का इरादा अभी तक क्यों नहीं किया गया है ? अगर इसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से हो तो उसके सामने भी इस सवाल को किसी न किसी रूप में रखा जा सकता है, कोई न कोई तो उसके सामने इस प्रश्न को ले ही जायगा, कोई न कोई रास्ता दिखलावेगा ही, फिर हमारा प्रदेश तो तमाम हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश है और हर मामले में अगुवा रहा है, वह इस मामले में भी अगुवा बने और दूसरों को रास्ता दिखलावे जिससे दूसरे प्रदेश भी समाजवाद की तरफ जा सकें ।

प्रशासन में इकोनामी के सिलसिले में भी मुझे कुछ निवेदन करना है । इस बात को कई बार कहा गया है कि कमिश्नरों के पदों को समाप्त कर दिया जाय । जब जब भी मुझे बोलने का मौका मिला है, मैंने सदैव यह कहा है कि हमारे प्रदेश में कमिश्नरों की कोई आवश्यकता नहीं है । पहले कम किये गये ५, फिर रक्खे गये ३ और बाद में फिर पता नहीं कि क्या आवश्यकता पड़ गयी है कि १० हो गये । जैसे अंग्रेजी जमाने में १० कमिश्नर हमारे प्रदेश में रहते थे, वैसे ही आज भी १० हैं । अंग्रेजी जमाने में उनके शासन का एक दूसरा तरीका था और आज प्रजातन्त्र में एक दूसरा तरीका है । इस तरीके में अफसरों की जितनी कमी की जाय उतना अच्छा है । कमिश्नरियों में अलावा कमिश्नरों के हेडक्वार्टर्स पर डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर्स भी हैं और यह कहा जाता है कि जो कमिश्नर्स हैं वह डेवलपमेंट का काम देखते हैं और वही डेवलपमेंट का काम यह डिप्टी भी देखते हैं और देख भी सकते हैं । तो इस गरीब देश के पैसे को इन कमिश्नरों को रखकर व्यय करने की कौन सी आवश्यकता है ? आज केन्द्रीय सरकार को ऊंची तनख्वाह पाने वाले तजुर्बेकार अफसरों की जरूरत है तो इन आई० सी० एस० कमिश्नरों में से जितनों की जरूरत हो केवल उन्हीं को रखा जाय और बाकी को वहां भेज दिया जाय । यह आई० सी० एस० आफिसर्स आज भी जनता से अपने को ऊंचा समझते हैं और उन के दिमाग में आज भी वही बू है जो अंग्रेजी शासन काल में थी । इसलिये शासन की इकोनामी की दृष्टि से इन कमिश्नरों के पदों को समाप्त करना चाहिये । इससे इकोनामी भी होगी, एफिशिएंसी आयेगी, बिना वजह का भार भी गरीब प्रदेश के ऊपर से हटेगा और उन का अच्छा उपयोग भी केन्द्रीय सरकार में हो सकेगा । हमारे यहां कई तरह के नये ए० डी० एम० रक्खे हुये हैं । ए० डी० एम० जे०, पी० और ई० । प्लानिंग आफिसर क्या काम नहीं कर सकते? और जहां पर इन ए० डी० एम० प्लानिंग को भेजा गया है वहां पर कौन सी एफिशिएंसी बढ़ गयी, यह मैं समझने में असमर्थ हूं । यह भी मेरी समझ में नहीं आता है कि जिन जिलों में जूडिशियरी को अलग किया गया है वहां पर इन ए० डी० एम०, एस० डी० ओज० और दूसरे ऐसे अफसरों की क्या जरूरत है जब कि वहां अब मुकदमों की तादाद भी कम हो गई है, मुकदमे दूसरी जगह पहुंच गये हैं ? हमारी चकबन्दी के कारण और जो जमींदारी खात्मे के कानून बने हैं उनसे भी मुकदमों की तादाद कम हो गई है, ग्रामपंचायतों के बनने से भी मुकदमें कम हुये हैं तो फिर इतने अधिक अफसरों के रखे जाने की क्या आवश्यकता है ? अगर हम इस तरह कदम उठायें तो हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन इकोनामिकल हो सकता है ।

एक बार कौंसिल को खत्म करने की भी बात चली थी लेकिन कौंसिल खत्म होना तो क्या वहां के सदस्यों की संख्या ७२ से १०८ कर दी गई । मेरी समझ में नहीं आया कि पहले कौन सी कमी थी और अब बढ़ा देने से कौन सी अच्छाई हो गई । मेरा सुझाव है कि अगर अपर हाउस को भी समाप्त कर दिया जाय तो काफी इकोनामी हो सकती है ।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

तीसरी बात मैं एफिशिएंसी के बारे में भी कहना चाहता हूं । आज हमारे मुल्क को आजाद हुये दस साल से अधिक हो गये । हमारे यहां ऐडमिनिस्ट्रेशन पर जितना खर्च बढ़ा है वह सोचने की बात है कि उस से उतनी एफिशिएंसी भी आयी है या नहीं ? अगर खर्च के बकद्र एफिशिएंसी आयी है तो उस खर्च की हम सराहना कर सकते हैं और देश की जनता उस को बरदाश्त कर सकती है। लेकिन अगर खर्च के बकद्र हमारी एफिशिएंसी नहीं बढ़ी है तो हमें सोचना होगा कि हम इस टापहैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन को समाप्त कर हम इकोनामी लायें और उसमें एफिशिएंसी लाने की कोशिश करें । जरूरत इस बात की है कि हमारे सूबे की जनता अपनी आंख से देखे कि इन दस सालों में जब से कांग्रेसी हुकूमत आई है हमारे प्रदेश के राज्य संचालन में एफिशिएंसी और शासनकुशलता आयी है ।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, इस ओर के और उस ओर के बैठने वाले दिन रात, जिक्र करते हैं कि वह हमारे समाज और कर्मचारियों में है । मैं इस सम्बन्ध में अकेले राज्य कर्मचारियों को ही दोष नहीं दूंगा, मैं यह मानने को तैयार हूं कि हमारे समाज में भी और कर्मचारियों में भी भ्रष्टाचार घर कर गया है । क्यों घर कर गया है ? इस का कारण यह है कि हमारे समाज या सोसाइटी ने अभी उसको इतना नीचा स्थान, या बुरा स्थान नहीं दिया है और उस को इतना बुरा नहीं समझा जाने लगा है जितना कि समझा जाना चाहिये । मैं यह महसूस करता हूं कि आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि सरकार जनता का विश्वास इस बात में बनाये कि हमारे इस समाज से भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है ।

साहब, मैं एक मिनट और चाहता हूं । सबको पंद्रह पंद्रह मिनट दिये हैं, मुझ को ग्यारह ही दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—१२ मिनट हो गये हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—एक ही मिनट मांगता हूं । ऐंटी करप्शन कमेटियां बनी हैं । ऐंटी करप्शन कमेटियों के कोई भी फैसले हो वह चाहे किसी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के खिलाफ हों अथवा प्रदेश के कर्मचारी के खिलाफ जो नीचे के कर्मचारी ने रिपोर्ट कर दी वही सत्य है । एक केस मुझको मालूम है । रिश्वत देने वाला कहता है कि मैंने रिश्वत दी । रिश्वत दिलवाने वाला कहता है कि मैंने दिलवायी और रिश्वत लौटवाने वाला कहता है कि मैंने रिश्वत लौटवायी । लेकिन फिर भी जो डिप्टी कंप्लेंट अफसर महोदय हैं उन्होंने यह इन्क्वायरी करके रिपोर्ट दे दी कि कोई आदमी कहने वाला नहीं है । जो आदमी शिकायत करता है, मौका नहीं दिया जाता है कि वह साबित कर सके । तो कैसे हम इस करप्शन को दूर कर सकेंगे ? इन ऐंटी करप्शन कमेटियों को बलशाली बनाने की आवश्यकता है ताकि हमारे समाज से भ्रष्टाचार दूर हो, एफिशिएंसी आये और हम समाज की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें, इस प्रदेश की जनता का अधिक से अधिक विश्वास हमारी सरकार में बन सके और हमारा प्रदेश चहुमुखी उन्नति कर सके, देश का अगुआ बन सके, जैसा अगुवा वह हमेशा रहा है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजनारायण सिंह के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, आज के अनुदान में मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी की उस किताब का हवाला, उन्हें ही देना चाहता हूं जो उन्होंने समाजवाद पर लिखी है । उन्होंने लिखा है कि धीरे धीरे जब लोकतन्त्र विकसित हो जायगा तो शासन मुरझा कर अपने आप खत्म हो जायेगा । मैं उम्मीद करता हूं कि जब वह इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं और जिनके हाथ में शासन चलाने की पूरी जिम्मेदारी और ताकत है तो मैं इस कसौटी पर, उनकी ही कसौटी पर, जो कई साल से यह हुकूमत चल रही है, कसता हूं । एक ही मिसाल मैं देना चाहूंगा, कलेक्टर की । जब अपनी हुकूमत हिन्दुस्तान में नहीं थी, हम सब सिपाही थे और माननीय सम्पूर्णानन्द जी भी थे । गांधी जी कहा करते थे कि कलेक्टर हिन्दुस्तान का छोटा वायसराय है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उनके हाथ में

शासन सत्ता आने के बाद कलेक्टर की शक्ति में कोई कमी की गई है । कलेक्टर की शक्ति में जब अंग्रेजी राज्य था तब से आज की शक्ति में क्या अन्तर हुआ है ? मैं समझता हूं कि आज कलेक्टर को बहुत बड़ी ताकत है । अगर किसी थानेदार का तबादला एस० पी० करना चाहे तो कलेक्टर से वह राय लेगा । यहां तक कलेक्टर का अधिकार है । किसी अदालती पंचायत का पंच चुनना है तो भी कलेक्टर मनोनीत करेगा । किसी को निकालना है तो कलेक्टर करेगा। चौकीदार को बरखास्त करना है तो कलेक्टर करेगा, प्लानिंग कमेटी का जितना काम है, सब कलेक्टर करेगा। जिले का जितना काम है, चाहे विकास का हो, चाहे पुलिस का काम हो, चाहे कचेहरी का काम हो, चाहे बाढ़ से रक्षा करने का काम हो सारा काम कलेक्टर के हाथ में है । मुख्य मंत्री के हाथ में उतना काम नहीं है जितना कि कलेक्टर के हाथ में है । फिर हमको यह देखना पड़ेगा कि जहां सरकार यह तय किये बैठी है कि शासन को हम विकेन्द्रित करेंगे, लोगों में शासन शक्ति को बांटेंगे, वहां आपने कलेक्टर के हाथ में इतनी शक्ति बढ़ायी है कि जिले के सारे अधिकारी उसके हाथ में खेलें । अगर वह उसके हाथ में नहीं खेलते हैं, अपने मन से कुछ करना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ कलेक्टर से किसी बात में उनका मतभेद है, तो भी मजबूरन उनको कलेक्टर के मन के मुताबिक करना पड़ेगा । नहीं करते हैं तो फिर कलेक्टर उनके खिलाफ उनकी जीवन-चर्या में लिखता है ।

श्रीमन्, हमें जानकारी है, बहुत से ऐसे अफसर हैं कलेक्टर से नीचे के जो कलेक्टर से कई मानी में अच्छे हैं । मैं उदाहरण नहीं देना चाहता । मानीय मुख्य मंत्री जी के पास हमारी पार्टी के एक बहुत बड़े कार्यकर्त्ता ने कलेक्टर के खिलाफ दरख्वास्त दी । दो महीने हो गये । कलेक्टर का तबादला भी वहां से हो गया है । लेकिन जब शार्ट नोटिस क्वेश्चन किया गया तो श्रीमन्, आपके यहां से उसके मंजूर हो जाने पर भी मुख्य मंत्री जी के यहां से उसका जवाब नहीं दिया गया । सभी मंत्रियों ने यह तरीका बना लिया है कि कोई भी शार्ट नोटिस क्वेश्चन हो , चाहे आप उसे मंजूर भी कर चुके हों, लेकिन वह उसको महत्व नहीं देते हैं और इसलिये महत्व नहीं देते हैं कि कलेक्टर कहीं दबने न पाये । नहीं तो कलेक्टर के खिलाफ, किसी गजटेड आफिसर के खिलाफ घूसखोरी की शिकायत हो और आज तक उस दरख्वास्त देने वाले से पूछा तक न गया हो । तारांकित प्रश्न उसको मंजूर किया और छः महीने बाद उसका उत्तर आ जायगा कि हमने जांच की, कोई शिकायत सही नहीं निकली । इस प्रकार की बात जब होती है तो कलेक्टर यह समझता है कि हम चाहे जो काम करें, हाउस के अन्दर तो मुख्य मंत्री जी हमारी बात को प्रतिपादित करेंगे ही । मैं पूछना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि सरकार के इस रवैये से कोई भी सरकारी कर्मचारी क्या अच्छे मार्ग पर जा सकता है ?

जिस प्रकार से आप विरोधी दल के ऊपर लांछन लगाते हैं या उधर के लोगों पर लगाते हैं कि भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार बार-बार आप कहते हैं, उसी तरह से मैं यह कहना चाहता हूं कि बार-बार उधर से भी और मंत्रियों की ओर से भी सारे सरकारी कर्मचारियों को ईश्वर और हरिश्चन्द्र नहीं माना जाना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि कितने गजटेड अफसरों के विरुद्ध अब तक शिकायत उनके पास आयी और कितनों की जांच गैरसरकारी आदमियों ने या ऊपर के आदमियों ने की ? माननीय गेंदासिंह जी ने आम चुनाव की चर्चा की । सन् ५२ के चुनाव के मुकाबिले में सन् ५७ का चुनाव जरूर कुछ ठीक से हुआ । लेकिन जैसा कि अभी उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बलिया को बदलकर जो अभी मौदहा भेजा गया, उसकी क्या आवश्यकता थी इस वक्त ? और वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो अभी आई० ए० एस० नहीं हुआ है, ऐसे मौके पर उसके वहां बदलने की बात से क्या प्रकट होता है ? श्रीमन्, हमारी पार्टी के दफ्तर में तीन दिन पहले एक तार आया कि कांग्रेस के चुनाव दफ्तर में पुलिस एवं चुनाव अधिकारी पहुंच रहे हैं और आज तार आया है कि माननीय हरगोविन्द सिंह जी जो पहले इस सदन में शिक्षा मंत्री थे, उनकी मोटर से एक आदमी घायल कर दिया गया । यह क्या हो रहा है ? जब आप इस तरह की बात तथा काम करते हैं तो हम उससे क्या समझें ? एक भूतपूर्व मंत्री को जिताने

[श्री रामसुन्दर पान्डेय]

के लिये सारी शक्ति सरकार लगा रही हैं । मन्त्री लोग चले जा रहे हैं मौदहा । चुनाव कमिश्नर का हुक्म है कि मंत्री लोग चुनाव में सरकारी स्तर पर भाग न लेने जायं, लेकिन मंत्री लोग चले जा रहे हैं । यहां से कानपुर जाते हैं और वहां से मौदहा चले जाते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि भूतपूर्व माननीय मुख्य मंत्री श्री गोविन्दवल्लभ पन्त ने कहा था पहले पहल सन् ५२ के बजट भाषण के सिलसिले में कि मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी कमिश्नरों का पद तोड़ दिया जाय । उस वक्त दो कमिश्नर्स थे और अब ११ कमिश्नर्स हो गये । तो फिर यह शासन-मुक्त समाज की ओर जनता को बढ़ाना कैसे हुआ ? यह सरकार तो इस तरह से और भी शासन से जनता को जकड़कर रखना चाहती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादी समाज की रचना की कल्पना को पूर्ण करने के लिये नौकरशाही को कम करना होगा और नौकरशाही की शक्ति को जनता में बिखेरना होगा । लेकिन आप बिखेर नहीं रहे हैं ।

मालगुजारी वसूली के सम्बन्ध में इसी हाउस में माननीय माल मंत्री , चरणसिंह जी, ने कहा कि जबरदस्ती वसूली होगी । माननीय मुख्य मंत्री जी भी उस वक्त मौजूद थे और हाफिज साहब, उपनेता सदन, भी मौजूद थे । हाफिज साहब ने तो उनके इस कथन को इस तरह से तोड़ मरोड़ करके जवाब दिया कि हाउस स्तम्भित हो गया । लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि मंत्रिमंडल के सदस्य लोग कहेंगे कि अगर जनता मालगुजारी नहीं देगी तो उससे वह जबरदस्ती वसूल की जायगी, इसका असर तहसीलदारों पर पड़ेगा ही । इसी का नतीजा है कि हम लोगों के पास चिट्ठियां आ रही हैं, तार आ रहे हैं कि लोगों से मार-मार कर मालगुजारी वसूल की जा रही है । एक ओर यह कथन कि जनता के पास मालगुजारी देने की शक्ति हो तो दे और न हो तो न दे और दूसरी ओर मारपीट और हवालात में बन्द करना, यह किस तरह के समाजवाद की रचना है ।

अब मैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के सम्बन्ध में दो शब्द कहूंगा । इस बजट में भी और पिछले बजटों में भी बार-बार कहा जाता रहा है कि हम यह इंतजाम कर रहे हैं और वह इंतजाम कर रहे हैं और अब बाढ़ का प्रकोप नहीं हो सकता । बजट भाषण में चर्चा होती है । किन्तु जब यहां बाढ़ आयी तो वह सारे भाषण और सारी चर्चायें खत्म हो जाती हैं । यह उचित नहीं है ।

मैं अन्त में कहूंगा कि इस बजट के द्वारा सरकार को शासन-मुक्त समाज की ओर जनता को ले जाने के लिये कदम उठाना चाहिये था जो कि नहीं किया गया है और इसलिये मैं इस कटमोशन का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री राजनारायण ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं बोलेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—वे अन्त में बोलेंगे ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इससे तो हमारा अधिकार छीना जाता है । माननीय मुख्य मंत्री जी के मुखारविंद से कुछ सुन्दर शब्द सुनने के बाद यदि हमको बोलने दिया जाता तो हमको भी कुछ जवाब देने का मौका मिलता ।

श्री उपाध्यक्ष—अगर वह जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं ।

श्री राजनारायण—माननीय मुख्य मंत्री जी बोलने के लिये तैयार हैं, श्रीमन् ।

श्री उपाध्यक्ष—अगर तैयार हैं तो कहें ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह परिपाटी जो इस बार अख्तियार की है, वह उचित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—यह आपको लाजवाब करने के लिये है ।

श्री राजनारायण—जी हां, वह इसलिये है कि आखिर में अंड-बंड और अनाप-शनाप कहकर चले जायं और हम जवाब भी न दे सकें ।

श्रीमन्, तो मुझे कुछ समय और दे दीजियेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—अभी तो कुछ आपको जवाब देने के लिये है नहीं ।

श्री राजनारायण—अगर आप देख लेंगे कि मेरे पास कुछ कहने के लिये नहीं है तो आप समय न दीजियेगा, लेकिन सरकार की नीति के समर्थन में जो मंत्री जी की छाया में बैठे हुये लोग बोले हैं उनका जवाब दूंगा । क्योंकि ब्रह्मवादियों की दुनिया में छाया को प्रमुखता दी जाती है, श्रीमन् ।

खैर, तो मैं १२ तक लिस्ट पढ़ चुका था और १३वें पर आ रहा था । उसमें है कि राज्यपाल को १२ हजार रुपया और मुख्य मंत्री जी को ७५ हजार रुपया उनके विवेक पर खर्च करने के लिये । यह क्यों ? राज्यपाल बड़े हैं या मुख्य मंत्री ? या तो हमारी नीति मानी जाय और राज्यपाल ही न रहें तब तो ठीक, लेकिन अगर राज्यपाल हैं तो उनके विवेक पर खर्च करने के लिये १२ हजार रुपया और मुख्य मंत्री के विवेक पर ७५ हजार रुपया ? यह विवेक जायगा कहां ? यह भी देखिये । कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिये यह विवेक कहां जायगा ? भाई भतीजावाद को पनपाने के लिये ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—मुर्दहा में ।

श्री राजनारायण—हमारे बंशीधर जी तो कह रहे हैं कि मुर्दहा में जायगा लेकिन मुर्दहा तो बनारस जिले में है । शायद मौदहा में जायगा ।

आगे यह देखें श्रीमन्, कि हरिजन सहायक विभाग के आकस्मिक व्यय के लिये धन रखा गया है । समाज कल्याण के अन्तर्गत हरिजन सहायक विभाग अलग भी है । उसके लिये कोई दूसरे मंत्री हैं मगर आकस्मिक व्यय के नाम पर १५ हजार रुपया रख दिया गया है । मैं मुक्तकंठ से हरिजन उत्थान के लिये अधिक से अधिक रुपया देने के लिये तैयार हूं मगर यह रुपया माननीय मुख्य मंत्री जी के सामान्य प्रशासन में क्यों आया ? इसलिये, कि गरीबी के सागर में एक अमीरी का टापू बनाया जायगा या गन्दगी के कीचड़ में कुछ कमल खिलायें जायेंगे ? सरकार बराबर यह कहती चली जा रही है । हमारे माननीय नवल किशोर जी और गोविंद सहाय जी—जो कुछ दिन पहले विरोधी दल में बैठते थे, सुरेश प्रकाश जी चले गये हैं, कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो है मगर सारा समाज ही भ्रष्ट है । तो इस चीज को तो उन्होंने मान लिया कि सारा समाज भ्रष्ट है मगर यह क्यों भ्रष्ट है ? जब समाज के नायक भ्रष्ट होते हैं तो समाज भी भ्रष्ट होता है । एक महात्मा गांधी लंगोटी लगा कर सादा जीवन और उच्च विचार की शिक्षा दे रहे थे और सारा देश उससे आलोकित होता था । अब जो हमारे कर्णधार लोग हैं वे सूट बूट पहनते हैं और गुलाब का फूल लगाते हैं । अपनी ऊपर के इस जेब में तो गुलाब का फूल लगा कर चलने वाले और हाथ में इतनी बड़ी छड़ी लेकर चलने वाले और सुन्दर, बढ़िया पोशाक पहन कर चलने वाले और मंत्री होने के पहले अगर आमदनी कम थी तो मंत्री होने के बाद २५–३० गुना आमदनी बढ़ गयी, ऐसे लोगों के द्वारा समाज कल्याण होने वाला नहीं है । मैं यह मान रहा हूं कि यह नैतिक पतन हो रहा है मगर यह बड़ी तीव्र गति से ऊपर से चल रहा है । अगर यह नीचे से चलता तो धीरे-धीरे चलता मगर ऊपर से चल रहा है इसलिये इसकी गति तीव्र हो गयी है । लिहाजा अगर समाज भी भ्रष्ट है तो उसकी जिम्मेदारी आज के जो नेता हैं, माननीय मुख्य मंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधान मंत्री, ये अपने ऊपर लें, क्योंकि

[श्री राजनारायण]

इनके बयानात अखबार में छपते हैं, इनकी तस्वीरें छपती हैं कि किस शक्ल की तस्वीरें हैं, यह सब जनता के बीच में जाता है तो जनता उनको देख कर उन्हीं की नकल भी करती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री के इस विचार से सहमत हूं कि नित्य प्रति भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिये। मगर मैं माननीय मुख्य मंत्री की उस आदत को ग्रहण नहीं कर पाया कि अगर भ्रष्टाचार देखें भी तो भी आंख मूंद लें। मैं फिर बहुत नम्र निवेदन करता हूं कि हाउस स्कैंडल का मामला उठना चाहिये और अगर हमारी शक्ति होगी तो हम उसको किसी न किसी प्रकार उठा कर रहेंगे। अगर इस सदन में हमें माननीय मुख्य मंत्री जी रोकेंगे, अगर माननीय मुख्य मंत्री जी हमारी शिकायतों पर ध्यान नहीं देंगे--दो पत्र हम उनको लिख चुके हैं जिनके उत्तर में उन्होंने कहा है कि हमारे बयान के बाद अब कोई जांच करने की जरूरत नहीं है--तो हमें मजबूर होकर कोई दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। हमें मालूम है कि कितनी भ्रष्टाचारिता का रूप अख्तियार करके इन बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारियों ने इतने बड़े-बड़े मकान बनवाये हैं और कैसे अपने पद का दुरुपयोग करके आज इनके हाउस का असेसमेंट केवल दो, ढाई-तीन सौ रुपये के अन्दर है जबकि दूसरे इन्हीं के समकक्ष मकानों का असेसमेंट हजार, डेढ़ हजार और दो हजार रुपया है।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

जमानिया तहसील का जिक्र किया गया। उनके कथनानुसार वहां मिट्टी डाली गयी। मैं वहां के कुछ गांवों में गया और वहां रहा। मैं बताना चाहता हूं कि जो लिस्ट मिट्टी डालने की थी उसमें जिन गांवों में गया, मिट्टी हमने नहीं पायी। मैं आपको एक गांव का उदाहरण देना चाहता हूं। दिलदारनगर के पास एक गांव है मिर्चा। वहां ईंट के भट्टे की मिट्टी को नाप करके इंजीनियरों ने सारा पैसा दे दिया। इस सम्बन्ध में पत्र भी माननीय मंत्री जी के पास भेजा गया मगर उन्होंने कुछ नहीं सुना। हमारे पास क्या चारा है? इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा या वह कमजोर होगा? हमारा खयाल है कि अफसरान को इससे सहारा मिलेगा और वे और भ्रष्टाचार करेंगे। श्रीमन्, दो उदाहरण देना चाहता हूं, एक बनारस का, एक इलाहाबाद का। बनारस में ११ तारीख से भूख हड़ताल चल रही है। कल मैं बनारस से वापस आया था। श्री अवधेश बाबू के साथ ६० आदमी भूख हड़ताल में शामिल हैं। हमने माननीय कमलापति जी से करबद्ध प्रार्थना की, माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया कि वहां १९६३, १९६४ और १९६५, इन तीनों सालों की मालगुजारी जो स्थगित थी वह अब एक साथ वसूल की जा रही है। तकावी की रकम भी वसूल साथ साथ की जा रही है, सबके विरोध में १० तारीख को प्रदर्शन था, कलेक्टर ने प्रदर्शनकारियों से मिलने से भी इन्कार कर दिया था, तभी से भूख हड़ताल चल रही है। इनके अतिरिक्त नहर के रेट्स बिलकुल बेहूदे तरीके से बढ़ा दिया गये हैं और उसकी वसूली हो रही है। माननीय कमलापति जी ने कहा कि सत्यनारायण पांडेय इसको देने से मना कर रहे हैं इसलिये गिरफ्तार किये गये। यह गिरफ्तारी इल्लीगल माननीय गृह मंत्री जी की जानकारी में हुई है। मैंने जिलाधीश से कहा जाओ भूख हड़तालियों को देख आओ, उनके साथ बड़ा जोर जुल्म हुआ है, उसको देखो, परखो। लेकिन शाम तक जिलाधीश वहां नहीं गये। मैं चाहता था कि इसमें जिलाधीश को मैं भी कुछ सहायता करता। श्रीमन्, गांधी जी ने कलेक्टर को छोटा गवर्नर कहा है लेकिन मैं समझता हूं कि अब माननीय सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में वह बड़ा गवर्नर है। इस इलाहाबाद के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में, आपकी सेवा में, माननीय नेता विरोधी दल की सेवा में निवेदन करूंगा कि हमारे पास एक तार आया है कि इलाहाबाद की जनता केसाथ यह गहरा मजाक आपकी सरकार कब बन्द करेगी? आये दिन चोरी, लूट, कत्ल ने सारे शहर में आंतक फैला रखा है। अयोग्य जिला अधिकारी या तो इस दर्दनाक नाटक के नायक हैं अथवा खलनायक। इनका तबादला फौरन हो, सुरक्षा का प्रबंध फौरन हो। नहीं तो कड़ा कदम उठाना होगा। धर्मवीर गोस्वामी, सदस्य राज्य

कार्यकारिणी, सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश। यह तार था इसमें कौन सी आपत्तिजनक बात थी जिसे एक दिन तक रोका गया और जानकारी करायी गयी जिलाधीश की। जिलाधीश के इशारे पर यह तार नहीं आने दिया जा रहा था। जब पता चल गया तो आने दिया। यही कारण है कि इलाहाबाद में आतंक फैला हुआ है। हमारे माननीय सदस्य कल्याण चन्द जो मोहिले आज जेल की सींकचों में बन्द हैं। वह बजट के समय पर अपना योग नहीं दे पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार क्यों अपनी आंखें मूंदे हुये हैं? क्यों ऐसा तार रोका जाता है? क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं है?

श्रीमन्, अभी तो ५,६ मिनट ही हुये हैं। २-३ मिनट और बढ़ा दिये जायं। मैं सूचना विभाग का एक पूरा चित्र सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। श्रीमन्, इसको देख लिया जाय "पत्र निरीक्षण शाखा"। इसके द्वारा समाचारों पत्रों का निरीक्षण होता है और यदि कोई बात है तो उसकी सूचना मिनिस्टरों, डिप्टी मिनिस्टरों तथा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी आदि को दी जाती है जब कि उनके पास तीन-चार समाचार पत्र रोज आते हैं। फिर इसकी क्या आवश्यकता है? इसी तरह से एक संगीत एवं नाट्य शाखा है। इसका किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक चलचित्र शाखा है। इसकी क्या आवश्यकता है? कितनी मर्तबा इसका प्रदर्शन माननीय गृह मंत्री जी तथा मुख्य मंत्री जी के निवास स्थान पर होता है? इसी के साथ साथ संचालक की मोटर छीन ली गई है। क्या आजकल वह मोटर नहीं चलाते हैं? किस तरह से इस विभाग में पदोन्नति हुई है? किन आदमियों को महत्व दिया जाता है? एक लीलाधर जी शर्मा हैं और कक्कड़ जी हैं, मैं नाम नहीं लेता; अपने आदमियों को जगह दी जाती है। स्थायी कर्मचारियों को फोर्स्ड लीव, जबरदस्ती छुट्टी, पर अपने आदमियों को जगह देने के लिये भेजा जाता है। एक आदमी किसी मंत्री जी के दामाद हैं, एक फूआ के लड़के और एक किसी मंत्री के रिश्तेदार हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि·····

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूं। नियम यह है कि किसी विभाग में एक आदमी है तो उसका सम्बन्धी उस विभाग में नहीं रह सकता है। लेकिन सूचना विभाग में तीन सगे भाई हैं और चौथा बहनोई है। एक ही विभाग में डाक्टर राममनोहर लोहिया·····

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य का वक्त हो गया है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, 'ब्लिट्ज' में जो विज्ञापन दिया गया है उसमें सदन का घोर अपमान हुआ है, ऐसा कार्य अनैतिक है। किसी और मौके पर आप से इजाजत मांग कर सवाल उठाऊंगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, सभी विरोधीदलों के प्रतिनिधि के रूप में अपने भाषण में आरम्भ में माननीय राजनारायण ने हमको यह बतलाया कि कटमोशन रखने की आवश्यकता यह होती है कि गवर्नमेंट को शर्म आये। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बिना कटमोशन के ही हम बहुत ज्यादा शर्मिन्दा हैं और केवल मैं ही नहीं, इस सदन के कई सदस्य जिसमें से कुछ विरोधी दलों में भी बैठते हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हो चुकी है, वे और इस प्रदेश के और भी बहुत से लोग शर्मिन्दा हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारे बाद जो लोग कभी आयेंगे और हमारे सदन की प्रोसीडिंग को पढ़ेंगे वे भी शर्मिन्दा होंगे। हमारे उत्तर प्रदेश की संस्कृति की, सभ्यता की, तहजीब की, सलीके की, बातचीत करने की एक अपनी परम्परा रही है, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश वालों को नाज है। और जगह के लोग भी इस बात को मानते हैं कि जो यहां का साधारण आदमी है उसमें भी जो बातचीत करने का ढंग है और

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

उसके व्यवहार में जो शील का प्रदर्शन होता है वह शील दूसरी जगह पढ़े लिखे लोगों में भी नहीं दिखाई पड़ता था। आज जो लोग इन प्रोसीडिंग्स को पढ़ते होंगे और कभी अखबार को भी देखते होंगे तो उनको आश्चर्य होता होगा कि जो शील था और जो तहजीब की बात थी वह यहां, इस सदन में जो कुछ दिखाई पड़ता है उससे रोज दूर होती जाती है। रोज स्पीकर की रूलिंग होती है और उसमें खराबियां निकलती रहती हैं। इससे अधिक और मैं क्या कहूं कि जैसी स्पीच हम यहां पर देते हैं उससे जरूर मेरा सिर शर्म से लज्जित हो जाता है और बहुत से लोगों का होता होगा। यहां पर जिस तरह से व्यक्तिगत बातों को प्रश्रय दिया जाता है और जिस प्रकार से व्यक्तिगत बातों का यहां पर जिक्र किया जाता है और इस बात को जानते हुए भी कि जिसके प्रति हम यह कह रहे हैं वह यहां पर मौजूद नहीं है फिर भी वे बातें कही जायं तो क्या ये सिर को ऊंचा करने वाली बातें हैं? ये तो बगैर कटमोशन के भी लज्जित करने वाली बातें हैं।

अभी ४ दिन पहले की बात है, एक प्रश्न यहां पर किया गया जिसको सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। प्रश्न यह था कि लेबर कमिश्नर के ऐडवाइजर कौन लोग हैं? यहां पर जवाब दिया गया कि डा० बंशीधर और श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी। इस पर कितने ही सप्लीमेंटरी सवाल किये गये। डा० बंशीधर के विषय में तो कुछ नहीं कहा गया और न कोई सवाल किया गया, लेकिन विशेषकर श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी के विषय में कुछ यहां पर सवाल किये गये। उनके विषय में कह दिया गया कि वह लेबर वेलफेयर का काम करते हैं। मजदूरों के जो श्रमकल्याण की बात होती है दवा आदि का प्रबन्ध या दूसरी तरह के उनके लिये जो कल्याण के काम हैं उनको वह देखते हैं। फिर सवाल यह किया गया कि उनकी शिक्षा की योग्यता क्या है? आगे चलकर जरूर हमारे सूबे में कोई और किस्म के लोग होंगे लेकिन अभी ऐसे लोग हैं जिनमें कुछ लोगों ने ४० वर्ष निरन्तर देश सेवा की है। १०,१५,२०,३० वर्ष तक देश की सेवा करने वाले तो बहुत से कार्यकर्ता हैं, उनके विषय में कभी शिक्षा की योग्यता का सवाल नहीं उठाया गया। यह हमारे लिये बहुत फख्र की बात है कि हमारे अपने देश में इस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो शायद कोई इम्तहान भी पास नहीं हैं। मालूम नहीं कि वे आठ दर्जे तक भी पढ़े हैं या नहीं लेकिन उनके ऊपर भी हमें गर्व है। मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में भी होंगे कि जो कुछ इम्तहान पास नहीं हैं लेकिन बहुत पुराने और अच्छे कार्यकर्ता हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमने बाबा राघवदास के लिये आंसू बहाये हैं। वह कौन सा इम्तहान पास थे? पब्लिक में काम करने वाले कार्यकर्ता के विषय में यदि इस प्रकार के सवाल किये जायं तो यह क्या है? एक कार्यकर्ता के सम्बन्ध में इस प्रकार से सवाल करना उसके दर्जे को नीचे गिराना है और चाहे जिस पार्टी के भी वे कार्यकर्ता हों, जिन्होंने देश सेवा की है, उन सब की तौहीन करना है और सब का अपमान करना है। और फिर एक बात सोचने की है कि श्री सूर्य प्रसाद की बाबत में इसलिये कहता हूं कि उस शख्स का, इस प्रदेश में एक तरह से करीब-करीब सब से ऊंचा स्थान है। लेबर के विषय में जो लोग क, ख, ग भी जानते हैं वे भी जानते हैं कि लेबर से ही उठे हुये लोगों का उसमें खास स्थान रहता है। सूर्यप्रसाद जी अवस्थी मजदूर रहे हैं, टैक्सटाइल मिल में उन्होंने वर्षों काम किया है। वह जानते हैं कि मजदूर की क्या कठिनाइयां होती हैं। वह धीरे-धीरे करके ऊपर उठे हैं। इस प्रदेश में लेबर के नेता कहलाने वाले २,३ ही ऐसे आदमी हैं। शायद एक तो यहां एम०एल०ए० हो गये हैं और १ या २ बाहर हैं। फिर ऐसी बातें यहां नहीं लानी चाहिये थीं।

मैं नहीं जानता कि जिन दलों ने माननीय राजनारायण जी को अपना प्रतिनिधि चुना वह कहां तक उनके विचारों का समर्थन करते हैं। आम तौर से कायदा यह होता है कि कहीं भी जब आलोचना होती है तो यह आशा की जाती है कि विरोधी दल की ओर से कोई बात कही जाय तो यह समझ कर कहनी चाहिये कि शायद कल हमको ही शासन का भार सम्भालना पड़ जाय। एक दिन माननीय त्रिलोकी सिंह ने कहा था कि हम आशा करते हैं कि हम यहां

बैठेंगे। हो सकता है कि प्रजा समाजवादी पार्टी को ऐसा मौका मिले। आज कम्युनिस्ट पार्टी को कम से कम एक प्रदेश में यह मौका मिला है। जरा उनको सोचना चाहिये कि राजनारायण जी के विचार प्रजा समाजवादी पार्टी के हैं और क्या सचमुच कम्युनिस्ट पार्टी भी उनका समर्थन करती है ?

एक बात उन्होंने कही कि सरकारी कर्मचारियों को इस बात का अधिकार दिया जाय कि अपने अफसर की शिकायत कर सकें। मैं पूछूंगा कि क्या चीन, रूस या केरल की गवर्नमेन्ट ने ऐसा किया है ? नहीं। कोई पार्टी जो जरा भी अपनी जिम्मेदारी को समझती होगी, शासन की बातों को जरा भी समझती होगी, एक क्षण के लिये भी ऐसी बात नहीं कहेगी।

इस बात का भी जिक्र आया कि सरकारी कर्मचारियों में वेतन के बारे में असन्तोष है। जरूर होगा, होना चाहिये उसे जिसका वेतन कम है। फिर १०० रुपये की बात ही क्यों कही जाय ? मैं तो आज देखता हूं कि जिनकी आज ५०० रुपये आमदनी है वे भी रोते हैं कि खर्चा नहीं चलता है। हमदर्दी दिखलाना, कमरे के बाहर और भीतर तो सहल है लेकिन व्यावहारिक बात भी सोचनी होती है। एक बात और कही गई, जाने कहां से हवा में बात निकली है कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया २/३ और १/३ देने वाली थी इसलिये कि सबका सौ रुपया वेतन कर दिया जाय। हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है, हमें ऐसा कोई खत नहीं मिला है। उनका खत यह आया था की डीयरनेस अलाउन्स में वृद्धि की जाय, यह किया जाय कि जो कोई भी अहलकार हो उसका वेतन प्लस जो मंहगाई पा रहा है, प्लस जो वृद्धि हम करेंगे, ये सब मिलकर १०० रुपये से अधिक न हो। इसका मतलब यह है कि आज अगर कोई आदमी ९५ रुपये पाता है, उसे तनख्वाह और मंहगाई भत्ता मिलाकर १०० रुपये कर सकते हैं, यानी ५ रुपये उसे बढ़ा सकते हैं लेकिन जो आदमी ९६ रुपये पाता है उसके १०१ रुपये नहीं कर सकते हैं।

श्री राजनारायण--हाफिज मुहम्मद इब्राहीम जी का बजट भाषण पारसाल का है। देख लीजिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--किसी के समझने में गलती होगी।

बारबार इस बात की चर्चा होती है कि ऊपर वालों की तनख्वाह कम की जाय। जैसा कुछ लोगों ने कहा, यह आसान बात नहीं है। कई आल-इंडिया सर्विसेज हैं। आई०सी०एस०, आई०ए०एस०, आई०पी०, आई०पी०एस०, प्रायः ये सब सर्विसेज आलइंडिया की हैं और वह ही इनकी तनख्वाह मुकर्रर करती है। अब हमारे यहां का कोई डिप्टी कलेक्टर है और कल को वह आई०ए०एस० हो जाता है तो एक दम से ४-५ सौ से वह कूद कर ११ सौ रुपये पर पहुंच जायगा। क्या इससे नीचे के डिप्टी कलेक्टरों में बुरी भावना पैदा नहीं होगी ? इसी तरह से हमारे यहां पुलिस में कोई आदमी है और वह आई०पी०एस० के चुनाव में आ जाता है तो एक दम से उसकी तनख्वाह बढ़ जायगी। क्या उससे दूसरे लोगों में असंतोष न होगा ? इसलिये हमें कुछ तारतम्य देखना ही होता है। इसलिये जब तक सारे देश में तनख्वाहों का स्तर न बदला जाय, उत्तर प्रदेश में नहीं बदला जा सकता।

इस वक्त हमारे प्रदेश में ५१ रुपये से नीचे की तनख्वाह पाने वालों पर जो कुल व्यय होता है वह ३१·६६ प्रतिशत है। १०० रुपये तक तनख्वाह पाने वालों पर २६·४३ प्रतिशत, और एक हजार या उससे ऊपर तनख्वाह पाने वालों पर केवल २·९५ प्रतिशत खर्च होता है। तो क्या इन ३ प्रतिशत की तनख्वाह को घटाकर दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है ? इन लोगों की तनख्वाह घटाने का संतोष आपको भले ही हो लेकिन कम से कम उन लोगों की तनख्वाह बढ़ाने का संतोष उससे आपको नहीं हो सकता। हमारा उद्देश्य यह कभी नहीं

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

होना चाहिये कि किसी की तनख्वाह घट जाय बल्कि जिन लोगों की कम है वह बढ़ जाय, यह उद्देश्य होना चाहिये ।

माननीय राजनारायण जी ने जिक्र किया था कि मिनिस्टरों के रिश्तेदार इनफारमेशन डिपार्टमेंट में हैं, इसको सुनकर मुझको थोड़ा-सा आश्चर्य हुआ । १२ दिसम्बर सन् ५७ को हमने एक सरक्यूलर भेजा था कि मिनिस्टरों या बड़े आफिसरों के रिश्तेदार अगर रखे जायं तो गवर्नमेंट से पूछ लिया जाय, पब्लिक सर्विस कमीशन से जो लोग आते हैं, उनको छोड़ कर । मुझे जो सूचना मिली है, मैं उनके नाम तो पढ़ कर नहीं बताऊंगा लेकिन वह इस प्रकार हैं । एक हमारे यहां मिनिस्टर आफ स्टेट हैं, उनके दामाद हैं और उनको सन् १९५२ में पत्रकार नियुक्त किया गया । एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के भतीजे हैं, ये १४ दिन के लिये रखे गये थे, ३–४ दिन में उनकी सर्विसेज खत्म होने वाली है । एक विरोधीदल के प्रमुख नेता के दामाद हैं, वह इनफारमेशन आफीसर हैं । फिर भी यह सोचने की बात है कि क्या किसी आदमी को केवल इस वजह से न लिया जाय कि वह किसी आफिसर या मिनिस्टर या सार्वजनिक कार्यकर्ता का रिश्तेदार है ? इस तरह का प्रतिबंध लगा देना किसी प्रकार भी उचित नहीं हो सकता । यह अंधेर की बात हो जायगी कि उनकी योग्यता को न देखते हुए केवल यह देखा जाय । अगर यह कहा जाय कि उसमें योग्यता नहीं है अथवा उसके साथ कोई तरफदारी की गयी है, तब तो ठीक भी हो सकता है वरना यह एक अजीब तरह की शिकायत है ।

श्री गेंदासिंह—मेरे दामाद हैं, मैं इसको छिपाना नहीं चाहता । लेकिन उनकी योग्यता क्या है, जरा इसको भी बता दिया जाय ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किसी का भी दामाद हो, लेकिन मैं उसका जिक्र इस तरह से नहीं करना चाहता । यहां कुछ एंटी करप्शन कमेटी का भी जिक्र हुआ कि उनके हाथ में अधिकार दिया जाय । कई बार इस सदन में जिक्र आया, मैंने काफी सोचा लेकिन मैं सच कहता हूं कि मेरी समझ में यह बात नहीं आ सकी कि इस किस्म की किसी नान–आफिशियल कमेटी को किस रूप में अधिकार दिया जाय, कैसा अधिकार हो, क्या अधिकार हो आप इस पर सोचें, एकाकी सोचें कि जो कमेटी नान–आफिशियल होगी, जिसमें कई विभिन्न विचारों के व्यक्ति होंगे, उस कमेटी को अगर एक्जीक्यूशन के प्रकार का कोई अधिकार दिया जाय तो कैसे काम चलेगा और इसका क्या परिणाम होगा ? उसके लिये भी सोचें । मेरा ऐसा खयाल है कि उसमें दिक्कत है । इस अधिकार को लेने पर वे कैसे काम करेंगे ? एक अधिकार इस कमेटी को दिया गया है जिसका जिक्र सदन में किया गया है कि अगर कमेटी किसी मामले में यह फैसला निश्चय करती है कि फलां जगह करप्शन हुआ है तो उसके पास सम्बन्धित विभाग से ३ महीने के अन्दर रिपोर्ट आनी चाहिये कि उसके अनुसार कार्यवाही की गयी । और अगर ३ महीने के अन्दर रिपोर्ट नहीं आती है तो शिकायत करनी चाहिये । जब मैंने इस बात को पारसाल कहा था उसको करीब-करीब एक साल हो गया—१५ दिन या एक महीना शायद कम हो—लेकिन आज तक इधर के या उधर के किसी भी मेम्बर ने शिकायत नहीं की, किसी एंटी करप्शन कमेटी के पास यह शिकायत नहीं आयी कि फलां रेजोल्यूशन पास किया गया था, उस पर कार्यवाही नहीं की गयी ।

एक बार आप रेजोल्यूशन तो पास कीजिये कि फलां आदमी करप्ट है, इसकी जांच होनी चाहिये और अगर ३ महीने के अन्दर रिपोर्ट नहीं आती है तो आप होम मिनिस्टर साहब के पास या मेरे पास शिकायत लिख कर भेजिये, फिर देखिये कि क्या होता है । जैसे मेरे यहां और फाइलें पड़ी हैं वहां एक फाइल और सही । वह मेरे सर आंखों पर । श्रीमन्, मैं कई बार "आप" शब्द का इस्तेमाल कर देता हूं, इसके लिये आप मुझे माफ करेंगे ।

श्री राजनारायण—यही संसदीय शिष्टाचार है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हमारा मतलब यह है कि यह जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, जो प्रयोग था, अगर वह फेल हुआ तो कोई दूसरी बात सोची जाय । मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि अभी एक बात कीजिये, अभी कमेटी मौजूद है, आप कमेटी में जाइये और कोई रेजोल्यूशन पास कीजिये । जिसकी रिपोर्ट ३ महीने के अन्दर नहीं आती है या हवाई रिपोर्ट आती है तो कृपा करके होम मिनिस्टर साहब के पास या मेरे पास एक बार शिकायत कीजिये, फिर देखिये ।

श्री मदन पांडेय--गोरखपुर की एंटी करप्शन कमेटी ने महाराजगंज के तहसीलदार के खिलाफ शिकायत की थी ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--की होगी, मैं कह नहीं सकता ।

श्री बंशीधर शुक्ल--श्रीमन्, मैंने अपने यहां के कमिश्नर के बारे में शिकायत की थी कि उसने १५ लाख रुपये का गबन किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कमिश्नर ने १५ लाख रुपये का गबन किया ऐसी बात आप ही कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता । आपको अधिकार हैं, पुराने जमाने में मैंने सुना है कि कुछ लोगों के कई खून माफ रहते थे ।

पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जिक्र किया गया । ठीक है, २०, २२ मामलों का जिक्र किया गया है जिसमें हमने कमीशन की बात नहीं मानी । एक बात भूलनी नहीं चाहिये कि पब्लिक सर्विस कमीशन आदेश नहीं दे सकता है । पब्लिक सर्विस कमीशन को कानून के मुताबिक यह अख्तियार नहीं है कि वह गवर्नमेंट को हुक्म दे कि वह ऐसा काम करे । आप कानून देखें, उसमें यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नमेंट को ऐडवाइस दे सकता है, उसको मानना न मानना सोलह आने गवर्नमेंट के अख्तियार की बात है । वह गवर्नमेंट को ऐडवाइस दे सकता है, लेकिन नियुक्ति करने की पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है । वैसे हम कोशिश इस बात की जरूर करते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह जो होती है उस पर हम वजन देते हैं और अधिकतर उनकी सलाह को मान लेते हैं । आखिर लिखापढ़ी क्यों होती है ? अगर उनकी बात को नहीं मानने की बात होती तो जहां रिपोर्ट में २०, २२ मामलों के न मानने की बात है, वहां उनका नम्बर बढ़ कर २५ या ३० हो जाता । हम बराबर इस बात की कोशिश करते हैं कि जो कमीशन की उचित सलाह हो उसे मान लें । बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जिनमें हम उनकी सलाह को नहीं मानते हैं । हम लिखा पढ़ी के जरिये कमीशन को समझाने की कोशिश करते हैं और लिखा पढ़ी के जरिये वे हमारी बात मान लेते हैं या हम उनकी सलाह मान लेते हैं । ऐसे बहुत कम, दो चार मामले ही ऐसे होते हैं, जिनमें हमारे उनके मतभेद खत्म नहीं होते हैं । लेकिन अन्त में या तो हम उनकी बात मान लेते हैं या मजबूर हो कर उन की सलाह नहीं मान पाते । कमीशन सरकार को आदेश नहीं दे सकता और शासन की जिम्मेदारी उन लोगों पर नहीं हो सकती जो शासन से अलग हैं । जो शासन का भार लिये हैं वही इस सदन के सामने और जनता के सामने जिम्मेदार हैं, वह जिम्मेदारी न कमीशन पर है और न किसी भी दूसरी बाडी पर है । (व्यवधान) किस गाड़ी से, कैसे किसने एक्सीडेंट किया वह जाने । हम से कोई सम्बन्ध नहीं ।

एलेक्शन का जिक्र हुआ और खास तौर से हमीरपुर का और कहा गया कि मिनिस्टर लोग जाते हैं एलेक्शन के दौरान में । मैं इस बात को यहां साफ कर देना चाहता हूं कि अगर एलेक्शन के दौरान में मिनिस्टर रहते हुये कोई वहां जाना चाहता है तो उस पर कोई रुकावट किसी तरह की नहीं है । संविधान के अनुसार मिनिस्टर रहते हुये हम पोलिटिकल वर्क कर सकते हैं । माननीय गेंदासिंह ने सन् ५७ का जिक्र किया लेकिन दोनों चीजों को मिलाने की जरूरत नहीं है, सरकारी काम की आड़ में हमें कोई चीज करने की जरूरत नहीं है । अगर

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

कोई सरकारी काम करना चाहे तो शौक से कर सकता है, कोई रोक नहीं है, एलेक्शन का काम भी कर सकता है, अगर जाता है तो ठीक करता है, जाना चाहिये उस की पार्टी का मामला है काम करना चाहिये, शौक से जा सकता है। संविधान में या एलेक्शन ला में कहीं भी कोई रुकावट नहीं है।

ट्रान्सफर का जिक्र हुआ। उसके माने केवल इतने हैं कि एक सरकारी अधिकारी को एक जगह से दूसरी जगह बदल देना। हमीरपुर के कलेक्टर की तरफ इशारा था, उनके बारे में बात यह थी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के कम्युनिटी डेवलेपमेंट डिपार्टमेंट ने उनको मांगा कि हमें उनकी जरूरत है। हम उनको अभी यहां रोकना चाहते थे लेकिन बाद में उन्हें भेजना पड़ा। हम ने उन को यहां पर कहीं बदलकर नहीं भेजा, वह दिल्ली चले गये वहां उनकी जरूरत थी, किसी दूसरे को भेजने के लिये अपने प्रदेश में हम ने ट्रान्सफर नहीं किया।

डिस्ट्रिक्ट जजेज का तबादला हाईकोर्ट करता है। कहने से पहले कानून देख लेना चाहिये।

माननीय गेंदासिंह जी ने और श्री मदन पांडेय जी ने कहा कि पूर्वी जिलों में लैन्ड रेवेन्यू की वसूली में बहुत ज्यादती हो रही है। पांडेय जी ने यह भी कहा कि मैं खुद भी पूर्वी जिले का रहने वाला हूं, मुझे भी खयाल करना चाहिये और उधर का दौरा भी करना चाहिये और वहां की हालत अपनी आंखों मे देखनी चाहिये। चाहे मैं पूर्वी जिले का रहने वाला होऊं या न होऊं लेकिन एक बात तो जाहिर है कि कहीं भी जुल्म होता हो, ज्यादती होती हो उसको रोकना हमारा कर्तव्य है। बुरी चीज चाहे पूर्व में हो या पच्छिम में हो, उत्तर, दक्खिन कहीं भी हो हमें उसे रोकना चाहिये। इसके साथ ही मैं यह भी नहीं कहूंगा कि कोई भी सरकारी अधिकारी गलती नहीं करता होगा। हम यहां मिनिस्टर हैं, हमारे ऊपर यहां इतनी तरह के प्रलोभन या दबाव नहीं हैं जितने कि उन अधिकारियों के ऊपर होते होंगे। मैं गलती करता हूं, अपनी गलतियों को जानता हूं फिर ऐसे लोग कि जिन के सामने तरह-तरह के प्रलोभन और दबाव रहते हैं, भ्रष्टाचार या रिश्वत वाले दबाव की बात मैं नहीं कहता, उनके सामने और बातें रहती होंगी कि शायद हम ऐसा न करेंगे तो अपने अफसरों को खुश नहीं कर पायेंगे, या अगर सख्ती करेंगे तो हमारे अफसर खुश रहेंगे और नाराज नहीं होंगे। इस खयाल से भी हो सकता है कि वह गलती करते हों, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरी तबियत एक बार नहीं, कई बार हुई कि मैं उधर जाऊं और खुद देखूं लेकिन दो तीन दिक्कतें हमारे सामने हैं। मैं किसी की शिकायत नहीं करता लेकिन एक बात जरूर है कि मैं खुद एक पूर्वी जिले का रहने वाला हूं और एक ऐसे जिले का जो एक डेफिसिट जिला है, अपने खर्च के काबिल वह अन्न नहीं पैदा करता लेकिन मैं कह सकता हूं कि हम पूर्वी जिले वालों ने खुद अपनी तसवीर को बिगाड़ा है। मैंने एक बार गेंदा सिंह जी से बातचीत में कहा था। एक बार पिछले साल मैं मुजफ्फरनगर, मेरठ की बाढ़ के अवसर पर उधर गया था, वहां पर कुछ आदमी मकानों के गिरने से मर भी गये थे। वहां कुछ आदमी खड़े थे मैंने उनसे पूछा कि किस तरह से यह लोग मर गये तो उनको यह मालूम नहीं था कि मैं पूरब का रहने वाला हूं या कहां का रहने वाला हूं, उन का ध्यान नहीं था कि कौन पूछ रहा है। उनमें से एक आदमी ने कहा कि हम पूरब के जिलों के रहने वाले नहीं हैं जो कह दें कि भूख से मर गये। शर्म मालूम हुई मुझको, बहुत शर्म मालूम हुई। लेकिन यह कहा उस आदमी ने। यह सही है कि हमने डिमारेलाइजिंग चीज कर रखी है। पूर्वी जिलों के हम रहने वालों ने उनकी मारल कमर तोड़ दी है। प्राकृतिक कारणों से उनकी आर्थिक कमर टूटी हुई है। लेकिन हमने, जिनके हाथ में नेतृत्व है निश्चित ही उनकी मारल कमर तोड़ी है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं फिर अपने दौरे की बात कहता हूं। इन जिलों में फीस की माफी की बात होती है। मैं पारसाल जा रहा था जौनपुर जिले के एक हिस्से में। वहां उस हिस्से में बाढ़ कहीं नहीं थी। इत्तफाक से रेलवे क्रासिंग पर रुकना

पड़ा । ट्रेन आने वाली थी । मुझे पंदरह मिनट रुकना पड़ा । आसपास के लोग आ गये । उन्होंने कहा कि हमारे यहां फोस नहीं माफ होगी ? हमने कहा कि क्या आपके यहां बाढ़ आयी है ? उन्होंने कहा, बाढ़ तो नहीं आयी है लेकिन सब जगह माफ हो रही है । मैं फिर कहता हूं इस बात को और शर्म के साथ कहता हूं कि इसी तरह के सवाल मैंने खुद मेरठ, मुजफ्फरनगर जिलों में जहां बाढ़ आयी थी, किये, जहां तीन-सौ मकान थे उनमें २७०, २८० मकान गिरे, कि आप फोस की माफी चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि इसके लिए भगवान निबाह लेंगे । आप कुछ कोयले वगैरह की मदद कर दीजिये ताकि मकान बन सकें । सही है कि सम्पन्न हो सकते हैं, उनके पास चार पैसे होंगे, लेकिन साथ ही जिन जौनपुर के लोगों का जिक्र कर रहा हूं वह टूटे हुए नहीं थे । यह हमारा दुर्भाग्य है । हमने इस बात को सोचा नहीं जिनका हम नेतृत्व करते हैं, उनके मारल को न बिगड़ने दें । इस वजह से जांच पड़ताल करने में दिक्कत हो जाती है । एक बार नहीं कई बार मैंने सोचा, लेकिन मैं सदन के सामने कहता हूं कि मुझे दिक्कत पड़ जाती है बाज वक्त कि ठीक-ठीक तस्वीर हम को नहीं मिल पाती है । लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब यह बात कही जाती है तो ऐसा नहीं कि मुझे दुख नहीं होता । तकलीफ होती है और उसका कोई न कोई उपाय भी सोचता हूं । न मुझको इसमें खुशी होती है, न चौधरी चरण सिंह को खुशी होती है और न किसी आदमी को होती है कि शासन में लोगों को तकलीफ हो । सही बात है कि जो दे सकता है, देना चाहिये । न हमारे पास कुबेर का भंडार है, न गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास कारूं का खजाना है, जो लोग दे सकते हैं उनको देना चाहिये । जिनके पास बिलकुल नहीं है उनकी मदद की जा सकती है । अगर देने वालों से नहीं लिया जायगा तो आगे बिलकुल नहीं दे सकते । उसकी किसी प्रकार की मदद नहीं हो सकती । इसलिए थोड़ा बहुत देना तो होगा ही । लेकिन साथ ही साथ अगर जुल्म या ज्यादती हो तो मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि हम विचार करेंगे, अगर सब का ठीक-ठीक चित्र मिल सके ।

श्री गेंदासिंह---कैसे ठीक चित्र मिलेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हम आप बात करेंगे ।

श्री गेंदासिंह---आपको फुर्सत ही नहीं है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आप से बात करने के लिए मुझे हमेशा फुर्सत है । मगर आप सोशल इंटरकोर्स से भी मुझ से दूर रहते हैं तो मैं क्या करूं ?

अभी कुछ बातों का जिक्र हुआ, गवर्नर और काउंसिल के न रहने का । मुझ को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ । आश्चर्य इस बात का हुआ कि बार-बार यह कहा गया कि इस गवर्नमेंट ने परिषद् के मेम्बरों की संख्या बढ़ा दी । गवर्नमेंट गरीब कैसे करेगी ? यह मामला सदन में आया । सदन में रेजोल्यूशन पास हुआ । यह डेमोक्रेसी में हर जगह होता है कि जब किसी बाडी में कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता है, उसके लिए जिम्मेदार प्रत्येक मेम्बर हो जाता है । जो लोग खड़े हो कर कहते हैं कि गवर्नमेंट ने किया वह सदन को बुरा भला अगर कहना चाहते हैं तो कह दें कि सदन ने गलत किया । काउंसिल के मेम्बरों की संख्या को बढ़ाने के लिए इस सदन में रेजोल्यूशन आया और इसी सदन ने पास किया । यही मेम्बर साहबान बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने पास किया, गवर्नमेंट कौन बोलने वाली होती है । अगर हम अपने पाप के लिए पश्चाताप करना चाहते हैं तो ठीक है ।

श्री राजनारायण---सरकारी प्रस्ताव था ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकारी प्रस्ताव था, आप न पास करते । लेकिन जैसा कि रूल डेमोक्रसी का है, जब तक कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ उस वक्त तक वह इस पार्टी का है या उस पार्टी

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

का है । लेकिन प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद कांस्टीट्यूशनली वह सदन का प्रस्ताव है । सब मेम्बर उसके लिये जिम्मेदार हैं । अगर कोई पाप किया है तो सब उस पाप के भागी हैं । जहां तक गवर्नर की बात है, वह तो दिल्ली से जाकर निकाला जा सकता है । उस बहस में मैं पड़ना नहीं चाहता हूं । मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता ।

एक चीज है, कुछ यहां जिक्र हुआ था डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट का । गवर्नर साहब अपने १२ हजार रुपये से क्या करते हैं, वह मैं नहीं जानता लेकिन यह रजिस्टर है, कोई मेम्बर साहब जिस वक्त चाहें कृपा करके इसको देख सकते हैं कि यह रुपया किसको दिया गया है । ऐसी संस्थायें जो गवर्नमेंट के किसी विभाग के ग्रान्ट में नहीं आती हैं, जैसे मान लीजिये शिक्षा विभाग है, जिन संस्थाओं को उसके अन्दर ग्रान्ट मिलती है उनको हम नहीं देते हैं, हमने नियम यह बना रखा है कि इस तरह की संस्थाओं के अतिरिक्त जो संस्थायें बचती हैं उन्हीं को हम यह ग्रान्ट देते हैं ।

श्री राजनारायण---बनारस की जन कष्ट-निवारण समिति को भी दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अब देखकर मैं बता दूंगा । बनारस में अगर कोई जन कष्ट-निवारण का काम करता है तो उसको जरूर देना चाहिये । मैं अब खत्म करना चाहता हूं एकाध बात और कह के ।

माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि गवर्नमेंट अगर देखे तो वह फेल हो गई है । मैं इस बात को मानता हूं । जरूर हम इस बात को मानते हैं कि हम फेल हुये हैं । लेकिन फेल होने का तर्क हमारा वह नहीं है जो माननीय गेंदा सिंह जी का होगा । मेरा कहना यह है कि जो कोई भी कसौटी शासन की रखी जा सकती हो, उस कसौटी से देखा जाय, तो हम पूरे तौर पर सफल हुये हैं, इस बात को देखते हुये कि उत्तर प्रदेश के पास, उत्तर प्रदेश की सरकार के पास क्या-क्या साधन थे ; इस बात को देखते हुये कि किन-किन कठिनाइयों के बीच से हमको काम करना पड़ा । इन सब बातों को देखते हुये मैं कह सकता हूं और कोई भी आदमी निष्पक्षता के साथ अगर देखे, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम यहां सारी बातें करते हैं, जो आदमी देहात में जाकर देखे, प्रदेश का दौरा करके देखे, वह इस बात को कहेगा कि प्रदेश की तरक्की हुई है । निश्चय ही हमने तरक्की की है ।

एक मित्र ने खड़े होकर कहा कि साहब, यह जो बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं और हरिजन हैं इनकी शिक्षा का स्तर गिर गया । अब इसका मैं क्या जवाब दूं ? क्या कोई शख्स यह सोच सकता है कि आज से दस वर्ष पहले या पांच वर्ष पहले अधिक पढ़े-लिखे हरिजन थे और आज कम हैं ? इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूं ? नौकरियों की बात ऐसी है, नौकरियों के सम्बन्ध में दो बातें हैं । एक तो माननीय राजनारायण जी ने कौन से फिगर्स कहां से पढ़ दिये, मुझे नहीं मालूम । जो इस वक्त मेरे पास फिगर्स हैं वह यह हैं कि गजटेड आफिसर्स की संख्या सन् १९५७ में ४,९४३ थी । उनमें १९४७ में ८ थे पिछड़ी जातियों के लोग और इस वक्त हैं ३५ । शिड्यूल्ड कास्ट के पहले थे १० और अब हैं ६७ । तो यह कहना कि कम हुये ऐसा नहीं है । हां, जो बात कही जा सकती है, वह आगे मैं कहूंगा । तो जो भी कसौटी है, जो हमारा समाज है, जिस समाज में हम-आप रहते हैं, जिस समाज में हम-आप काम करते हैं, उस समाज को देखते हुये मैं इस बात को एक क्षण के लिये भी नहीं मानने को तैयार हूं कि यह शासन किसी भी दृष्टि से असफल हुआ है । हम असफल हुये हैं किस तरह से ? अपने आदर्शों से । जब हम अपने आदर्शों को देखते हैं, अपने ऊंचे हौसलों को देखते हैं, जो हमने अपने लिये आदर्श बना रखे हैं, अपने लिये जो कसौटी बना रखी है, उससे जब हम जज करते हैं तो जरूर जो सफलता होनी चाहिये थी, वह नहीं हुई है । अगर हम अपने आदर्शों के अनुरूप जितना ऊंचा उठाना चाहते थे, उतना उठा सकते तो बड़े सौभाग्य की बात होती । लेकिन जिस कसौटी से आप जज करते हैं उस कसौटी से हम पूर्णतया सफल हुये हैं । अपनी कसौटी से हम लोग असफल हुये हैं । हमारे हौसले बड़े ऊंचे हैं । हम यह चाहते थे कि इस प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह हरिजन हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, इस देश के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी नागरिक हो, उसको इस बात का मौका मिलना

चाहिये कि जो उसकी अधिक से अधिक योग्यता है, अधिक से अधिक जो उसकी पोटेंशियलिटी है उसका विकास हो ताकि समाज की अधिक से अधिक जितनी सेवा करने की योग्यता उसमें है उससे वह सेवा कर सके। यह हम नहीं कर सके और हम नहीं जानते कि हम कर सकेंगे भी या नहीं, लेकिन यह हमारा आदर्श इस मामले में है और जितना हम इसमें पीछे हैं उतना ही वह हमारी हिम्मत बढ़ाने वाली चीज है । यहां का जो कटाक्ष है, यहां की जो आलोचना है, उससे हमें घबड़ाहट नहीं होती क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा ईमान साफ है और जब हमारे कामों के लिये जजमेंट होगा, जो भी इतिहास देखेगा, वह उसी नतीजे पर पहुंचेगा कि हमारी पूर्णरूपेण सफलता है । लेकिन हमारा जो आदर्श है उससे हम जितने नीचे हैं वह हमारी हिम्मत बढ़ाता रहता है, यहां की आलोचनायें नहीं । मैं सब लोगों से इस बात की अपील करता हूं कि हमारी इस बात में सहायता करें ताकि जो हमारे आदर्श हैं, वह आपके आदर्श भी होने चाहियें, उस तक हम सब लोग मिलकर अपने प्रदेश को पहुंचा सकें । यही मेरा निवेदन है ।

मैं आशा करता हूं कि मैंने जो दोनों प्रस्ताव अनुदान के सम्बन्ध में रखे हैं उनको माननीय सदस्य सहर्ष स्वीकार करेंगे ।

श्री गेंदासिंह––मैं एक पर्सनल स्पष्टीकरण करना चाहता हूं ।

मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रमुख विरोधी दल के नेता की चर्चा की उसके बारे में मैं सदन की जानकारी में ला देना चाहता हूं कि वे मेरे दामाद हैं । दूसरी बात यह मैं जरूर कह दूं कि इन्फार्मेशन आफिसर होने या सरकारी नौकरी में आने के लिये उनकी सिर्फ एक डिस्क्वालिफिकेशन है और वह यह है कि मैं उनका ससुर हूं और वे मेरे दामाद हैं । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने साफ कह दिया होता तो बहुत अच्छा होता और वे उस जमाने से सरकारी नौकर हैं जब मेरा सम्बन्ध विरोधी दल या सरकारी नौकरियों से नहीं था । तो अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन है तो वही है जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं । मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में, इस मामले को माननीय मुख्य मंत्री जी को नहीं घसीटना चाहिये था । मैं चाहता हूं कि वे इस पर विचार करें ।

श्री अध्यक्ष––कोई आक्षेप मुख्य मंत्री जी ने नहीं किया था ।

श्री राजनारायण––मैं भी, श्रीमन्, एक पर्सनल एक्स्प्लेनेशन देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष––पर्सनल एक्सप्लेनेशन है ?

श्री राजनारायण––जी हां, बिलकुल पर्सनल एक्सप्लेनेशन है । अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि राजनारायण न मालूम कहां से आंकड़े ले आये थे । तो हम आंकड़े और कहीं से नहीं लाये थे । यह माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण था उसकी रपट है । उसको उठाकर देख लें । उसके १५ वें पेज पर है कि अगर भत्ता महंगाई मिलाकर १०० रु० हो जाय तो बढ़ोत्तरी का १ तिहाई सरकार देगी और अगर ७० हो जाय . . . .

श्री अध्यक्ष––यह कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है । आप बैठिये ।

श्री राजनारायण––वह पढ़ने का कष्ट नहीं करते, इसलिये बतला रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष––ठीक है । अब आप बैठिये ।

(एक क्षण के अनन्तर)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२––सामान्य प्रशासन के कारण व्यय––लेखा शीर्षक २५––सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,१८,८२,२०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३--कमिश्नरों और जिला प्रशासन के व्यय के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३-- कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,०१,६५,६०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
१७ मार्च, १९५८ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये १० मार्च, १९५८ के स्थगित प्रश्न १२८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८८ पर।)

सगड़ी तहसील, जिला आजमगढ़ में ऊंचे किये गये ग्रामों की सूची

१—गुलौर
२—लारो
३—बलिया कल्यानपुर
४—तेन्दुआ
५—पुरषोतमपुर
६—मरौली
७—जमुआ हरिराम
८—वेरमा
९—उलमापुर
१०—सोरूपुर
११—रशीदाबाद
१२—आदर्श ग्राम
१३—हरनई
१४—पयागपुर
१५—सिकरौड़ी
१६—जामिनपुर सिकरौड़ा
१७—चुकमौना
१८—फंजूल्हा जैरूल्लाहा
१९—पनसबदा
२०—रामूपुर
२१—असरफपुर
२२—मैगापुर
२३—तिपारपुर खालसा
२४—अतानगर
२५—नौबरार हरखपुर
२६—गरब
२७—गटहा
२८—बीबीपुर
२९—चेरा कटघरा
३०—नौबरार देवारा जदीद किता दोयम
३१—आराजी अमानी
३२—चेरा जैधारी
३३—हैदराबाद
३४—जजमान जोत
३५—इन्द्र जोत
३६—काजी अमीर अहमद जोत
३७—खोखर पुर शेख नठूर जोत
३८—आराजी नवाज सिंह
३९—देवारा जदीद
४०—इब्राहीमपुर
४१—वरिहा चक
४२—किशनपुर
४३—करीमगंज
४४—मोहम्मदपुर
४५—खाखरपुर गोविन्द लाल
४६—खीरी जोत
४७—आराजी परगास
४८—खलरगा
४९—गंगापुर
५०—गुलाम रसूल
५१—बरिया
५२—रसूलपुर मैया
५३—गनीचक
५४—देवारा गरीब दूबे
५५—सेमरा
५६—गुलरिया
५७—करखिया किता अव्वल
५८—करखिया किता दोयम
५९—करखिया किता सोयम
६०—मुखलिस पट्टी
६१—आराजी अजगरा मगरबी
६२—मानिकपुर
६३—जमवारी
६४—हाजीपुर
६५—चकी हाजीपुर
६६—मुसरियापुर
६७—देवारा रामसरन दूबे
६८—देवारा मुहल्ला
६९—अजगरा
७०—दाम मुहला
७१—सहबदिया
७२—भद्रा खास
७३—भद्रा मकर
७४—बरामदपुर
७५—तिपारपुर आयमा
७६—महाजी देवारा जदीद
७७—नौबरार जदीद किता अव्वल
७८—हथिया गढ़
७९—मकरिहना
८०—तिवारीपुर
८१—परनिया
८२—दवारा अचलपुर

८३--रघुनाथ तिवारी
८४--अर्हनपटी
८५--रोशनगंज
८६--सेमरा
८७--उरदिया
८८--शाहदी
८९--बका
९०--बरन पट्टी
९१--छैला
९२--सुरनौली
९३--मालन टोला
९४--अजगरा मगरबी
९५--देवारा राजा खास
९६--आराजी देवारा सुहितपुर
९७--बरनपट्टी
९८--देवारा जै गोपाल नायक
९९--सुनवारा

विधान सभा दर्शन

नत्थी 'ख'

(देखिये १० मार्च, १९५८ के स्थगित प्रश्न १३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९१ पर)

तहसील केराकत, जिला जौनपुर के गांव की सूची मय व्यय जो सन् १९५५-५६ में ऊंचे किये गये

गांव का नाम	व्यय
१	२
१—तिलौरा तथा बरारा	रु०
२—ताजपुर तथा हकारीपुर	२,२४३
३—ताला मझवारा तथा महमापुर	९२८
४—इस्मैला तथा उदपुर	३,४६४
५—उदपुर पूर्वी तथा हरीपुर	१,३१३
६—नहोरा	१,२३८
७—रसूलपुर तथा इजरी	३,००९
८—मरहान	३,५४८
९—विमानमऊ	१,७६९
१०—प्रधानपुर	५४१
११—चिछवा	१,१५५
१२—राजेपुर	६८९
१३—करचालपुर	५,६०८
१४—ऊंचनी खुर्द	४१५
१५—पाशेवरी, बलुआ तथा सुरानी ..	१,३२३
१६—उदयचांदपुर तथा बलवारी ..	३,४५३
१७—मगरी	२,१७१
१८—केशवपुर, विजयपुर	१,२२५
१९—शेखेनपुर, रामचन्द्रपुर तथा प्रधानपुर	३९९
२०—पारी तथा उदपुर	३,५०१
२१—विशेश्वरपुर, मझवारा ..	५४४
२२—बरवसपुर, अलीपुर, खावागर तथा वारश ..	७२८
	१,०४८
योग ..	४०,३१२

अमर उजाला सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०० पर)

Statement Showing Districtwise Allocation of State Tubewells

Serial no.	Name of district by group	Allotted to end of I Plan	Second Plan: Allotted during 1956-57	Second Plan: Allotted during 1957-58
1	2	3	4	5
1	Dehra Dun	..	2	5
2	Saharanpur	116	15	10
3	Muzaffarnagar	167	20	10
4	Meerut	432	20	10
5	Bulandshahr	460	15	10
6	Aligarh	341	10	10
7	Etah	140	..	8
8	Mathura	1	2	..
9	Agra	51	..	..
10	Etawah	..	..	..
11	Mainpuri	93	..	10
12	Farrukhabad	151	..	5
13	Kanpur	4	..	..
14	Fatehpur..	1	..	..
15	Bijnor	224	20	10
16	Moradabad	571	15	5
17	Rampur	..	10	5
18	Bareilly	104	15	8
19	Budaun	433	17	6
20	Sahjahanpur	65	20	5
21	Sitapur	48	5	4
22	Hardoi	..	20	5
23	Lucknow	15	5	..
24	Barabanki	18	..	..
25	Pilibhit	..	5	2
26	Kheri	148	15	5
27	Nainital	35	..	..
28	Allahabad	94	15	..
29	Mirzapur	30	15	..
30	Jaunpur	119	15	15
31	Varanasi..	202	20	26
32	Faizabad	237	..	3
33	Sultanpur	74	..	..
34	Ghazipur	101	25	17
35	Ballia	101	10	20
36	Azamgarh	148	10	15
37	Bahraich	95	..	..
38	Gonda	95	..	..
39	Basti	215	29	5
40	Gorakhpur	157	15	6
41	Deoria	163	15	17
	Reserve ..	..	..	1
	Total ..	5,451	400	260

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १०० का उत्तर पीछे पृष्ठ २०५ पर)

नाम जिला	तहसील	ग्राम	नलकूप संख्या
१	२	३	४
देवरिया ..	देवरिया ..	हरैया ..	१
		देवघाट ..	१
		पिपरादाऊत ..	१
		गुरमियां ..	१
		कटाई ..	१
		दीवान पोखर ..	१
		जंगल राजा जोगन ..	१
		बटुलही ..	१
		सिसवा ..	१
		कंचन पर समोवर ..	१
		परासंखान ..	१
		गड़ैर ..	१
,,	सलेमपुर ..	मंगराइच ..	१
		श्रीनगर ..	१
		सोहनपुर पूर्व ..	१
		सोहनपुर पश्चिम ..	१
		बीबी हमजा चक ..	१
		खामपार ..	१
		भटवा तिवारी नं० १ ..	१
		श्रीरामपुर ..	१
		परसिया छितन सिंह ..	१
		टंडवा ..	१
		भटवा तिवारी नं० २ ..	१
		सिखरहटा ..	१
		विशुनपुर ..	१
		मिश्रौली ..	१
,, ..	सलेमपुर ..	परसिया ..	१
		बमली ..	१
		सोनाम ..	१
		ड़ेहरी ..	१
,,	पडरौना ..	अमवा ..	१
		पिपरासी ..	१
		हरैया ..	१
		टढ़वा ..	१
		सपहा ..	१
		विशुनपुर राजा ..	१
		तखनवां ..	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नाम जिला	तहसील	ग्राम	नलकूप संख्या
१	२	३	४
देवरिया	पडरौना	भरसड़वा ..	१
		लछिया देवरिया ..	१
		छतकटिया ..	१
		करमहा ..	१
		दोघरर ..	१
		अंधियारीबारी ..	१
		तमकुही ..	१
		मल्लूडाह ..	१
		भरौलिया ..	१
		परसौनी बुजुर्ग ..	१
		सरहया बुजुर्ग ..	१
		सेमरा हरदो ..	१
		लक्ष्मीपुर ..	१
		मेघेनुजा ..	१
		महासोन ..	१
		महुवाखुर्द ..	१
		लौकुश ..	१
		सरैया महन्त पट्टी ..	१
		बैली ..	१
		जोरामन राखोन ..	१
"	हाटा	हाटा ..	१
		अहिरौली ..	१
		सुकरौली ..	१